

प्रकाशक .

अ० वा० सहस्रबुद्धे,
मन्त्री, अखिल भारत सर्व सेवा संघ,
वर्धा (चवई-राज्य)

मुद्रक .

वलदेव दास,
ससार प्रेस,
काशीपुरा, बनारस

पहली बार . १०,०००

जनवरी, १९५७

मूल्य आठ आना

अन्य प्राप्ति-स्थान

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन

काकावाड़ी

वर्धा

गाधी भवन

हंटरावाड

लोकनीति की नांदी

हिन्दुस्तान के दो टुकड़े तो हो गये, फिर भी राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का स्वीकार अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था, उन्हीं साधनों से हिन्दुस्तान को राजनीतिक स्वतन्त्रता मिल गयी है। इसलिए कांग्रेस का उसके वर्तमान रूप में काम पूरा हो गया है। जाने प्रचार के एक साधन के रूप में और पार्लमैटरी राजनीति के एक औजार के रूप में अब उसकी उपयोगिता नहीं रह गयी है। अब हिन्दुस्तान को शहरो और कसबो से अपना ध्यान हटाकर सान लाख गांवों के लिए सामाजिक, नैतिक और आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनी है। हिन्दुस्तान जैसे-जैसे अपने इस लोक-राज्य के लक्ष्य की तरफ प्रगति करेगा, वैसे-वैसे नागरिक-शक्ति सैनिक-शक्ति से अधिक प्रबल और प्रभावशाली बनेगी। राजनीतिक पार्टियों और सम्प्रदायवादी संस्थाओं में सत्ता के लिए जो अवांछनीय स्पर्धा चलेगी, उसमें लोकजीवन स्वस्थ नहीं बनेगा। इसलिए इस होठ से कांग्रेस को बचकर रहना चाहिए।

नयी दिल्ली

२६-१-१९४८

—मो० क० गांधी

(मुक्त अनुवाद)

प्रकाशकीय

स्वाधीनता-प्राप्ति के पश्चात् भारतवर्ष का राजनैतिक नक्शा क्या हो, इसकी तरफ सबका ध्यान गया। राष्ट्रपिता गांधीजी अन्य देशों के स्वाधीनता-संग्राम के मेनापतियों के समान सत्ता की बागडोर अपने हाथों में न रख, सत्ता में अलग रहे। उन्होंने सत्ता में अलग रहकर राष्ट्र-उत्थान और निर्माण का काम करने का निश्चय किया। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ भाई "विधान-निर्मात्री परिषद्" का निर्माण कर सविधान बनाने में लगे। सविधान के निर्माण के समय कई तरह के विचार सामने आये। चुनाव, राज्य-व्यवस्था का स्वरूप क्या हो, इस सम्बन्ध में भी चर्चाएँ चलीं। लेकिन वाजपेयी सारी चर्चाओं और मुद्दों के हमारा सविधान सुप्रसिद्ध पाश्चात्य प्रजातांत्रिक देशों जैसे इंग्लैंड आदि के ही सविधान के नमूने पर बना। आजादी के साथ साथ अनेकानेक कठिनाइयों और विपत्तियों के बादलों के मँडगने तथा अन्य कारणों से चुनाव तथा राज्य व्यवस्था के सम्बन्ध में गहराई से विचार उस समय नहीं किया जा सका।

आजादी के थोड़े ही दिनों बाद राष्ट्रपिता नहीं रहे। उनका लोकशाही का अभिनव प्रयोग आगे नहीं बढ़ सका। राज्य-व्यवस्था सविधानानुसार चलती रही। प्रथम चुनाव में राष्ट्रीयता का विशेष असर था। अतः चुनाव पद्धति के दुष्परिणाम का भान मुल्क को नहीं हुआ। लेकिन दूसरे ग्राम-चुनाव के समय समस्त मुल्क पर ग्राम-चुनाव और मौजूदा राज्य-पद्धति का अभिशाप प्रकट हुआ। जातीयता, साम्प्रदायिकता, फलतः, राष्ट्रीयता, स्वार्थ और प्रातीयता आदि के भाव बढ़ने लगे। उन चीजों को दफनाने के लिए राष्ट्रपिता ने साग मधुपर्क किया था और अन्त में अपने जीवन की आहुति दे दी। वे सारी चीजें न केवल उभड़ने लगीं, बल्कि मुल्क पर अनयोर रूप में छाने लगीं। सारा मुल्क इस अवकाश से चिंतित हो उठा।

राष्ट्र के प्रयोग और कार्य को आगे बढ़ाने के व्यय से निकल पड़नेवाले शाचार्य विनोबाजी ने भूदान-ग्रान्दोलन के साथ राष्ट्र के लोकतांत्रिक विचारों को भी जनता के सामने रखना प्रारंभ किया। १९५२ में हुए ग्राम-चुनाव के दुष्परिणामों को देखकर न केवल विनोबाजी को ही, बल्कि समूचे राष्ट्र को भी बहुत दुःख हुआ।

विनोबाजी ने चुनाव के दुष्परिणामों को मार्गदर्शन रूप में कर जनमानस को

शिक्षित करना प्रारंभ किया। धीरे-धीरे जनता को एक नया समाधानकारक विचार आज के चुनावमूलक प्रजातांत्रिक राज्य-व्यवस्था के विचार के स्थान पर मिलने लगा।

१९५४ में गया के अखिल भारत सर्वोदय-सम्मेलन के व्यासपीठ पर मुल्क के राजनेता और प्रधान मंत्री प० जवाहरलालजी नेहरू के सामने सक्षेप में विनोबाजी ने चुनाव की कमियों को रखा और संसदन, परिवर्द्धन की माँग की। तभी से वरानर आज तक भूदान-यज्ञ-आन्दोलन के नेता और विचारक विनोबाजी के साथ-साथ राजनीति की जगह लोकनीति के विचार से जनता को अवगत कराते आ रहे हैं। इसका असर राजनेताओं और राजनीतिक पक्षों पर धीरे-धीरे, पर निश्चित रूप में पड रहा है।

आज सर्वोदय-विचार में विश्वास रखनेवाले सब इस निश्चय पर पहुँचे हैं कि राजनीति और सत्ता के रास्ते से नहीं, बल्कि सेवा और लोकनीति के रास्ते से मुल्क का और ससार का भला हो सकता है। अतः चुनाव में भाग न लेकर लोकनीति के विचार को आगे बढ़ाने का सबका निश्चय है। इसीलिए सर्व-सेवा-संघ ने धर्म-पुरी में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव का भाष्य सर्वोदय के चिंतकों और मनीषियों ने मिया है, जिसकी सम्यक् जानकारी के लिए वह पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है।

पुस्तिका तीन भागों में विषय की सुविधा की दृष्टि से विभाजित की गयी है। पहले भाग में लोकशाही के विचारों का विश्लेषण, कमियों का दिग्दर्शन, विरोधी पक्ष का विश्लेषण, कमियों का उल्लेख करते हुए मुल्क का हित लोकनीति के विचार में किस प्रकार सधता और सुगन्धित रहता है, यह दिखाया गया है। इन भाग के लेखकों को इस क्रम से रखा गया है कि पाठकों को लोकनीति के विचार के विकास का भी पता चले।

दूसरे भाग में सर्व-सेवा-संघ द्वारा धर्मपुरी में स्वीकृत मूल प्रस्ताव, उस पर विनोबाजी, दादा, धीरेन्द्रभाई, जयप्रकाश नारायण, शंकररावजी डेव आदि के भाष्य और विश्लेषण है।

तीसरे भाग में चुनाव-प्रस्ताव पर उठनेवाले प्रश्नोत्तर हैं।

आशा है, पूरी पुस्तक को पढ़ने से पाठकों को लोकनीति नम्रन्धी संक्षिप्त जानकारी मिलेगी।

एक भाई पूछ रहे थे, “हम किसको वोट दें ?” ऐसा सवाल कोई पूछता है, तो मन में आता है, क्या हम दूसरों को वोट देने के लिए जन्मे हैं ? इसका अर्थ यही हुआ कि “अरे भेड़ो ! तुम्हें कौन-सा गड़ेरिया चाहिए ? जो गड़ेरिया तुम्हें प्रिय होगा, वही रखा जायगा !” हम कहते हैं, “हम भेड़ नहीं हैं । हमें कोई गड़ेरिया नहीं चाहिए ।” एक कहता है, ‘यह गड़ेरिया अच्छा है, इसे चुनो ।’ दूसरा गड़ेरिया कहता है, ‘हमें चुनो ।’ हम कहते हैं कि ‘आप अच्छे गड़ेरिये हैं या बुरे, हम नहीं जानते । लेकिन न हम भेड़ हैं, न हमें आपकी जरूरत है ।’

फिर वे कहते हैं, ‘हम आपका इंतजाम करेंगे !’ अरे भाई, पहले अपना इंतजाम कर लो, तो बहुत पाया । घोड़े पर सवार होते हैं, पर उसकी सेवा नहीं करते, तो घोड़ा कहता है, ‘आप कृपा करके नीचे उतर आइये !’ आप कहेंगे, ‘फिर हम खरहरा नहीं करेंगे, अस्तवल साफ नहीं करेंगे, घास नहीं खिलायेंगे’, तो वह कहता है, ‘ठीक है, मैं देख लूँगा !’ तो यह ताकत लोगों में तब आयेगी, जब ग्राम-राज्य का संकल्प गाँव-गाँव करेगा ।

कोविलपालयम् (कोटंचनर)

—विनोबा

अनुक्रम

प्रथम भाग

१.	मौजूदा चुनाव-पद्धति के दुष्परिणाम	विनोबा	६
२.	चुनाव की ग्राम खराबियाँ	जवाहरलाल नेहरू	१२
३.	लोक-क्रान्ति की लक्ष्मण-रेखा	दादा धर्माधिकारी	१३
४.	शक्ति सत्ता में नहीं, सेवा में	विनोबा	१६
५.	सीधे जनता तक पहुँचें	"	२२
६.	लोकशाही की कमजोरियाँ	"	२४
७.	अहिंसक राजनीति में विरोधी पक्ष	जो० कॉ० कुमारप्पा	२६
८.	लोकशाही की तीसरी शक्ति	शंकरगव देव	२६
९.	जनतंत्र की लाचारी	नवकृष्ण चौधुरी	३४
१०.	राजनीति से लोकनीति की ओर	दादा धर्माधिकारी	३८
११.	लोकनीति के रूप में ग्रहण	" "	४४
१२.	लोकनिष्ठ राजनीति	" "	४८
१३.	इन्मान की शान हुकूमत नहीं, आजादी	" "	५३
१४.	परिष्कृत लोकशाही और शुद्ध वैज्ञानिक साम्यवाद	" "	५७

दूसरा भाग

१५.	सर्व-सेवा सत्र का चुनाव-प्रस्ताव		६०
१६.	चुनाव प्रस्ताव का अर्थ	दादा धर्माधिकारी	६१
१७.	चुनाव-प्रस्ताव का विश्लेषण	धीरेन्द्र मजूमदार	६३
१८.	पॉवर-पॉलिटिक्स और स्ट्रेंथ पॉलिटिक्स	विनोबा	६६
१९.	चुनाव-प्रस्ताव का दर्शन	"	६८

२०	इलेक्शन लड़ाई नहीं, खेल !	विनोबा	७२
२१	विश्व के राजनैतिक सन्दर्भ में प्रस्ताव	दादा धर्माधिकारी	७४
२२	समझौते की जरूरत	जयप्रकाश नारायण	८०
२३	प्रस्ताव का आधारभूत सिद्धान्त	शकरराव देव	६३
२४	उत्साहप्रद प्रस्ताव	विनोबा	६६

तीसरा भाग

२५	अप्रत्यक्ष चुनाव और प्रचार	विनोबा	१०५
२६	चुनाव प्रस्ताव से उठनेवाले प्रश्न	धीरेन्द्र मजूमदार	१०६
२७	'बहुमत' बनाम 'सहमति'	"	१११
२८	चुनाव प्रस्ताव सत्रधी प्रश्नोत्तर		११५

[प्रथम भाग]

: १ :

मौजूदा चुनाव-पद्धति के दुष्परिणाम

(विनोबा)

[बोधगया-सर्वोदय-सम्मेलन में प्रधान मंत्री पं० जवाहरलालजी नेहरू पधारे थे । इस अवसर पर विनोबाजी ने चुनाव से उत्पन्न दुष्परिणामों की तरफ पंडितजी के साथ सारी जनता का ध्यान सार्वजनिक सभा में आकृष्ट किया । दो वर्ष पहले १९५४ में विनोबाजी ने गया की सार्वजनिक सभा में चुनाव के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किया और जो संशोधन-परिवर्द्धन चाहते थे, उससे आज उनका विचार काफी आगे चला गया है । फिर भी चुनाव-संयन्धी आज के विचारों में संशोधन करने के विचार का सूत्रपात खुले आम वहीं से होता है । अतः- ऐतिहासिक महत्त्व के कारण उस भाषण का वह अंश नीचे दिया जा रहा है ।]

प्रथम तो सोचने की बात यह है कि राजा राममोहन राय से लेकर महात्मा गांधी तक, जिस जाति-भेद पर अनन्त प्रहार होते रहे, उसी जाति-भेद की प्रतिष्ठा, जिसकी कमर टूट चुकी थी, चुनावों का जो तरीका हमारे देश में आया है, उसके कारण मजबूत-सी होती जा रही है । वह मैंने बिहार में देखा, दूसरे भी प्रान्तों में देखा । चुनाव का तरीका लाभदायी समझकर हमने उसे स्वीकार किया है । पर अपने देश की हालत देखते हुए क्या उनमें कोई जरूरी संशोधन करना चाहिए, यह सोचने का अवसर अब आया है । क्या संशोधन हो सकता है, यह चिन्तन-शील लोग सोचें । पर यह नहीं हो सकता कि सारे राष्ट्र की मुख्य चिन्तन-शक्ति

भिन्न-भिन्न प्रकार के चुनावों की परम्परा में ही लगी रहे। देहात से लेकर राजधानी तक के तरह-तरह के चुनाव, अंदर-अंदर के और बाहर के, भिन्न-भिन्न पक्षों के, सतत होते रहते हैं और एक-एक चुनाव में समाज की शक्ति, उसका पैसा, उसका समय, खर्च होता है। उसके अलावा, जो मनमुटाव बढ़ता है, वह अलग। इस पर कुछ सोचने की जरूरत है या नहीं, यह जिम्मेदार नेताओं के लिए एक विषय है। मैं नम्रता से यह विषय पेश कर रहा हूँ।

इस पर कुछ न-कुछ चिंतन हमारा चलता ही है। परन्तु यह किसी एक मनुष्य के चिन्तन का विषय नहीं हो सकता। बहुतांश को इसका चिंतन करने की जरूरत है। क्या यह हो सकता है कि पक्षीय चुनावों को अभी सीमित किया जाय ? क्या कुछ क्षेत्र ऐसे छोड़े जायँ कि जिनमें पक्षीय पद्धति से चुनाव न हो ? क्या यह हो सकता है ? या और भी कोई तरीके ढूँढे जा सकते हैं, यह एक सोचने का विषय है। नहीं तो जिन तरह जाति-भेद एक खतग्रन्थ की चीज हमने मानी है, उन्हीं तरह उत्तरोत्तर अनुभव आयेगा कि इस गरीब देश के लिए, जिसका स्तर मध्यम तरह से गिर चुका है, राजनीतिक पक्षों के बीच जो साठ-गाँठ चलेगी, उससे कहीं तक लाभ होगा ? यह एक सोचने का विषय सहज उठता है। मेरे मन में आता है कि कम से-कम, जो मज्जिन होते हैं, उनकी आदित्यालाजीज में, उनकी कहनाओं में, विचार-मरणा में कितना भी भेद क्यों न हो, उनके बीच कोई एक सर्वांगीण कार्यक्रम पर एकता होनी ही चाहिए।

सबके लिए सयुक्त कार्यक्रम की जरूरत

अगर किसी ऐसे सार्वजनिक उपयोग के सेवा के काम के लिए एकता नहीं बन सकती है, तो मैं यह कहूँगा कि वे मज्जनों के पक्ष नहीं होंगे। मज्जनों में विचार-भेद के मात्रावृद्ध ग्राचार के विषय में कुछ न-कुछ एकरसता, कुछ-न-कुछ समान अर्थ होना ही चाहिए। ऐसा समान अर्थ ढूँढकर उसका प्रोग्राम बनाना चाहिए और उस कार्यक्रम पर हमारी शक्ति केन्द्रित करनी चाहिए। मध्यम लोगों की शक्ति उभार लानी चाहिए और एक आवाज में लोगों के सामने यह चीजें पेश जानी चाहिए। तभी हम देश की जनता में, जो बहुत ही निष्क्रिय

हो चुकी है, कोई प्राण-संचार होगा—क्रिया की प्रेरणा उसको होगी। उसकी जड़ता कुछ कम होगी। यह आवश्यकता बहुत महसूस होती है। मैंने तो नम्रता के साथ कई दफा कहा है कि 'भूदान-यज्ञ' इस तरह का एक कार्यक्रम हो सकता है। उसके साथ दूसरे और भी कार्यक्रम जोड़े जा सकते हैं। उस पर सोचा जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई कार्यक्रम होना चाहिए कि जिस पर भिन्न-भिन्न पक्षों के सज्जनों की एकता हो जाय और उस पर जोरो से अमल शुरू हो जाय।

विचार-मंथन हो, आचार-संवर्ष नहीं

इसका मतलब यह नहीं कि भिन्न-भिन्न विचारों को हम छोड़ ही दें। विचार-भिन्नता का उपयोग भी है। विचार-मथन जरूर होना चाहिए, मैंने यह कई दफा कहा है। आचार-संवर्ष नहीं होना चाहिए। मथन से नवनीत निकलता है, मक्खन निकलता है, इस वास्ते विचार-मथन बहुत जरूरी चीज है। संवर्ष से अग्नि पैदा होती है, जो कि टाहक वस्तु है, इसलिए संवर्ष आचार में नहीं आना चाहिए। विचार का मथन जरूर होता है। तो भाइयो! यह एक चिंतन का विषय हमारे सामने है।

बोधगया

१२-४-१५४

चुनाव की खामियों

(जवाहरलाल नेहरू)

[बोधगया-सर्वोदय-सम्मेलन में प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के सामने विनोबाजी ने चुनाव की खामियों को प्रस्तुत किया और उस सम्बन्ध में चिन्तन-मनन के लिए आह्वान किया। नेहरूजी ने अपने भाषण में चुनाव के सम्बन्ध में अपना विचार व्यक्त किया और खामियों के प्रति अपनी सहमति प्रकट की। नीचे नेहरूजी के भाषण का वह अंश दिया जा रहा है।]

अब यह तो एक ऐसा पेचीदा प्रश्न है कि जिस किसीको जरा भी अनुभव है इन चुनावों का, विनोबाजी ने भी देखा, जैसा कि वे तेज देखनेवाले हैं, हम लोग उसमें फँसे और इसमें कोई सदेह नहीं, जो बात विनोबाजी ने कही, वह सही है। यह खराबी है और बड़ी खतरनाक खराबी है। एक माने में तो यह दुनिया की खराबी है। यानी दुनिया में भी यह बात हर देश में होती है। लेकिन हमारे देश में वह बहुत ज्यादा हो जाती है—जाति-भेद और दूसरे भेद जो हैं, उनकी वजह से। बहुत जल्दी हम प्रान्तीयता में, जाति-भेद में या धर्म-भेद में पड़ जाते हैं। और जो चीजें हमारी शक्ति बढ़ाने की थीं, एकता सिखाने की, वही एकता उन बुराइयों में हो जाती है। अजीब हाल है। तब इसका मैं क्या जवाब दूँ ?

चुनाव के इस प्रश्न को विनोबाजी ने उठाया। बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसमें कोई सदेह नहीं कि अक्सर ऐसे लोग, जिनमें सुबुद्धि हो, जो कि हर तरह से अच्छे हों, वे पसन्द नहीं करते कि इस चुनाव के पास जायँ, क्योंकि वे उसमें जाते हुए दिचकते हैं। समझते हैं, गडगो में क्यों पड़ें, भगड़े में क्यों पड़ें, तू-तू,

मैं-मैं में क्यों पढ़ें, इसलिए ये अलग रहना पसन्द करते हैं। जब हमारे अच्छे लोग चुनाव से अलग रहना पसन्द करते हैं, तो उस चीज में ऐसी कोई खराबी जरूर है, जिससे वे इसमें नहीं आते हैं।

बोधगया

१८-४-५४

: ३ :

लोक-क्रान्ति की लक्ष्मण-रेखा

(दादा धर्माधिकारी)

एक छोटा-सा गाँव है, चाहे छोटा-सा ही क्यों न हो, अपने में एक छोटी-सी दुनिया है। दुनिया बनाने के लिए सभी तरह के लोगों की जरूरत होती है। सभी एक तरह के हों, तो दुनिया फीकी और बेरंगी हो जायगी। इस गाँव में सभी तरह के आदमी हैं। लेकिन दो व्यक्ति प्रमुख हैं। गाँव में हरएक की जमान पर उनका नाम खेलता है। एक की उपाधि है कुलाभिमानी और दूसरे की उपाधि है ग्राम-सेवक। कुलाभिमानी बड़ी दक्षता और जागरूकता से अपने घर का काम-काज करता है और घास का एक तिनका भी या गोबर का एक उपला भी किसीको छूने नहीं देता। बड़ा कुशल और दक्ष गृहपति है। अपने परिवार की शान-शोक्त, धाक और साख सँभालने में सारे गाँव में वही सबसे अधिक व्यवहार-चतुर माना जाता है। गाँव पर उसकी कर्तृत्व शक्ति की छाप है।

कुलधन के लिए आदर, स्नेह और आस्था

ग्राम-सेवक भी चातुर्य, दक्षता और भावधानता में किसी कदर कम नहीं है। लेकिन उसका ध्यान घर की अपेक्षा गाँव के काम-काज में हमेशा लगा रहता है। घर से उठे प्रेम हैं, लेकिन अपने कुल की अपेक्षा गाँव की प्रतिष्ठा का खयाल अधिक है। वह गाँव की शान को अपनी शान मानता है और गाँववालों की वक्त को अपने परिवार की वक्त मानता है। परिवारवाले उसे बेकार समझते

हैं। इसे तो 'गाँव का अदेश है, यह हमारा कोई नहीं लगता। रात-दिन गाँव की धुन इस पर सवार रहती है। परिवार की सम्पत्ति और परिवार की सत्ता बढ़ाने की इसको तनिक भी चिन्ता नहीं है। कुलाभिमानी तो कुलावतस है, लेकिन यह तो कुलधन है।' परन्तु सारे गाँव में कुलाभिमानी के कुल की अपेक्षा ग्राम-सेवक के परिवार के लिए कहीं अधिक आदर, स्नेह और आस्था है।

कुटुम्ब का उद्धार वह करता है, जो कौटुम्बिक स्वार्थों से ऊपर उठकर सार्वजनिक हित की चिन्ता करता है, जिसकी कुटुम्ब-नीति ग्राम-नीति में विकसित हो जाती है।

पक्ष-नीति और लोक-नीति

पक्ष-नीति और लोक-नीति में यही अन्तर है। आज की लोक सत्ता पक्ष-सत्ता में परिणत हो गयी है और लोकनीति का रूपान्तर पक्षवाद में हो गया है। लोगों को सुखी, सतृप्त और समृद्ध बनाने की प्रतिज्ञा सक्ती है और शायद वास्तविक इच्छा भी है। लेकिन हर एक पक्ष की यह धारणा है कि सक्ते सुख का संयोजन मेरे पक्ष की सत्ता, सामर्थ्य और प्रतिष्ठा में ही निहित है। मेरी पार्टी की इज्जत अग्रिम की इज्जत है, मेरी पार्टी की हुकूमत खल्क की हुकूमत है और पार्टी का स्वतंत्र सारी जनता का स्वतंत्र है।

भूदान एक प्रामाणिक प्रयास

इस धारणा में पक्षवाद और प्रभुत्ववाद के बीज छिपे हुए हैं। पक्षनीति आज लोकनीति को क्षीण कर रही है। 'भूदान-यज्ञ आन्दोलन' पक्षनीति को लोकनीति में परिणत कर देने का एक प्रामाणिक प्रयास है।

राज्यनीति का लोकनीति पर आधिपत्य

पक्षनीति की बटौलत राज्यनीति का आधिपत्य लोकनीति पर किस प्रकार स्थापित हो जाता है, यह देखने और समझने की बात है। उम्मीदवार चुनाव में मगड़ा होता है, उम्मीदवार ही फिर है कि चाहे जिस तरकीब या हिकूमत से मैं चुनाव में जीत जाऊँ। वह कोई उपाय उठा नहीं रखता। उसे किसी भी युक्ति-प्रयुक्ति से परहेज नहीं होता। लोक-जीवन की शुद्धता की अपेक्षा, चुनाव की

सफलता का मूल्य वह अधिक मानता है। जितनी पार्टियाँ होती हैं, वे सभी चुनाव की सफलता को अपना तात्कालिक लक्ष्य मानती हैं। सार्वजनिक चारित्र्य की तरफ किसीका ध्यान नहीं होता। यह स्वाभाविक ही है। हर एक पार्टी की यह निष्ठा है कि जब तक हमारे हाथ में हुकूमत नहीं होगी, तब तक सार्वजनिक कल्याण का संयोजन होना असंभव है। इस प्रकार लोक-सत्ता की जगह पक्षनिष्ठ प्रभुत्ववाद ले लेता है और लोक-सत्ता के सिंहासन पर पक्षवाद अपना कब्जा जमा लेता है।

सारा गुड़ मिट्टी हो जायगा

प्रत्यक्ष ससदों और राज्य-परिषदों में क्या होता है? जब कोई सार्वजनिक हित का प्रश्न, प्रस्ताव या विधेयक उपस्थित होता है, तो हर पार्टी के सदस्य की उस तजवीज या सवाल की तरफ देखने की नजर ऊपर-ऊपर से तो अलग-अलग मालूम होती है, लेकिन तब में एक-ही ही होता है। अपना वोट देते वक्त उसे सार्वजनिक हित का खयाल नहीं होता। फिर इतनी ही होती है कि इस मत-गणना का, राय-शुमारी का मेरी पार्टी के लिए क्या नतीजा होगा? पार्टी हार जायगी तो फिर से चुनाव के झूझ में पड़ना होगा, फिर से पैसा खर्च करना होगा, गाँव-गाँव और गली-गली की खाक छाननी पड़ेगी और अगर पार्टी का राज्य खतम हो गया, तो सारा गुड़ मिट्टी हो जायगा।

प्रभुत्ववाद का नाम लोक-सत्ता नहीं

वर्गवाद के संदर्भ में जनतंत्र वर्ग-सत्ता का उपकरण बन जाता है, उसी प्रकार पक्षवाद के संदर्भ में वह पक्ष-सत्ता का औजार बन जाता है। हम लोक-सत्ताशाही को अगर वर्ग-सत्ता की टहलनी नहीं बनने देना चाहते, तो उसे पक्ष-सत्ता की चेरी भी नहीं बनने देना चाहते हैं। आवश्यकता लोगों को सुनी, सपना और मनुष्य बनाने की ही नहीं है, बल्कि अनियंत्रित व्यक्ति-सत्ता ने भी हो सकता है, जिले हम तानाशाही करते हैं, लेकिन जहाँ एक-से अधिक पक्ष होते हैं, वहाँ वे तानाशाही के कायल नहीं होते। वे तो अगर लोकशाही की दुहाई देते रहते हैं। लोकशाही के लिए आवश्यकता इस बात की है कि सामान्य नागरिकों में स्वयं-प्रेरणा, स्वयं-कर्तृत्व और स्वयं-

शासन की सामर्थ्य और प्रवृत्ति बढ़े। जनता को सुखी और सन्तुष्ट बनाने का ठेका अगर कोई पार्टी या गिरोह ले लेता है, तो जनता में जिम्मेवारी की भावना और स्वयं-शासन की प्रेरणा जाग्रत नहीं हो सकती। नागरिकों के प्रभुत्ववाद का नाम लोकसत्ता नहीं है। मेरा आप पर प्रभुत्व और आपका मुझ पर प्रभुत्व यह 'मैं-मैं-तू-तू शाही' है, यह लोकशाही नहीं है। जनता के स्वयं-शासन का मतलब यह है कि किसीका प्रभुत्व किसी पर नहीं चलेगा, सबकी सम्मिलित सत्ता का नियन्त्रण हरएक पर रहेगा। इस लोकनीति के विकास के लिए पद्धतवाद और पद्धतिनिष्ठा न तो उपयोगी है, न उपयुक्त ही है। पद्धतों का अस्तित्व ससदीय लोकतन्त्र में काल-विपर्यय का, अर्थात् किसी सस्था विशेष की उपयोगिता खतम हो जाने के बाद भी उसके बने रहने का एक ज्वलन्त उदाहरण है।

लोकनैतिक आन्दोलन की मूल प्रतिष्ठा

भूदान के कार्यकर्ताओं के लिए यह विचार आज बुद्धिपूर्वक प्रस्तुत किया जा रहा है। सारे देश में ग्रव देशव्यापी चुनाव शीघ्र ही होनेवाले हैं। कहीं-कहीं उनके सुगवने ढोल बजने भी लगे हैं। चुनाव-बहादुगें के हृदय में वीरश्री का संचार होने लगा है। ऐसी स्थिति में लोकक्रान्ति के द्वारा जो व्यक्ति लोकनीति का विकास करना चाहते हैं, उन्हें अपना तौल सँभालना होगा। भूदान-यज-ग्रान्दोलन में हमने एक पथ्य रखने की कोशिश की है। भूदान और सम्पत्ति-दान भूमिवानों से और सम्पत्तिवानों से ही नहीं लिया, बल्कि उन लोगों से भी लिया है, जिनके पास भूमि और सम्पत्ति की मात्रा इतनी थोड़ी है कि उन्हें कोई भूमिवानों और सम्पत्तिवानों में शुमार भी नहीं करता। जिनके पास न भूमि है, न सम्पत्ति है, सिर्फ मेहनत ही जिनका सटारा है, उनकी उम मेहनत का भी दान हमने माँगा है। इस तरह ग्रान्दोलन को सम्पत्ति-निर्पेक्ष रखने की सावधानी हमने निरन्तर सँभाली है। जिन प्रकार हमारा भूमिवान और सम्पत्तिवान व्यक्तियों में कोई विगोध या अदावत नहीं है, उमी तरह से सत्ताधारी पद्धतों और व्यक्तियों में भी कोई विगोध या अदावत नहीं है। परन्तु हम लोकक्रान्ति में विश्वास रखते हैं, इसलिये जनता को सत्तावलम्बी बनाना नहीं चाहते। राज्याश्रयी जनता

लोकसत्ता के लिए आवश्यक लोकनीति और लोकचारित्र्य का विकास नहीं कर सकती। यह लोकनैतिक आन्दोलन की मूल प्रतिष्ठा है। उसका अधिष्ठान राज्यसत्ता नहीं; लोकसत्ता होगा।

पक्षवाद और सत्तावाद की नहर

अतएव लोकक्रान्तिनिष्ठ सभी कार्यकर्ताओं से हमारा साग्रह निवेदन है कि वे भूदान-कार्य के तरक्की देने के मोह से भी चुनावों में किसी प्रकार का सक्रिय भाग न लें। लोकक्रान्ति की गगोत्री के प्रवाह को पक्षवाद और सत्तावाद की नहर में हरगिज न मोड़ें। आज उनके लिए अपनी मर्यादा का पालन करना मुश्किल हो रहा है। चुनाव का बबडर जैसे-जैसे तेज होने लगेगा, अपने कदम धरती पर जमाये रखना उनके लिए और भी मुश्किल होता जायगा। जिन लोगों ने भूदान के कार्य में तन, मन या धन से मदद पहुँचायी है, उनके लिए लिहाज और मुरौबत होना स्वाभाविक है। लेकिन कृतज्ञता के लिए कोई अपने सत्त्व की चलि नहीं देता। कृतज्ञता के लिए कोई व्यक्ति अपने ईमान की कीमत नहीं देगा, कोई स्त्री अपने सतीत्व का सौदा नहीं करेगी और कोई राष्ट्र अपनी आजादी की कुर्बानी नहीं करेगा। उसी तरह लोकनीति को ही जिसने लोकक्रान्ति का आधार माना है, वह राज्यनीति की वेदी पर लोकनीति का बलिदान नहीं करेगा।

इस सार्वजनिक व्यासपीठ की मर्यादा

भूदान-आन्दोलन एक सर्वजनव्यापी आन्दोलन है। पक्षनिष्ठ राज्यनीति में विश्वास रखनेवालों के लिए भी उसमें उतना ही स्थान है, जितना तटस्थ नागरिकों के लिए है। उसमें सबका आवाहन है। मन्त्रिमंडल और विधान-सभाओं के सदस्यों से लेकर पक्ष-संस्थाओं के सदस्यों तक सभीका उसमें सविनय और चापलू निमग्न तथा स्वागत है। अपनी-अपनी पक्षगत राजनीतिक प्रवृत्तियों को संभालने हुए और अपने-अपने पक्ष की प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए इस सार्वजनिक व्यासपीठ पर विनोद उनका आवाहन करते हैं। वे भले ही चुनावों के संयोजन और संचालन में अपनी-अपनी रुचि और निष्ठा के अनुसार भाग लें। उनसे इतनी ही अपेक्षा है कि भूमिदान-यज्ञ-आन्दोलन के मंच का उपयोग पक्ष-

निष्ठ राज्यनीति के लिए वे कृपया न करें। भिन्न-भिन्न पक्षों के व्यक्ति इस व्यास-पीठ पर से पक्षातीत लोकनीति का ही प्रतिपादन करें। परन्तु जिन लोगों ने भूदान-आन्दोलन को ही अपनी एकमेव प्रवृत्ति या प्रधान प्रवृत्ति माना है, अपना सारा समय उसीके लिए अर्पण किया है या जीविका के लिए जो समय देना पड़ता है, उसके अतिरिक्त सारे समय का दान भूदान-आन्दोलन को ही दिया है, उनके लिए तो यही मर्यादा हो सकती है कि वे इस आन्दोलन को सत्ता-निरपेक्ष रखने की कोशिश करें। उनसे हमारी यह अपेक्षा है कि वे न तो खुद चुनाव में उम्मेदवारी करें और न किसी उम्मेदवार के लिए वोट जुटाने का प्रयत्न करें। हर एक क्रान्तिकारी आन्दोलन की एक 'लक्ष्मण-रेखा' होती है। भूदान-यज्ञ आन्दोलन को जिन्होंने अपनी सार्वजनिक प्रवृत्तियों में प्रधान स्थान दिया है, उनको नित्य जागरूक रहकर लोक-क्रान्ति की इस मर्यादा का सङ्क्षण करना चाहिए।

आशा है, इस निवेदन पर वे आस्थापूर्वक विचार करेंगे।

मुरारपुर, गया

२-८-५५

शक्ति सत्ता में नहीं, सेवा में

(विनोबा)

[बोधगया-सर्वोदय-सम्मेलन के बाद आचार्य विनोबाजी का चुनाव और राज्यसत्ता सम्बन्धी चिन्तन और मन्थन चलता रहा। पुरी-सम्मेलन में उन्होंने चुनाव में सुधार का दान से धागे का विचार रखा। उन्होंने मुल्क की सही उन्नति और विकास के लिए बताया कि सत्ता सेविका हो और सेवा सार्वभौम हो। देश में एक ऐसा दल हो, जो लोकशक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करे और जिसका वजन सब पक्षों से भारी हो। इस लक्ष्य की तरफ राष्ट्र को बढ़ाना चाहिए। इसीमें कन्सा है। पार्लियामेंट की असमर्थता का भी उन्होंने उल्लेख किया। विनोबाजी के भाषण का यह अंश नीचे दिया जा रहा है।]

हमारे जो मित्र इधर-उधर भिन्न-भिन्न सस्थाओं में, राजनैतिक सस्थाओं में हैं, उन पर जिम्मेवारी आती है कि वे हम लोगों को कृपा करके थोड़ी मदद दें। मदद वे यह दें कि जहाँ वे बैठे हैं, वहाँ सेवा किस तरह ऊपर उठे, इसके बारे में वे प्रयत्न करें। चाहे वे पी० एम० पी० में हों या कांग्रेस में हों या और भी किसी राजनैतिक सस्था में हों। वहाँ वे पूरी कोशिश इन बातों के लिए करें कि चुनाव का जो सारा जंजाल है, उसमें भी अतिरिक्त रहनेवाली सस्था खड़ी हो। एक सस्था के अन्दर अनेक ग्रूप पैदा होते हैं, तो राजनीति में बड़ी खतरनाक बात मानी जाती है। मैं यह बात नहीं सुनना चाहूँ। मैं ऐसा नहीं सुनना चाहूँ कि वे जो संस्थाएँ राजनैतिक क्षेत्र में काम करती हैं, वे अपने अन्दर कुछ दूसरे-तीसरे ग्रूप बनायें। ऐसी कोई लिफाफिश मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि इनमें से किसीकी ताकत टूटे, जिसे कि वे ताकत समझते हैं। जब वे ही महसूस करेंगे

कि जिसको हम ताकत समझते हैं, वह ताकत नहीं थी, तब तो वे खुद उसका परित्याग करेंगे। उस हालत में सच्ची ताकत उनको हासिल होगी। लेकिन जब तक उनको भास है, उस ताकत के बारे में, तब तक उनकी ताकत किसी प्रकार से टूटे, ऐसी हम इच्छा नहीं करते। परन्तु हम सुझाते यह है कि हमारे जो भाई भिन्न-भिन्न सस्थाओं में हैं, वे यह कोशिश करें कि जिसको वे अहिंसात्मक, रचनात्मक कार्य समझते हैं, वे उन सस्थाओं में प्रधान हो जायें और दूसरी बातें गौण हो जायें। चुनाव को कितना भी महत्व क्यों न दिया जाय, आखिर वह ऐसी चीज नहीं है कि उससे समाज के उत्थान में हम कुछ मदद पहुँचा सकें। वह “डेमोक्रेसी” में खड़ा किया हुआ एक यन्त्र है, एक ‘फारमल डेमोक्रेसी’, औपचारिक लोकसत्ता आयी है। वह माँग करती है कि राजकार्य में हर मनुष्य का हिस्सा होना चाहिए। इस वास्ते हरएक की राय पूछनी चाहिए और मतों की गिनती करनी चाहिए। यह तो हर कोई जानता है कि ऐसी कोई समानता परमेश्वर ने पैदा नहीं की है कि जिसके आधार पर एक मनुष्य के लिए जितना एक वोट है, उतना ही वह दूसरे मनुष्य के लिए भी हो, इस बात का हम समर्थन कर सकें। ऐसी कोई योजना ईश्वर ने नहीं की, लेकिन यह स्पष्ट है कि ५० नेहरू को एक वोट है, तो उनके चपरासी को भी एक ही वोट है। इसमें क्या अक्ल है, हम नहीं जानते। मुझे वह शब्द मालूम नहीं है, जो दमकी अक्ल मुझे समझायेगा। परन्तु जब मैं इसका समर्थन करता हूँ, अपने मन में, तब मुझे बड़ा ही आनन्द होता है। और वह समर्थन यह है कि उसमें मेरे वेदान्त का प्रचार होता है। इसमें आत्मा की समानता मानी गयी है। बुद्धि अलग-अलग है, कम बेशी है। शरीर-शक्ति कम-बेशी है। और भी शक्तियाँ हर-एक की अलग-अलग होती हैं। फिर भी हम हरएक को जो एक-एक वोट देते हैं, उसका इसी विचार से समर्थन होगा कि इसको माननेवाले लोग वेदान्त को मानते हैं। यह बहुत अच्छी बात है और उसी आधार पर हम उसका समर्थन करते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है कि एक-एक हमको मिल गया, जिसके आधार पर हम मान्योगी समाज की स्थापना कर सकते हैं। यह हमको बड़ा अच्छा आधार मिला है।

मत-शक्ति क्रान्ति नहीं ला सकती

परन्तु सोचने की बात है कि जहाँ तक व्यवहार का सवाल आता है कि मतों की गिनती करके एक राज्य हम चलाते हैं, तो उस काम का, मतों की उस गिनती का, बहुत ज्यादा महत्त्व नहीं हो सकता। ऐसा महत्त्व उसका नहीं है कि जिससे समाज-परिवर्तन हो जाय। समाज में आज लोग क्या चाहते हैं, इसे जान लेने से, आगे क्या परिवर्तन हमको करना है, उसकी दिशा सोचने में शायद उसको मदद हो सकती है। परन्तु लोग क्या चाहते हैं, इतना जानने से भी समाज के परिवर्तन की प्रक्रिया में कोई मदद पहुँचती हो, सो बात नहीं। इसलिए चुनाव को कितना भी महत्त्व प्राप्त हो, व्यावहारिक क्षेत्र में तो मूल्य-परिवर्तन का जहाँ तक सवाल है—और मूल्य-परिवर्तन के बिना तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा—वहाँ वह गौण वस्तु हो जाती है। इतना समझकर हमारे जो लोग वहाँ हैं, वे इतना कार्य करें कि वहाँ बैठ करके बहुत जोर दें रचनात्मक काम के लिए और अगर उनको यह महसूस हो कि नहीं, वहाँ एक ऐसा मसाला है कि जो हमारे सारे प्रयत्न को शून्य बनाता है, विफल बनाता है, ऐसा कुछ मसाला वहाँ है, तो फिर उनको वहाँ से निकल आना चाहिए। ऐसा अगर वे करते हैं, तो हमारे जैसे लोग, कम शक्ति के लोग, जो बड़ा भारी जिम्मा उठाने के लिए मजबूर किये गये हैं, उनको कुछ मदद मिलेगी।

पुरी

२५-३-५५

सीधे जनता तक पहुँचें

(वित्तोवा)

कुछ लोग कहते हैं कि अब पार्लियामेंट में, असेम्बली में हमारे लोग हैं, वे कहते हैं कि वहाँ हमारी आवाज कुछ ज्यादा कर नहीं पाती। कुछ अल्पमत में हैं, कुछ बहुमत में हैं। जो बहुमत में है, वे चाबुक के नीचे हैं। इसको अंग्रेजी में "हिप" कहते हैं। तो जो बहुमत में है, वे चाबुक के नीचे हैं और जो अल्पमत में है, वे तो अल्प ही हैं। उनका क्या चलेगा ? उनके वास्ते चाबुक की भी जरूरत नहीं है। उनके लिए चना भी नहीं है। सिर्फ तबले में ही है। तो जो दोनों प्रकार के लोग पार्लियामेंट में जाकर बोलते हैं कि हम कुछ अच्छी बात वहाँ रख सकते हैं और अपनी आवाज हम सरकार में पहुँचाते हैं, तो क्या सरकार इतनी बहरी बन गयी है कि बाहर सभा में कोई बात बोलेगा, तो वह नहीं सुनेगी और पार्लियामेंट में जाकर गिरफ्तार होकर सुनेगी ? क्या वहाँ बोलेंगे तभी आवाज सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे ? क्या आप यह समझते हैं कि हम एक काम करते चले जायें, जनसमूह में पेटे, जनता की ताकत बनती जाय और उस हालत में हम कहीं व्याख्यान दे देते हैं, प्रार्थना-सभा में समझिये, उसका जो असर होगा, उससे ज्यादा असर हम यदि पी० एस० पी० में दाखिल हो जायें, या कांग्रेस में दाखिल हो जायें और फिर वहाँ जाकर एक व्याख्यान दें, पार्लियामेंट में दें, तो ज्यादा असर होगा ? वह सोचने की जरूरत है कि अपने मत-प्रदर्शन के लिए अनुचित स्थान कौन-सा है ? इन नौकरों के पास जाकर हम क्या रोयें अपनी कानूनी ? उनके मालिकों के पास ही हम क्यों न पहुँचें ? और मालिक कौन है ? इन्दुस्तान में आज मालिक कौन है ? मालिक है जनता। तो सीधे हम मालिकों

के पास जायें और अपनी बात रखें, तो उसका सीधा असर नौकर पर होगा और वह काम कर लेगा। हम वहाँ नौकरों के पास जाते हैं, तो वे कहते हैं कि आप कहते तो हैं, लेकिन लोकमत क्या है? अगर उनको यह समझाने जायें कि भाई, खादी के पत्र में मिलो को बन्द करो तो वे पृच्छते हैं, लोकमत क्या है? लोकमत अगर वैसा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, पर इसके लिए लोकमत अनुकूल नहीं है। इस तरह हर बात में वे लोकमत की दुहाई देंगे और हमारा आपका विचार अच्छा है, यह भी साथ-साथ कहते जायेंगे। हमारे विचार को गलत कहते, तो और मला होता, जरा चर्चा भी चलती। पर जब हम कहते हैं कि आपका विचार अच्छा है, तो बात खतम हो गयी। जहाँ हमारे विचार को अच्छा बना दिया, वहाँ हमारा मुँह तो बन्द हो गया और उनका तो हाथ चलता नहीं, क्योंकि वे कहते हैं कि हमारा हाथ तो ऐसे यत्र में फँसा है और उस यत्र को चलाने के लिए तो जनता का हमको मेरुटेड, आदेश, है। तो हमारी ज्ञान कुठित ही है वहाँ पर। इस वास्ते लोकमत तैयार करने में ही हमारी ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति, जो हमारे हाथ की है, सागे, सीधे लोगों के पास पहुँचकर ही उनको जाग्रत करने में लगनी चाहिए, ऐसा हमको लगता है।

पुरी

२५-३-१५५

: ६ :

लोकशाही की कमजोरियाँ

(विनोबा)

यह जो लोकशाही का विचार है, उसमें एक न्यूनता रह गयी है। उसमें आत्मा की एकता को पहचानकर वोट का अधिकार तो दे दिया। लेकिन फिर वे वोट की गिनती करने लगे और उन्होंने तय किया है कि ५१ लोगों का एक मत है और ४९ लोगों का दूसरा मत है, तो ५१ लोगों को अधिक मान्यता दी जायगी और राज्य-सत्ता उनको दी जायगी। यहाँ पर वे वेदात को भूल गये। वेदात उनको अच्छी तरह पचा नहीं है। उसका एक अंश उनके ध्यान में आया, पर दूसरा अंश उनके ध्यान में नहीं आया। जैसे उन्होंने आत्मा की एकता को मान्य किया, वैसे उनके ध्यान में आना चाहिए कि आत्मा के संयोग से कोई वृद्धि नहीं होती है, आत्मा की गिनती नहीं होती है। उनके ध्यान में यह आना चाहिए कि यह गणित का विषय नहीं है, वेदात है, इसलिए इसमें संख्या का सवाल गौण हो जाता है। सर्वोदय ने वह कर्मा पूरी की है।

सर्वोदय कहता है कि भाई, जो वेदात तुम सीखे हो, उसको तुम पूरी तरह से पूर्ण करो। सत्रका विचार मान्य करके काम करो, पाँच मनुष्यों में से तीन मनुष्यों की राय एक और और दो मनुष्यों की राय दूसरी और, तो तीन मनुष्यों का विचार सत्य, यह विचार गलत है और चार मनुष्य का अभिप्राय एक और और और निर्णय एक मनुष्य का अभिप्राय दूसरी और है, तो चार मनुष्यों के अनुकूल फैसला लिया जान, यह भी गलत है। पाँचों एकमत में जो राय देंगे, जो फैसला देंगे, वही मान्य होगा, उस विचार को कबूल न करने के कारण दुनिया के कुल देशों में मेजरिटी और माइनागिटी के झगड़े चले हैं, उनके कारण गाँव-गाँव में पञ्चभेद होते हैं और गाँव गाँव का छेद होता है।

इलेक्शन की गलत राजनीति

आप लोगों ने सुना होगा कि इस भूदान-आंदोलन में उड़ीसा के एक जिले में नौ सौ गाँव पूरे-के-पूरे दान में मिले हैं। याने उन गाँवों में जितने लोगों के पास जमीन थी, जो मालिक कहलाते थे, उन्होंने अपनी मालकियत छोड़ दी और अपनी कुल-की-कुल जमीन ग्रामवासियों के सुपुर्द कर दी। यह ग्रामदान भूदान-आंदोलन का परम उत्कर्ष है। इतना उत्तम कार्य कोगपुट में हुआ है, परंतु अब सवाल यह पैदा होना है कि आगे इलेक्शन आनेवाला है, इसीलिए भिन्न-भिन्न राजनैतिक पार्टियाँ गाँवों में पहुँच जाती हैं और वहाँ भेद पैदा करने की कोशिश करती हैं। वे गाँव जो अपनी मालकियत छोड़ चुके हैं, जिन्होंने अपना एक परिवार बना लिया है, वहाँ जाकर यह छेद बनाना चाहता है। वे यह नहीं समझते हैं कि इस तरह की राजनीति, जिससे गाँव के दो-दो टुकड़े हो जाते हैं, उससे हिन्दुस्तान का क्या भला हो जायगा ? हिन्दुस्तान में जो प्रान्तीय भेद थे, वे क्या काफी नहीं थे ? हिन्दुस्तान में जो भिन्न-भिन्न भाषाएँ हैं और भाषाओं के झगड़े चले हैं, वे भेद क्या कम थे ? जाति-भेद की अग्नि तो समाज को लगी ही है, वह क्या कम है ? और धर्म के झगड़े भी यहाँ खड़े हैं, क्या वे काफी नहीं हैं ? यहाँ पर असख्य मत-सप्रदाय के भेद थे, वे क्या कम हो गये ? यहाँ पर ब्राह्मण-अब्राह्मण के जो झगड़े चलते हैं, वे क्या कम थे ? अब इसके बीच यह पार्टी का भेद डालकर भारत की क्या उन्नति होने-वाली है ? उसका परिणाम यह होता है कि किसी अच्छे काम को करने के लिए भी कोई पद इकट्ठे नहीं होते हैं। वे कहते हैं कि उत्तम जिस मनुष्य के साथ हम काम करेंगे, उत्तम भी मरुत्त्व बढ़ेगा। टर्माँलिए अच्छा काम भी करेंगे, तो हमारी सत्था को इसकी क्रेडिट मिलनी चाँदिए। सामने-वाला कोई अच्छा वान करता है, तो उसके हेतु पर आरोप करते हैं और उसका वह कार्य यशस्वी न हो, हमकी भी कोशिश की जाती है। इतने सारे भेद इसलिए हैं कि टेमोक्रेमी ने सख्या का आधार मान्य किया है। उन्होंने आत्मा की अपना कचूल की, लेनिन फिर आत्मा की गिनती करने लगे। लेकिन गिनती उननी करनी होती है, जो एतु नहीं होते, अलग-अलग होते हैं। इस

हालत में सख्या पर जोर देते हैं, तो बुद्धि पर क्यों नहीं देते हैं ? क्या यह बात सही है कि डक्यावन मनुष्य की बुद्धि मिलाकर उन-चास मनुष्यों की बुद्धि से हमेशा ज्यादा होती है, आजकल डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का राज्य चलता है, तो हमने एक दफा विनोद में सवाल पूछा था कि इस दुनिया में आज की हालत में अपने देश में मूर्ख लोग ज्यादा हैं कि अक्लवाले ज्यादा हैं ? तब वे बोले कि मूर्खों की सख्या अधिक है। अधिक सख्या का सिद्धान्त आपने उठाया, तो क्या आप मूर्खों का राज्य करना चाहते हैं ? इसीलिए वेदान्त-सिद्धान्त को ठीक तरह से समझ लीजिये और कबूल कर लीजिये कि सिद्धान्त यही है कि आत्मा में भेद नहीं है। इसीलिए सबका समाधान जिसमें होता है, वही करना चाहिए।

काचीपुरम्

२६-५-१९६

: ७ :

अहिंसक राजनीति में विरोधी पक्ष

(प्रो० डॉ० कुमारप्पा)

अहिंसक राज्य में 'गजा ना विरोधी पक्ष' (हिज मेजेस्टीज अपोजिशन के लिए जगह नहीं है। फिर भी 'विरोधी पक्ष' का काम तो होना ही चाहिए। उनके बिना कोई सरकार काम नहीं कर सकती। विरोधी पक्ष का मुख्य फर्ज है, सरकार की नीति को कुछ खाम दिशाओं में मोड़ना। नुक्ता-चीनी बग्नेवाला की जल्द होती है। लेकिन उनका दायाग हिंसक उपायों से अलहदा होना चाहिए। इंग्लैण्ड में जो विरोधी पक्ष है, वह हिंसक राज्य-व्यवस्था का ही अग्र है। मेग सुभाष यह है कि विरोधी पक्ष नदी के किनारों की तरह होना चाहिए। नदी के किनारे, जय तक वे मजबूत चट्टान के हों, नदी की बारा फो उनके पाट में मर्यादित रखते हैं। लेकिन चट्टान तो चट्टान ही है। इसलिए वह नदी के पाट में लुढ़ककर उमड़ी बाग को गेरु नहीं देती। इंग्लैण्ड में ऐसा

होता है। विरोधी पक्ष के मन पर हमेशा यह बात असर करती रहती है कि आये दिन हम भी हुकूमत की गद्दी पर होंगे।

प्रतिस्पर्धा का गलत अर्थशास्त्र

नदी के प्रवाह का नियमन उसके किनारे जिस तरह करते हैं, उसी तरह देश की सरकार का नियमन उन सत्ताओं को करना चाहिए जो कि सरकारी ढाँचे से बाहर की हो। इंग्लैंड इन बात पर गर्व करता है कि उसकी पार्लियामेंट दुनिया भर की पार्लियामेंटों की 'आदिमाता' है। वहाँ सत्कारी स्वर्ण से 'राजा का विरोधी पक्ष' चलाया जाता है। उसका काम यह है कि सरकार जो कदम उठा रही हो या उठाने का इरादा करती हो, उसका नियंत्रण करने के लिए उस पर लोकमत की तेज रोशनी डाले। ब्रिटिश पार्लियामेंट वह रणभूमि है, जहाँ राजनैतिक योद्धाओं में अनेक प्राणतक द्वन्द्व खेले जाते हैं। जो योद्धा परास्त होते हैं, वे विजेताओं के लिए जगह खाली कर देते हैं। पार्लियामेंट के वाद-विवाद में अगर ढाँव लग गया, तो आज जो विरोधी बेंचों पर बैठे हैं, वे ही कल बड़ी शान से सरकारी बेंचों पर बैठे हुए दिखाई देंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंटरी पद्धति में विरोधी पक्ष की यही भूमिका है। प्रतिस्पर्धा का अर्थशास्त्र राजनीति के क्षेत्र में टाकिल क्रिया गया। उसका यह नतीजा है।

साम्राज्यवाद का लालच

आर्थिक क्षेत्र में जो साम्राज्यवाद मौजूद है, उसका प्रतिविम्ब मंत्रिमण्डल की बनावट में भी दिखाई देता है। केंद्रित उद्योगों के लिए यह जरूरी है कि सत्तार की दश-दिशाओं से कच्चा माल पुटाया जाय और उसका पक्का माल बनाकर दुनिया के हर कोने के बाजारों में भेजा जाय। इसके लिए पैसे का उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर करना पड़ता है और यातायात के साधन तथा राजनैतिक सत्ता अपने हाथ में लेने की आवश्यकता पैदा होती है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वैदेशिक नीति, आर्थिक व्यवस्था, सेना, नाविक सेना और वैमानिक सेना इत्यादि साधन अनिवार्य हो जाते हैं। इसलिए ब्रिटिश-मंत्रिमंडल में इन मन्त्रियों को बड़ी

इज्जत की जगह दी जाती है और उनकी तरफ हर शख्स लालचभरी आँखों से देखता रहता है।

स्पर्धा और साम्राज्यवाद दोनों की जड़ें हिंसा में हैं।

अर्थ-रचना अहिंसा और सहयोग की हो

हमारे देश ने शासन की बागडोर सम्हाली है। अगर हम अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो हमारे शासन का स्वरूप क्या होगा ? हमारी सरकार को भी एक ऐसी 'परिशोधक' (गलती सुधारनेवाली) ताकत की जरूरत होगी, जो 'विरोधीपक्ष' का फर्ज अदा कर सके। लेकिन हम तो ऐसी अर्थ-व्यवस्था चाहते हैं, जो कि सहयोग की बुनियाद पर खड़ी हो, न कि स्पर्धा या होड़ की बुनियाद पर। हमारी अर्थ-व्यवस्था में विरोधी सदस्य इस ताकत में नहीं रहेंगे कि कब पार्लियामेंटरी बहस का पासा हुकूमतनशीन पार्टी के खिलाफ पलटता है और कब हम हुकूमत पर सवार होते हैं। अहिंसा और सहयोग की अर्थ-रचना में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए कोई गुंजाइश नहीं। हमारा उद्देश्य मंत्रियों की जगह लेने का नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उनके सामने समाज-रचना के ऐसे नमूने पेश करने चाहिए, जिनका वे अनुकरण कर सकें। रचनात्मक कार्यकर्ताओं को अपने व्यक्तिगत उदाहरण से रास्ता दिखानेवाली मशाल की तरह उन्हें सही रास्ते की तरफ ले जाना चाहिए।

लोकसेवकों का संगठन

अहिंसक अर्थ-रचना में रचनात्मक कार्यकर्ताओं पर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है। इस मार्गदर्शक शक्ति का विकास करने के लिए रचनात्मक कार्यकर्ताओं के एक संगठन की जरूरत होगी। उनकी लोकसेवा ही उनकी शक्ति का अधिष्ठान होगी और उनके काम का गुण ही उनका अधिकारपत्र होगा। मंत्री इस संस्था में प्रेरणा पायेंगे और वह संस्था हम देश के धर्म-निरपेक्ष राज्य को सनाए तथा मार्गदर्शन देगी। इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए यह संस्था ऐसे न्यायी लोगों की बननी चाहिए, जिनकी एकमात्र आकांक्षा लोकसेवा ही हो।

ऐसी राज्यव्यवस्था में मन्त्रिमंडल के हाथ में ऐसे महकमे होंगे, जो स्वयंपूर्ण अर्थ-रचना के लिए जरूरी हैं। खेती, जमीन की तरक्की, जमीन के कटाव का इलाज, खेती के लिए नयी जमीनें तैयार करना, मौजूदा जमीनों को खाद देना, आव-पाशी, बाढ़-नियंत्रण, जंगल, ग्रामोद्योग और गृहोद्योग, खनिज पदार्थ, भारी उद्योग, लोक-स्वास्थ्य, शिक्षण और गृह-विभाग—ये मुख्य महकमे होंगे। ऐसी राज्य-व्यवस्था में विदेश-नीति, वित्त-विभाग और सरक्षण-विभाग, चाहे वे कितने ही महत्त्व के क्यों न हों, फिर भी उनका इतना महत्त्व नहीं रहेगा कि वे मंत्रियों को सँपे जायँ।

इस तरह की राजनैतिक व्यवस्था में रचनात्मक कार्यकर्ताओं का यह सगठन लोगों को शोषण से बचाने के लिए जिरहखल्लर का काम देगा। इस भूमिका पर जो सरकार बनेगी, वह लोकनीति को आवश्यक प्रोत्साहन देगी और उनके कल्याण का निश्चित रूप में आयोजन कर स्वराज्य को जनता तक पहुँचायेगी।

८ अगस्त, '४८

: :: :

लोकशाही की तीसरी शक्ति

(शंकरराव देव)

वस्तुनिष्ठ या आत्मनिरपेक्ष (Objective and Impersonal) विचार तथा आचार आज दुर्लभ हो गया है, वह बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है। मेरे मत में वस्तुनिष्ठ तथा आत्मनिरपेक्ष विचार और आचार लोकशाही का प्राण हैं। आज की शत्रु लोकशाही से भी अगर वह प्राण छुन हो गया, तो भारत में लोकशाही की समृद्धि भृंगजलवत् सिद्ध होगी। फिर सर्वोदय-समाज की प्रस्थापना का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जिन समाज के व्यक्तियों में वस्तुनिष्ठ तथा आत्मनिरपेक्ष विचार और आचार का गुण न हो, उन व्यक्तियों का बना हुआ समाज सर्वोदय-समाज हो ही नहीं सकता।

भिन्न-भिन्न देशों की लोकशाही यदि अपने-अपने भिन्न मार्गों से विकसित नहीं होगी, तो वह लोकशाही ही नहीं रहेगी या नहीं कही जा सकेगी। लोकशाही,

लोगों द्वारा निर्मित राज्यपद्धति या जीवनपद्धति का नाम है। रत्नागिरी जिले के और उस जिले की किसी खास जगह के 'हपुस' ग्राम की कलम या ठाणों जिले के 'चिक्कु' की कलम दूर के किसी इलाके में ले जाकर लगायी जाय, तो उस इलाके की आब्रहवा का तथा जमीन का असर उस कलम की वृद्धि पर और उसके रस तथा रुचि पर होता है, यह हम सबका अनुभव है। प्रकृति का यह नियम लोकशाही के लिए भी लागू है। जैसा लोगा का सत्त्व (Being) और जैसी उनकी प्रकृति (Genius), वैसी उनकी लोकशाही। अर्वाचीन लोकशाही का जन्म पश्चिम में हुआ। फिर भी इंग्लैण्ड, फ्रान्स, अमेरिका, स्कॉटलैण्ड तथा दक्षिण और पूर्व यूरोप के देशों में प्रत्येक देश के लोगों का सत्त्व और प्रकृति की विशेषता वहाँ की लोकशाही में पायी जाती है, तब भारत ही इस नियम के लिए अपवाद कैसे हो सकता है ?

पिछली डेढ़ दो सदियों तक अंग्रेजों का हम पर राज्य रहा। इसलिए उनकी धर्म, उनकी संस्कृति, उनकी शिक्षण-पद्धति, समाज पद्धति, राजनैतिक तथा आर्थिक विचार-प्रणाली और सन्धानिष्ठ व्यवहार इत्यादि सारी बातों का हमारे मन पर गहरा परिणाम हुआ है। इन नाना क्षेत्रों में उनकी कई बातें हमने स्वीकार कर ली हैं, बल्कि उनमें से कुछ हमने आत्मसात् भी कर ली हैं। हमारी लोकशाही का सविधान इंग्लैण्ड तथा अन्य पश्चात्य देशों का लोकशाही के नमूने पर बनाया गया है। मनुमन्त्रों जिन तरह सभी फुलों से मधु लेती है, उन्हीं वृत्तियों से दूसरे देशों की लोकशाही में जो जो अच्छा मालूम हुआ, उसका समग्र हमने अपने सविधान में किया। सविधान बनाते समय हमारी वृत्ति अधिकतर, बल्कि यह कहिये कि पूरी तरह, वर्तमान थी। सविधान बनाते वक्त हमें मानों इस बात का कोई बोध ही नहीं था कि हमारा भी अपनी कोई स्वतंत्र प्रकृति और परंपरा है। इसलिए भारतीय लोकराज्य के सविधान पर जो आरोप किया जाता है कि उसमें हमारी प्रकृति या परंपरा का प्रतिबिम्ब नहीं है, उस आरोप से इनकार करना मुश्किल है। उन नियमों में हमारी कोई प्राचीन प्रकृति या परंपरा है भी, या है ही नहीं, यह प्रश्न विवादस्पद है। इसलिए उसे छोड़ दे, तो भी हमारी स्वतन्त्रता की लड़ाई में हमारी जो प्राचीन परम्परागत प्रकृति प्रकट हुई और स्वतंत्रता-संग्राम के

सिलसिले में गाधीजी ने हमारे सामने जो भ्येय रखा और उनके लिए उन्होंने जिन साधनों का उपयोग किया, उनका भी कोई विशेष परिणाम हमारे सविधान में नहीं दिखाई देता, यह बात भी खेद के साथ माननी चाहिए। परंतु सविधान बनाते समय जो बात नहीं हो सकी, उसका होना सविधान को कार्यान्वित करते समय अनिवार्य ही है, इसका अनुभव, मैं समझता हूँ, आज हम सबको हो रहा है।

हमने गाधीजी के नेतृत्व में अहिंसा या सत्याग्रह के अर्थात् हृदय-परिवर्तन के मार्ग से स्वातंत्र्य प्राप्त करने का प्रयत्न किया। हाल ही में दूसरे एक सन्दर्भ में लोकसभा के अपने एक भाषण में पंडितजी ने कहा था, “हम भी एक क्रांति की सन्तान हैं।” विचार और आचार के क्षेत्र में यह क्रांति गाधीजी प्रणीत क्रांति ही है। इस क्रांति में हमने एक निराली ही तीसरी शक्ति का उपयोग किया। अब तक ससार सिर्फ दो ही शक्तियों से परिचित था : एक बौद्धिक और दूसरी पाशविक। आज की पाश्चत्य लोकशाही इन्हीं दो शक्तियों को मानती है और उनका उपयोग करती है। हमने अपनी आजादी की लड़ाई में बौद्धिक सिद्धान्त का उपयोग किया, यह तो स्वाभाविक ही था। परंतु जहाँ और जत्र यह शक्ति कुटित हो गयी, वहाँ उसे पशुवल का आधार न देकर गाधीजी के नेतृत्व में हमने उसे नैतिक शक्ति का आधार दिया। लोकशाही को चरितार्थ करने में हम तीनों शक्तियों से काम ले रहे हैं। इन तीनों शक्तियों में से पहली दो शक्तियों का उपयोग दूसरे देशों ने किया और आज भी कर रहे हैं। हम भी यदि इन्हीं दो शक्तियों का उपयोग करें, तो ऐसी कोई तर्कसङ्गत तथा न्यायसङ्गत आशा के लिए जगह नहीं रहेगी कि दूसरे देशों में जिन मार्ग से लोकशाही का विकास हुआ, उनसे कुछ भिन्न मार्ग से हमारे देश की लोकशाही का विकास होगा या उसमें हमारी प्रकृति और परंपरा का यथार्थ प्रतिबिम्ब दिखाई देगा। जिन मात्रा में हम उस तीसरी शक्ति का उपयोग करेंगे, उसी मात्रा में हमारी लोकशाही का विकास अन्य देशों की लोकशाही की अपेक्षा भिन्न मार्ग से होगा और उसमें हमारा प्रकृति एवं परम्परा का यथादृश्य आधार रहेगा। लोकशाही के उज्ज्वल भविष्य की दृष्टि से हमारे लिए यह अभिमान का विषय है। और संसार की दृष्टि में सुदैव

का लक्षण है कि इस तीसरी शक्ति का शुद्ध रूप में प्रयोग करने का प्रयास हमारे देश में हो रहा है।

लोकशाही के प्रयोग में आज इस तीसरी शक्ति से इस देश में काम लिया जा रहा है। नतीजा यह है कि लोकशाही पद्धति याने कम-से-कम दो पार्टियों की होनी चाहिए, वह इसका स्वभाव ही है, यह जो विचार पश्चिम से आया, उसमें क्रांति होने के लक्षण दिखाई देते हैं। अब तो पश्चिम के भी कुछ विचारवत लोग कहने लगे हैं कि पद्धति एक दोष है, जो लोकशाही में पैदा हो गया है। इस दोष से लोकशाही को मुक्त कैसे करें, इसका केवल विचार ही नहीं, अपितु आचार भी हमारे देश में शुरू है।

भारतीय हृदय पर या मत पर इस तीसरी शक्ति का अर्थात् मन-परिवर्तन की नैतिक शक्ति का परिणाम होता है। अतः आज यहाँ ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी है कि कोई भी राजनैतिक पक्ष अपने साथी और साधन पर दृढ़ रहकर सत्तावादी राजनीति का आचरण कर ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए कम्युनिस्ट पार्टी को ऐंग्लो ब्रह्म का तत्र छोड़कर मतपेटी (बैलट बॉक्स) का आश्रय करना पड़ा है। प्रजासमाजवादी पक्ष के अनभिपक्ष अध्वर्यु श्री जयप्रकाशजी ने सर्वोदय को स्वीकार किया है और इस घटना का उनके पक्ष की विचारधारा पर गहरा असर हुआ। कांग्रेस को समाजवादी पद्धति की समाज-रचना का ध्येय स्वीकार करना पड़ा है। हाल ही में प० जगहरलालजी ने सार्वजनिक रूप से घोषित किया है कि भारत के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धान्त ही हितकर होगा। भिन्न-भिन्न पक्षों के उद्देश्य और साधनों में लोगों को कोई खास फर्क नहीं दिखाई देता और न वे पक्ष कोई खास फर्क दिखा ही सकते हैं। कांग्रेस की दृमगी पंचवार्षिक योजना से प्रजासमाजवादी और साम्यवादी पक्षों के कुछ कुछ मतभेद हैं, किन्तु तत्त्वतः इन दोनों पक्षों के लक्ष्यमन्थित नेताओं ने इस योजना को सामान्य रूप से अपनी स्वीकृति दी है। नव कांग्रेस ने अपना ज्येष्ठ लोकतांत्रिक समाजवाद या समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना करना निश्चित किया है। फिर भी लोगों को वह आग्रहपूर्वक समझाने की कोशिश करती है कि हमारी समाज-रचना में और सर्वोदय-समाज-पद्धति में फर्क नहीं है। नागरिक यह कि इस देश में मत-परिवर्तन की जो प्रक्रिया

शुरू हो गयी है, उसमें सभी राजनैतिक पक्ष, उनके मत और कार्यक्रम पिघल रहे हैं। किसीके पैरो के नीचे स्थिर भूमि नहीं रह सकती।

तीसरी शक्ति के प्रयोग

दूसरे देशों की तरह इस देश में भी अगर मत-परिवर्तन की प्रक्रिया का आधार केवल बुद्धि ही होती, तो यहाँ ये परिणाम कदापि नहीं निकल सकते थे। सर्वोदयनिष्ठ व्यक्तियों से लेकर साम्यवादी पक्ष तक सभी अपने-अपने मत की प्रस्थापना के लिए या अपने-अपने कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए निःशस्त्र प्रतिकार, असहयोग, कानून-भंग, उपवास आदि के रूप में, चाहे कितनी ही अशुद्ध अवस्था में क्यों न हो, इस तीसरी शक्ति के ही भिन्न-भिन्न अंगों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस देश में पक्षभेदों की आज की अवस्था इसीका परिणाम है। भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा तथा राजनैतिक पक्षों द्वारा किये जानेवाले इस तीसरी शक्ति के प्रयोगों में जैसे-जैसे अशुद्धता कम होगी, वैसे-वैसे भारतीय लोकशाही समृद्ध होती जायगी। फिर एक सत्ताधारी पक्ष और एक सत्ताकांक्षी विरोधी पक्ष, यह जो आज की लोकशाही का सदोष रूप है, उसका अन्त होगा। गांधीजी जिस अहिंसात्मक शुद्ध लोकशाही की स्थापना करना चाहते थे, उसके गस्ते पर भारत के कदम तेजी से आगे-आगे बढ़ने लगेंगे, दूसरे देश भारत से गह प्रकृत हुए उसका अनुसरण करने लगेंगे और धीरे-धीरे साग नसार उर्सा गस्ते पर चलने लगेंगे।

—एक पत्र से

भूदान-पत्र

२१-६-५६

जनतंत्र की लाचारी

(नवकृष्ण चौधुरी)

सरकार पहले सिर्फ टैक्स वसूल करने तथा अमनचैन रखने आदि का काम करती थी। अब लोककल्याण-गज्य की कल्पना आयी है कि सरकार को हर एक काम करना चाहिए। सरकार ही तालीम, आरोग्य, खेती, सहयोग, कारीगरी आदि के मामले में सब कुछ करेगी। पाँच साल में लोग एक ही बार वोट देंगे और फिर हाथ पर हाथ धरकर बैठेंगे। यह ठीक है कि यह प्रक्रिया अभी आखिरी षट तक नहीं पहुँची है और लोग बहुत सारे काम अपने आप ही कर लेते हैं, लेकिन यह शका मौजूद है कि अगर कभी सचमुच इस तरह सारी व्यवस्था सरकार के कब्जे में आ जाय, तो व्यक्ति-स्वातंत्र्य भी खतरे में होगा, क्योंकि लोग अधिक से अधिक सरकार पर अवलंबित हो जायेंगे।

अमेरिका की शोचनीय स्थिति

आज अमेरिका आदि के समाजशास्त्री और मानसशास्त्रियों में यही विचार चल रहा है कि समाज की छोटी-बड़ी जिम्मेवारी खुद लोग ही कैसे उठावें ?

वहाँ शासन-व्यवस्था तथा अर्थ-व्यवस्था आदि बहुत ही केंद्रीभूत हो जाने के कारण उममें अपनी बुद्धि, प्रतिभा तथा कार्यशक्ति के प्रयोग का मौका लोगों को बहुत ही कम मिलता है। इसमें वहाँ के लोग अपने जीवन में काफी व्यर्थता महसूस करते हैं और परिणाम में उन देशों में आत्महत्या और मानसिक व्याधियाँ बुर चढ़ती जा रही हैं। अमेरिका में भौतिक सुखों की कमी तो नहीं है, परंतु इन्मान के लिए इतना ही काफी नहीं होता है। गाना, पहनना, ममान, दवा-दारु आदि के खलाना इन्मान के जीवन की मर्थकता के लिए और भी कुछ चाहिए। उमने पदोन्नति की मेरा का तथा उनके लिए त्याग करने का कुछ मौका मिलना चाहिए।

आपस में मिलजुल कर कोई नया पराक्रम करने का भी मौका मिलना चाहिए । इन्सान बहुतेरे मार्गों से अपने को सार्थक बनाना चाहता है । पर सरकार के एक बने-बनाये साँचे में सबको ढाल दिया जाय, तो मानव की मानवता ही दब जायगी ।

रूस की दयाजनक स्थिति

रूस के भौतिक विकास के लिए स्टालिन ने काफी काम किया था, फिर भी आज उस देश के लोग यही शिकायत कर रहे हैं कि उसीके कारण वहाँ की संस्कृति, कला और विज्ञान का विकास रुक गया था । ऐसा कहा गया है कि इस पतन में से अपने को उठाने में इस देश को बीसों साल लग जायेंगे । दुनिया की इस प्रकार की स्थिति को नजर में रखते हुए ही हमको लोकनीति पर सोचना चाहिए ।

जमीन का कानून असफल क्यों ?

जनकल्याण के कार्यक्रमों की दृष्टि से अपनी-अपनी चुनाव-सूची घोषणाओं (Election manifesto) में किसी भी पक्ष की ओर से कोई कमी नहीं रखी जाती । लेकिन फिर भी भूमि और दूसरी समस्याओं के बारे में मूलभूत सुधार के लिए कोई कानून नहीं बन पाता । इसके कारणों की हम यदि छान-बीन करें, तो यही पायेंगे कि अपनी जमीन बचाई पर देकर गुजारा करनेवाले मध्यम-वर्ग के लोग ही आज की विधान-सभ्यता के सदस्य हैं, फिर वे किसी भी राजनैतिक पक्ष के क्यों न हों ! वहाँ मजदूर या बर्दाश्तदार को कोई स्थान नहीं है । निर्वाचन की प्रणालिका भी जिस प्रकार बनी है और निर्वाचन के क्षेत्र (Constituencies) भी जिस प्रकार के बड़े-बड़े बने हैं, उनको देखते हुए यह कर्तव्य संभव नहीं है कि कोई गरीब मनुष्य चुनाव के लिए खड़ा हो । वैसे ही किसीको खड़ा होना हो, तो उसे किसी पैमाने पर राजनैतिक पक्ष का सहारा लेकर खड़ा होना पड़ेगा और यही देखा गया है कि जो भी थोड़े से हरिजन तथा आदिवासी आदि विधान-सभ्यता में जाते हैं, वे धीरे-धीरे जमीन खरीद कर बर्दाश्त पर देने लग जाते हैं और इस तरह शोषक-वर्ग में चले आते हैं ।

चुनाव के समय गाँव की स्थिति का अध्ययन किया जाय, तो वहाँ के लोगों

में कोई आदर्शगत विचार देखने को नहीं मिलेगा। हर एक गाँव में अक्सर स्थानीय भगदों के कारण दो-तीन पक्ष रहते हैं। चुनाव के समय इन्हीं पक्षों के नेताओं को वोट हासिल करवा देने के लिए कांग्रेस, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट पक्ष के प्रचारक पकड़ते हैं। किसी एक पक्ष का प्रचारक अगर पहले ही गाँव में पहुँचता है और किसी एक पक्ष के मुखिया को अपनी ओर खींच लेता है, तो वे उस पक्ष के हो जाते हैं। फिर दूसरे विरोधी पक्ष के लोग किसी दूसरे राजनैतिक पक्ष में शामिल हो जाते हैं। इस तरह गाँव की कौनसी पार्टी किस राजनैतिक पक्ष को स्वीकार करती है, यह सिर्फ सयोग की बात होती है।

इस प्रकार आज एक अवास्तविक स्थिति पैदा हो गयी है। सिर्फ विरोध करना है, इसलिए विरोध किया जाता है। देश की भलाई के लिए क्या करना चाहिए, उस बात पर वास्तव में पार्टीवालों में अब मुख्य-मुख्य सवालों के बारे में बहुत बड़ा मतान्तर कर्तव्य नहीं रहा है। मतान्तर दिखाने के लिए पार्टीवाले बहुत सारे छोटे-छोटे गौण सवालों को ही ढूँढ निकालते हैं, किसी विषय की सूक्ष्म तफसील में जाकर बाल की खाल निकालते हैं। ऐसी स्थिति देश में बनी रही, तो देश की उन्नति नहीं होगी, यह श्री अशोक मेहता जैसे लोग भी अब महसूस करने लगे हैं। विकास के लिए त्याग चाहिए। पेट के लिए आज ही सब न खा डालकर कल के लिए भी पूँजी लगानी चाहिए। पर, आज किसी भी पक्ष की सरकार इस तरह के काम करने जाय, तो यह सम्भावना है कि दूसरी पार्टीवाले जनता को भड़कायें कि 'दुग्धो, ये तुम्हारे पैसों से क्या-क्या करने जा रहे हैं?' परिणामतः देश के विकास में रुकावटें आ पहुँचती हैं। इसलिए देश की विशिष्ट समस्याओं के बारे में कोई ऐसा सर्वममत्त कार्यक्रम कायम करने की आवश्यकता आज के सभी पक्षों के मनन-शील लोग महसूस कर रहे हैं, जिनके बारे में मतभेद जाहिर न किया जाय और उनमें सफल बनाने में हर कोई सहकार करे। सर्वोदयवालों की तटस्थ वृत्ति को उन लोग आज शका की दृष्टि से देखते हैं। पर पहले जब भारत ने विश्व-राजनीति में तटस्थ वृत्ति अपनायी, तब भी रूस तथा अमेरिका, दोनों चिढ़ गये थे। लेकिन भारत की तटस्थता न महत्त्व आज वे दोनों महसूस कर रहे हैं। वे देखते हैं कि इस तरह का एक तटस्थ पक्ष बनने के कारण ही उन्हें अपनी बमझने-डगनेवाली

नीति को (Bank of war policy) समय-समय पर बदलने का एक सुयोग तथा वहना मिल जाता है। “ऐसा न हो, तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे”, करते-करते कत्र टकर हो जायगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। भारत तटस्थ तथा ठठे दिमाग से समस्याओं के बारे में सोचता है, इसलिए सघर्ष रोकने के लिए इस दिशा में काफी सफलता भी प्राप्त कर रहा है।

हमारे देश के राजनैतिक पक्षवाले भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। विनोबाजी जैसे व्यक्ति के पक्ष-भेदों से दूर रहने के कारण ही आज सत्र पक्षों के लोग उनकी बात इज्जत में और ध्यान से सुनते हैं। लोगों को शात और तटस्थ विचार मिलता है। गाँव-गाँव में इस तरह के पक्षरहित कार्यकर्ता रहेंगे, तो देश की हालत सुधर जायगी।

इसलिए भूदान के कार्यकर्ताओं को चुनाव से अलग रहना चाहिए और राजनैतिक पक्षवालों को भी अपने पक्ष में खींचने की कोशिश उन्हें नहीं करनी चाहिए।

राजनीति से लोकनीति की ओर

(दादा धर्माधिकारी)

जिस लोक-सत्ता का विकास हम करना चाहते हैं, उस लोकसत्ता के अन्तिम सिद्धान्त क्या होंगे और उसके चित्र की साधारण रूपरेखा क्या होगी इस पर हम यहाँ विचार करेंगे ।

क्रांति के विधायक चरण

सबसे पहले हम यह देखें कि इसके रचनात्मक, विधायक कदम क्या होंगे, भावरूप (Positive) कदम क्या होंगे ।

आर्थिक स्वयंपूर्णता और आर्थिक विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ राजनैतिक विकेन्द्रीकरण का आरम्भ होगा । राजनैतिक इकाई (अर्थात् व्यवहार की सुविधा के लिए बनी हुई इकाई) जैसे कि जिला, आर्थिक इकाई और प्रतिनिधित्व की इकाई (अर्थात् चुनाव के लिए मुर्कर मतदान-मंडल का क्षेत्र) में कम-से-कम अंतर होगा । इन्हें हम यथासंभव समब्याप्त (समान क्षेत्रफल में फैले हुए Co-extensive) बनाने की कोशिश करेंगे । ये छोटे-छोटे क्षेत्रफल इकाइयाँ बन जायँगी, जिनमें कि वोट खरीदने या छीने नहीं जा सकते, याने जिनमें प्रलोभन भी नहीं है और जिनमें डर भी नहीं है और एक नागरिक दूसरे नागरिक के सामने बराबरी के नाते पेश हो सकता है, वहाँ पर औपचारिक मतदान (Formal Voting) नहीं होगा । जिसे आज हम वोटिंग कहते हैं, उस तरह की मतगणना और उस तरह के मतदान की आवश्यकता वैसे क्षेत्र में नहीं होगी । एक अभिप्रेत मतदान (latent Voting) होता है । सारे समाज का एक मत, एक लोकमत होता है, एक सम्मति होती है । तो लोगों का जो मत है, वही उनका मत वोट होगा । इसमें उर्मादवागी किर्माकी नहीं होगी । और जो कोई होगा, जिसके हाथ में व्यवस्था

सौंपी जायगी वस्तुनियंत्रण (Administrations of things) (व्यक्ति नियंत्रण नहीं) का अधिकार जिसे सौंपा जायगा, उसे सर्व-सम्मति से सौंपा जायगा । उममें कोई किसीके विरोध में खड़ा नहीं होगा । यहाँ सर्व-सम्मति का अर्थ इतना ही है कि एकाध कोई शख्स विद्वित हुआ या एकाध आदमी ऐसा हुआ कि जो कहना है कि मैं विरुद्ध हूँ, तो उसको बहुत ज्यादा कीमत नहीं होती है, क्योंकि लोग उसको जान लेते हैं, अर्थात् अक्सर यह सर्वसम्मति से ही होती है ।

इस प्रकार का यह साधारण चित्र मैंने आप लोगों के सामने रखा है । अब हमसे आगे हमको किस-किस दिशा में कदम उठाने हैं और वह कदम हम कैसे उठाते चले जायेंगे, इसका मैं थोड़े में विवेचन करूँगा ।

मममें पहली बात, पहला कदम, जिसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत नहीं, वह यह है कि आज के चुनाव में से कैम्बेसिंग विल्कुल निकल जानी चाहिए । लोगों को किस तरह से सक्रिय बनाना चाहिए, इसकी बात आपके सामने मैं रख रहा हूँ । हमारी इच्छा यह नहीं है कि लोगों का मुँह सत्ता की ओर ही बना रहे । लोगों को हम सत्ताभिमुख नहीं बनाना चाहते । लोगों को अब हम जिम्मेदार बनाना चाहते हैं । लोकशाही लोक-स्वातन्त्र्य में परिणत होनी चाहिए । नागरिक की स्वतंत्रता में—आज भी नागरिक-स्वातन्त्र्य-संघ (Civil liberties union) निबलते हैं—लोकशाही परिणत होनी चाहिए । परन्तु आज क्या है ? आज तो कार्य (Function) उम्मीदवार (Candidate) ही करता है । अर्थात् उम्मीदवार ही सक्रिय होता है । मसलन नागरिक आता है और कहता है—‘दादा ! मैं खड़ा हूँ ।’

‘अच्छी बात है, जो खड़े हो ।’

‘नहीं, इतनी सी बात नहीं है । आपको यहाँ मत देने, वोट देने के लिए चलना होगा ।’

‘मैं नहीं जानता हूँ कि किसीको मत देना चाहिए ।’

‘आप जानते हैं, यह तो हमको मालूम है । मगर हम आपके पास किस लिए आये ?’

‘किसलिए आये हो, भाई ?’

दुर्जनता की यही परख मानी जाय। सज्जनता और दुर्जनता की और कोई परख नहीं हो सकती। जब यह कहा गया था कि मेरी माँ से अधिक सज्जन स्त्रियाँ दुनिया में बहुत कम हैं, लेकिन यह किसी अछूत को स्पर्श नहीं करती तो उसकी सज्जनता को वोट देकर मैं क्या करूँगा? उसके हाथ में तो मैं कानून नहीं सौंप सकता। घर में उसकी पूजा करता हूँ। उसके चरण छूता हूँ। लेकिन मैं अपनी माँ को वोट नहीं दे सकता, क्योंकि वह तो अस्पृश्यता को मानती है।

इसलिए लोक-चारित्र्य जिसमें विकसित हो गया हो, नागरिक-जीवन में वही सज्जन है। लोक-चारित्र्य को मैंने तीन कसौटियाँ बतायी हैं : १. जिस आदमी में अराजकता की याने कानून का दुरुपयोग करने की भावना न हो। कानून से बचने की भावना भी अराजकता की भावना है। २ जिसमें अधिकार का दुरुपयोग करने की भावना न हो। ३ भ्रष्ट होने का लालच जिसके मन में न हो। ऐसा आदमी अगर पक्षनिष्ठ नहीं है और दल उसे अपने में शामिल नहीं कर सकते, तो ऐसे आदमी के लिए जगह खाली छोड़ देनी चाहिए। हर पार्टी इतनी मर्यादा मान ले। हर क्षेत्र में ऐसे मनुष्य तो होते ही हैं, अतः उनके लिए सीट खाली छोड़ दें। हम अपने दल में इनको नहीं ले सकते, आप भी उन्हें अपने दल में नहीं ले पाते हैं, तो कोई बात नहीं। हम उसके लिए अमुक जगह खाली छोड़ देंगे, यह हर एक पक्ष को समझ लेना चाहिए। इसे मैं हर पक्ष का, अपने पक्ष से ऊपर उठना कहता हूँ।

ये असफलताएँ भी आगे ले जायँगी

अभी किसीने यह करके देखा नहीं है। इसलिए लोग कहेंगे कि इस तरह से तो बात चल ही नहीं सकती, जैसा कि लोग कहते हैं कि व्यापार भूट के बिना चल ही नहीं सकता और राज-काज कुशलतापूर्वक भूट बोले बिना (डिप्लोमेसी के बिना) चल ही नहीं सकता। इस तरह लोगों ने मत बना लिये हैं, वगैर अनुभव के। मैं कहता हूँ कि यह प्रयोग तो कीजिये और अगर इस प्रयोग में असफलता आयेगी, तो भी लोक-मत्ता का एक कदम आगे बढ़ेगा। सही दिशा में, गन्धे शब्द पर जो असफलता आयी है, उससे भी आगे कदम बढ़ता चला

जाता है। 'स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य वायते मृतो भयात्'—'गीता'। मैंने गांधी के बारे में एक दफा कहा था कि इसकी अमफलताएँ भी स्वराज्य को दूसरों की सफलताओं की अपेक्षा अधिक नजदीक ले जाती हैं। इसलिए इसका मार्ग क्रांतिकारी मार्ग और स्वराज्य का मार्ग हम मानते हैं। तो जैसे गांधी की असफलता हमें आजादी के ज्यादा नजदीक ले जाती है, वैसे ही आप यदि कन्वैसिंग छोड़ दें एव लोगों को पक्ष से ऊपर उठना सिखायें, तो लोकशाही के, लोकसत्ता के ज्यादा नजदीक लोगों को यह कदम ले जायगा। लोगों से मतलब है, अपने उम्मीदवार से।

और तीसरी बात, जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, वह है : "पार्टियों उम्मीदवारों से दरखास्तें माँगना बन्द कर दें।" मैंने तो यहाँ तक कहा है कि गाँव में ही उम्मीदवारी कोई न करे। पर ऐसा आप नहीं कर सकते, तो कम-से-कम पार्टी में तो उम्मीदवारी न हो। नहीं तो वहाँ क्या हुआ, पिछली दफा दिल्ली में। हम सबसे पूछा गया कि तुम बतलाओ कि तुम दूसरों से कैसे अच्छे हो। तो अब अपने गुण क्या बतलाऊँ ? ये ही नहीं मेरे पास कोई। तो, नागरण कैसा बुरा है, इसका कच्चा चिठा मैंने दिल्ली भेज दिया। और नागरण ने क्या किया कि दादा कैसा बुरा है, इसका चिठा दिल्ली भेज दिया। अब दिल्लीवालों के पास क्या है ? नागरण की बुराई का एक कैटलॉग और दादा की बुराई का दूसरा कैटलॉग। गुणों के कैटलॉग किसीके पास हैं ही नहीं। देखिये न कैसा दोष-संग्रह बहाँ हुआ। प्रथम दोषविष्करण हुआ और बाद में दोषों का संग्रह उन्होंने कर लिया कि अब हमारी पार्टी में कितने आदमी किस तरह बुरे हैं। इसका काफी अच्छा लेख उनके पास हो गया। उनके गुणों का लेखा हो नहीं सका। क्यों ? अपनी ईमानदारी सिद्ध करने के लिए मुझे दूसरे की बेईमानी खोजनी होती है और जब सब एक-दूसरे को बेईमानी खोजते हैं, तो आविष्कार बेईमानी का ही हो जाता है।

—सागरमती के विचार-गित्रि के भाषणों से

: ११ :

लोकनीति के रूप में अहिंसा

(दादा धर्माधिकारी)

गाधीजी और कांग्रेस

जब गाधीजी ने भारत की जनता को निःशस्त्र प्रतिकार के बदले सत्याग्रह की दीक्षा देने की कोशिश की, तब उनकी बात का पूरा-पूरा मतलब हमारे कुछ बड़े-बड़े नेताओं की समझ में भी नहीं आया। करीब-करीब सभी नेताओं ने और कांग्रेस जैसी जनसम्मत सस्था ने भी उनके सिद्धान्त को तात्कालिक नीति के रूप में ही स्वीकार किया। जिस हद तक हमने सत्याग्रह के सिद्धान्त का प्रत्यक्ष आचरण किया, उस हद तक जनता की शक्ति बढ़ी और हमें सफलता मिली। उस समय हमारी यह नीति थी कि केवल राजनीतिक क्षेत्र में जहाँ-जहाँ अंग्रेज सरकार का सामना हमको करना पड़ेगा, वहाँ-वहाँ हम अहिंसा से काम लेंगे। हमारे सामाजिक अथवा धार्मिक क्षेत्रों में भी हम अहिंसा का पालन करने के लिए अपने को बाध्य नहीं समझते थे। अहिंसा को सिद्धान्त के रूप में स्वीकार करना और नीति के रूप में स्वीकार करना, इस प्रकार अलग-अलग समझा जाता था। गाधीजी ने भी एक तरह से इस मर्यादा को सम्मति दे दी थी।

तात्कालिक नीति

परन्तु अब स्वतन्त्रता के बाद हमको यह विचार करना चाहिए कि यदि हम व्यावहारिक नीति के रूप में भी अहिंसा को अपनाना चाहें, तो उसका स्वरूप क्या होगा। जवाहरलालजी और हमारे गजनेता बराबर यह कहते आये हैं कि दुनिया के प्रमुख राष्ट्रों को दृष्टिगत छोड़ देना चाहिए और शान्ति के हवा पैदा करनी चाहिए। लेकिन अपनी आन्तरिक समस्याओं को हल करने में कोई भी राष्ट्र केवल शान्तिमय उपायों से काम लेने का सन्चार्य के साथ प्रयत्न नहीं कर सकता

है। यदि व्यावहारिक नीति के रूप में अहिंसा को स्वीकार करने का प्रयास आज हो, तो सबसे पहले राष्ट्र का आन्तरिक संयोजन और आन्तरिक समस्याओं के समाधान का प्रयत्न अहिंसा के आधार पर होना चाहिए।

आजादी और कैदखाना

हमने अक्सर पृष्ठ किया जाता है कि क्या आप लोगों के हाथ में हुकूमत आने पर आप पौज को बग़्गस्त कर देंगे ? हथियारों से खसत ले लेंगे ? सिद्धान्तपरायण व्यक्ति नम्रता और निश्चय के साथ जवाब देगा : जी हाँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए यदि यह मान भी लिया जाय कि अभी हम दूसरे राष्ट्रों के आक्रमण का सामना अहिंसा से नहीं कर सकते और इसलिए हमें सेना और शस्त्र रखने होंगे, तो भी इतना तो हम निश्चयपूर्वक कह ही सकते हैं कि हम अपने देश के नागरिकों के खिलाफ फौज और हथियारों का उपयोग नहीं करेंगे। इतना पक्का इरादा भी हम देश की कोई सरकार कर पाती है, तो वह जनतंत्र को वास्तविक बनाने में एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाती है। आज हम देखते हैं कि देश में गैंग्पौजी नागरिक शासन जैसा कोई चीज ही नहीं रह गयी है। फुटकर से फुटकर अशान्ति की बाग्दात के लिए फौज या हथियारबद पुलिस तलब की जाती है। बुनियादी नागरिक स्वतन्त्रता काफ़ूर हो गयी है। जनता की हिफाजत के लिए उसे कठघरे में मुद्द बन्द करके मुग्जित रखना पडना है। सारा राष्ट्र आजादी का कैदखाना बनता जा रहा है। बाहर हम नि.शस्त्रीकरण के और शान्ति के जोरदार नारे बुलद करते हैं और भीतर बाग्ग हथियारों के और सगौनों के अमन कायम नहीं कर सकते। नीति के रूप में भी यह अहिंसा का परिहाल है।

संपत्ति और प्रतिष्ठा का चितरण

इसलिए समाग निवेदन है कि भारतवर्ष के राजनेता और लोकनेता कम-से-कम आन्तरिक मामलों की हद तक तो सेना और शस्त्र का प्रयोग न करने का प्रण कर लें। नमाज में उत्र तक विगमता रहेगा, तब तक प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, सम्पन्न और विगन्-वर्ग अदशद रहेंगे। प्रतिष्ठित और सम्पन्न-वर्ग अपनी दिग्जिति संभालने की दिग्ग में रहेगा। अप्रतिष्ठित और विगन्-वर्ग अपनी पग्गिस्थिति

बदलने के लिए अधीर हो उठेगा। इसका एक ही उपाय है। सम्पत्ति और प्रतिष्ठा वॉट दी जाय। फलस्वरूप विपत्ति भी अपने-आप वॉट जायगी। जब ऐसा होगा, तो कानून का अमल करने के लिए न तो डंडे का सहारा लेना पड़ेगा, न तलवार का। साधारण प्रबन्ध के लिए मुल्की पुलिस और मुल्की अफसर काफी होंगे। शासन जनता के अनुशासन के आधार पर चलेगा, न कि बलप्रयोग के सहारे। मर्यादित अर्थ में भी इसीका नाम जनतंत्र हो सकता है।

लोकशाही के वेश में तानाशाही

इस वास्तविक जनतंत्र की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश देश की मौजूदा राजनीतिक पार्टियों में से कोई भी पार्टी नहीं कर रही है। सबको यह भ्रम है कि हुकूमत हाथ में आने पर जादू की छड़ी से हम समाज की शकल बदल सकेंगे। शायद लोक-कल्याण की उत्कट अभिलाषा के कारण वे यह भूल गये हैं कि हुकूमत से जितना काम लिया जायगा, उतना ही लोगों में अनुशासन कम होता चला जायगा। कानून को हमेशा हथियार की ताकत का भरोसा करना पड़ेगा और लोकशाही का कहीं ठौर-ठिकाना नहीं रहेगा। लोकशाही के लिवास में तानाशाही अफ़ड़ के साथ इतराती टुट्ट दिखाई देगी।

शान्ति ही नियम है

कुछ लोगों का खयाल है कि वगैरे शस्त्र और दण्ड के भय के आन्तरिक शान्ति रखना भी यदि अमम्भव नहीं, तो मुश्किल जरूर होगा। इस सम्बन्ध में उतना ही नम्र निवेदन है कि आज की अग्रान्त परिस्थिति में भी शान्ति ही समाज का नियम है और अशान्ति एक आमस्मिक घटना है। अक्सर देखा गया है कि चालीस पचास गाँवों के लिए पुलिस का एक थाना होता है। एक थाने में आठ से दस तक जवान रहते हैं। उन जवानों में से भी दरअसल कितने जवान होते हैं, पता सवाल ही है। फिर भी ग्राम तौर पर देहातों में शान्ति रहती है। मतलब यह है कि नागरिकों के बीच परस्पर मद्भाव और शान्तिप्रियता ही सामाजिक शान्ति का वास्तविक आधार है। उममें बाधा पहुँचानेवाली जो सामाजिक विषमताएँ हैं,

उनका निराकरण शीघ्रातिशीघ्र करना वास्तविक शान्ति की स्थापना का एकमात्र उपाय है।

राजसत्ता की जगह लोकसत्ता

सत्ता और कानून अपने हाथ में लेने की होड़ में से लोगों में शान्तिप्रियता का विकास कोई नहीं कर सकेगा। सत्ता की होड़ का स्पष्ट शब्दों में अर्थ है, एक-दूसरे पर राज्य करने की कोशिश। दो आदमी एक-दूसरे के कन्धे पर नहीं बैठ सकते। परन्तु उसमें से एक-दूसरे के लिए अविश्वास और आशका पैदा हो जाती है। इसलिए हमारी यह निष्ठा है कि जिस मात्रा में फौज और पुलिस के शासन की जगह नागरिक शासन लेता जायगा, उसी मात्रा में राजसत्ता की जगह लोकसत्ता की प्राणप्रतिष्ठा होगी। हमारा प्रयत्न शासन अपने हाथ में लेकर गजदण्ड के द्वारा लोगों में शान्ति और स्वास्थ्य स्थापित करने का नहीं है। अनुभव से हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि लोकसत्ता में कानून जिस हद तक लोक-ममत्त होता है, उसी हद तक उसका अमल होता है, केवल दण्ड-शक्ति से लोकतन्त्र में कानून का अमल होता हुआ नहीं पाया गया। आये दिन लोकसत्ता और लोकराज्य को सुरक्षित बनाने के नारे हमारे राजनेता लगाते हैं। इसलिए वहाँ वास्तविक लोकसत्ता की प्राणप्रतिष्ठा का मार्ग नम्रतापूर्वक सूचित किया गया है।

अनिवार्य शर्त

गराश यह कि अहिंसा का प्रयोग चाहे व्यापक और देश-काल बाधित लोकधर्म के रूप में हो या फिर देश-काल परिस्थिति मर्यादित प्रजानीति के रूप में हो, उसकी सफलता की अनिवार्य शर्त यह है कि उसमें सच्चाई, लगन और निष्ठा होनी चाहिए। ए. ज. पंडित कहता है कि अहिंसा नीति का प्रयोग पहले आंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किया जाय और बाद में राष्ट्र के आन्तरिक क्षेत्र में। उसका आशय यह है कि आन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शान्ति स्थापित होने पर आज के समान शतावसियों की और प्रचण्ड सेनाओं की कोई जरूरत नहीं रहेगी। प्रत्येक देश अपनी आन्तरिक शान्ति संभालने के लिए जितनी आवश्यक होगी, उतनी ही सेना रखेगा।

लोकसत्ता में से लोक-स्वतन्त्रता

परन्तु इस उपाय से हम जनता को शस्त्रशक्ति और दण्डशक्ति से मुक्त नहीं कर सकते। लोकसत्ता का परिपाक लोक-स्वतन्त्रता में होना चाहिए। इस दृष्टि से यदि कोई जनतन्त्रात्मक सरकार देश की आन्तरिक व्यवस्था में और शासन में उत्तरोत्तर शस्त्रबल और दण्डशक्ति का प्रयोग योजनापूर्वक कम करती चली जाय, तो वह सारे समाज को वास्तविक लोक-स्वतन्त्रता की ओर अग्रसर करने का श्रेय लेगी। इस दृष्टि से व्यावहारिक नीति के रूप में अहिंसा में श्रद्धा रखनेवाले विचारकों के लिए विनयपूर्वक ये सुझाव रखे गये हैं।

मद्रास

३१-५-'५४

: १२ :

लोकनिष्ठ राजनीति

(दादा धर्माधिकारी)

उस दिन यूनेस्को का उद्घाटन करते हुए ससार के सुप्रसिद्ध दर्शनशास्त्री और भागत के गण्ड-उपाध्यक्ष डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन् ने कहा कि यह जमाना हथियारबद्ध कायगता का है। कायगता ने अपने हाथ में हथियार इसलिए रखे हैं कि वह दृमगे के हमले में उरती है और हथियार चलाती इसलिए नहीं है कि उसे हिम्मत नहीं होती। जो उसे के मागे हथियार चला नहीं पाती, उसीका नाम तो कायगता है। डा० राधाकृष्णन् ने बहुत जोर देकर कहा कि इस कायगता से इन्मान को उग्रनेवाली एक ही ताकत है और उस ताकत का नाम है अहिंसा।

हुकूमत की जगह बन्धुत्व

ता० १७ नवम्बर को अनेरिका के संयुक्त राज्य की राज्य-परिषद् में भाषण करने हुए डा० राधाकृष्णन् ने कहा कि आज तक दुनिया में जोग-जगदन्ती में तुल्य रहने की कोशिश ही गयी। अब हम जगदन्ती की जगह समझाने-बुझाने

की नीति को दाखिल करना चाहते हैं। हुकूमत की राजनीति की जगह बहुत्व की राजनीति—भार्द्वचारे की सियासत—जारी करना चाहते हैं। अपनी अदम्य निष्ठा घोषित करते हुए डा० राधाकृष्णन् ने कहा कि अगर हम असफल हुए, तो भी वह असफलता थोड़े दिनों की होगी, क्योंकि वस्तुमात्र में अच्छाई की जड़ें गहरी जमी हुई हैं। निष्ठा और निर्वयता का अगर ससर्ग लग सकता है, तो सदयता और स्नेह का भी लग सकता है। दोनों समान रूप से सक्रामक हैं। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलालजी तो आये दिन कहते रहते हैं कि दरवार और हुकूमत की राजनीति का जमाना लद चुका।

इन उद्गारों का महत्त्व ?

संसार के एक प्रमुख दर्शनशास्त्री और एक प्रमुख आतर्गामीय राज्यपुरूप के ये उद्गार क्या उन लोगों के लिए कोई महत्त्व नहीं रखते, जो राज्यसत्ता हस्तगत करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। क्या डा० राधाकृष्णन् के और जवाहरलालजी के शब्द बाहर की दुनिया पर अपनी नैतिक धाक जमाने के लिए ही हैं या दरअसल इस देश की राजनीति पर उनका कोई प्रत्यक्ष परिणाम होने-चाला है ?

पार्टीपरस्ती और खुदगर्जी

आनेवाले चुनाव की तरफ देश के बहुत-से छोटे-बड़े राजनैतिक नेताओं की निगाह है। उनमें से कुछ, जो कि पार्टीपरस्त हैं, इस चिंता में हैं कि चुनाव में हमारी पार्टी कैसे जीते। लेकिन पार्टीपरस्त व्यक्ति भी इने-गिने ही होते हैं। ज्यादातर उम्मीदवार खुदगर्ज हैं। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने से मतलब है। इसलिए वे चुनाव में अपनी नफ़लता का पक्का बंदोबस्त कर लेना चाहते हैं; उनमें किसी तरह के धोरणों की गुजाइश नहीं रहने देना चाहते।

इसका नतीजा

जग नतीजा दगिये। हमारे एक मित्र बड़े राजनीतिज्ञ हैं। कपट-नीति में निराल हैं। कुछ व्यक्त-ने दिजाई दिये। हमने पूछा : आप बात हमसे कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं और है। आपका ध्यान वहाँ हुआ है। कहने लगे : आपने

ठीक ताड़ लिया। आजकल जीने-मरने के सवाल में फँसा हुआ हूँ। हमने पूछा : आपका मतलब ? उन्होंने जवाब दिया : हमारा चुनाव-क्षेत्र जो निर्धारित हो रहा है। हमने कहा : उसमें भलाड़े की बात ही क्या है। उस इलाके की जनता को ठीक-ठीक प्रतिनिधित्व मिले, यही तो आपको देखना है न। इसके लिए इतनी दौड़धूप और हलकानी की क्या जरूरत ? कहने लगे : इतना ही होता, तो फिर किसीको परेशानी न होती। हमें फिकर इस बात की है कि चुनाव-क्षेत्र हमारे सुआफिक बने, जिससे हम बगैर तकलीफ के चुने जायें। हम अपनी मर्जी का नकशा बनाना चाहते हैं। इसलिए इतनी सारी तरद्दुद में पड़े हुए हैं।

शाहशाह की जगह लोकशाह

यही वह हुकूमत की राजनीति है, जिसका जिक्र डा० राधाकृष्णन् और जवाहरलालजी ने किया है। आज हरएक राजनैतिक व्यक्ति अपने-अपने लिए हुकूमत का एक-एक दायरा बनाने में मशगूल है। हमारे यहाँ पुराने जमाने में सम्राट् और शाहशाह के बहुत से माण्डलिक तथा सामत होते थे। अब शाहशाह नहीं रहा, जमाना लोकशाही का है, इसलिए हरएक को फिकर लोकशाह बनने की है। जवाहरलालजी लोकशाह के तख्त से रखसत होना चाहते हैं, लेकिन जो दरअसल हुकूमतपरस्त लोग हैं, वे तख्तनशीन बनना चाहते हैं। उनका लोकशाही का नकशा कुछ और ही है। एक सबसे बड़ा लोकशाह देहली के तख्त पर बैठता है और बाकी के सारे छोटे-छोटे फुटकर लोकशाह अपने लिए सिंहासन बना लेते हैं। लोकशाह के ये माण्डलिक पार्लिमेण्ट, असेम्बली, कौन्सिल और बोर्डों के मदस्य कहलाते हैं। ये अपने-अपने हल्के की जनता के मुनीम कहलाते हैं। लेकिन अपने को मालिक समझते हैं। इसलिए हरएक को चुनाव-क्षेत्र-गढ़ छीलकर ठीक करने में इतनी दिलचस्पी होती है।

लोकमान्य और जयप्रकाश वावू

लोकमान्य तिलक की प्रशंसा में एक बार उनके प्रमुख प्रतिपत्नी माननीय गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि यह आदमी पुगने जमाने में या किसी दूसरे देश में पैदा हुआ होता, तो अपने लिए एक राज मगन कर लेता। उन लोकमान्य

से जत्र किसीने पूछा कि क्या स्वराज्य के बाद आप भारतीय लोकगज्य के अथ्यत्त हंगे, तो उन्होने कहा कि वहाँ बैठकर मै क्या करूंगा ? मै तो किसी कॉलेज मे गणित का प्रोफेसर बनेंगा और डिफरेशियल कैल्क्युलस पर किताब लिखूंगा । मेरी बहुत दिनों की तमन्ना है । इसीमें लोकमान्य की लोकमान्यता है । उसका रुख तख्त की तरफ नहीं था । जनता की तरफ था । यहाँ हम देखते हैं कि जय-प्रभाश बाबू सत्ता की राजनीति से मुँह मोड़कर क्रान्ति की लोकनीति के मार्ग पर सकल्पपूर्वक आ गये हैं । जो लोग व्यग्य-चित्र बनाते है, वे अक्सर जयप्रकाश बाबू को एक हाथ में कमंडलु लिये हुए, गले में तुलसी की माला पहने, दूसरे हाथ में संन्यासी का ढड सँभाले हुए कौपीनवत (खलु भाग्यवतः) के रूप में दिखाते हैं । उनका इशारा यह होता है कि जो कोई सत्तावाद से अलग रहने की कोशिश करेगा, वह व्यवहारविमुख्य व्यक्ति है, दुनियादागी से अलग होकर बैरागी और फकीर बनना चाहता है । इसका मुख्य कारण यह है कि राजनीतिज्ञ सारे ससार को सत्ता-मूलक और सत्तात्मक ही मानता है । इसलिए लोगों की भलाई करने की मशा से वह उन पर हुकूमत करने का लाइसेन्स चाहता है । घोड़े से आदमी कहता है : मै तुम्हे खूब खिलजँगा और टुष्ट-पुष्ट करूंगा । शर्त इतनी ही है कि मुझे तू अपनी पीठ पर तग कसने दे । मिमाल कुछ अटपटी मालूम होती है । लेकिन सत्तावादी राजनीति का मर्म उससे प्रकट हो जाता है । लोकमान्य तिलक की तरह जयप्रकाश बाबू भी लोकनिष्ठ और क्रान्तिकारी राजनीति के मार्ग पर कदम रख रहे है ।

प्रेरणा का मूलस्रोत क्रान्ति

एक दफा एक मित्र ने जयप्रकाश बाबू से पूछा था कि आपके जीवन की मुख्य प्रेरणा क्या रही है, तो उन्होंने एक शब्द में जवाब दिया : क्रान्ति, क्रान्ति ही मेरे जीवन की प्रेरणा का मूलस्रोत है । मै धर्म, नीति, सदाचार और सत्रसो उसी कर्मौदी पर बन्ता हूँ । पार्यगर्जी और जुनावखोरी की राजनीति को भी उन्होंने उर्छी निक्षय पर परखकर देखा । वे इत नतीजे पर पहुँचे कि इस तरह की राजनीति लोकनिष्ठ क्रान्ति का साधन हो ही नहीं सकती । कुछ मित्र पोखरे में नहा रहे हैं और जयप्रकाश बाबू सहना गंगाजी में उतर गये । पोखरे में जो नहा रहे थे, वे

गंगा से बहुत नाराज हैं कि उमने अपने सुधातः स्वादीय जल का आकर्षण उन्हें क्यों बतलाया ।

विनोबा का मजाक

एक और मित्र ने विनोबा का मजाक किया है । वे कहते हैं कि विनोबा ग
नहीं पर तो बैठेंगे, लेकिन राज्यसत्ता अपने कहे में रखेंगे । विनोबा राज्यसत्ता को क
भेड़-बकरी समझते हैं, जो कान पकड़कर अपने कहे में रखेंगे । राजसत्ता ऐरा
की नानी है । उसकी गर्दन पर चढ़कर और अकुश लगाकर उसे काबू में रख
होता है । हमारे मित्र का आशय यह है कि उस हथिनी पर सवार होने के लि
विनोबा को भी चढा ऊपरी में शामिल होना चाहिए और अकुश की छीं
भपटी में हिस्सा लेना चाहिए ।

स्तुत्य उपक्रम

विनोबा ने यह दिखा दिया है कि यह क्रान्ति का मार्ग नहीं है । लोका
मनोवृत्ति की आवश्यकता है । राजनिष्ठा का अर्थ था—राजा की सामर्थ्य-बुद्धि व
कार्यक्षमता में विश्वास । लोकनिष्ठा का अर्थ है—जनता की सामर्थ्य, जनता
हृदय और जनता के पुनर्प्राय में विश्वास । उगी लोकनिष्ठ मनोवृत्ति का परि
विनोबा ने दिया है और जयप्रकाश बाबू दे रहे हैं । डा० गधाकृष्णन् ने
भारतचारे की राजनीति का नारा बुलन्द किया है और जवाहरलालजी ने जि
गुणगान किया, उमको अपने जीवन में और ममाज के जीवन में चरि
रने का यद् न्तुत्य उपक्रम है ।

पटना

२१-११-१९४४

इन्सान की शान हुकूमत नहीं, आजादी

(दादा धर्माधिकारी)

राजसत्ता या चादशाहत में जो गुण राजा के लिए जरूरी समझे जाते हैं, वे ही गुण लोकसत्ता में नेता के लिए जरूरी समझे जाते हैं। राजा हुकूमत करना चाहता है और अपनी हुकूमत निवाहने के लिए लोगों को राजी रखने की कोशिश करता है। नेता यह कोशिश करता है कि लोगों को समझाये। और, साथ-साथ उनकी रहनुमाई के लिए हुकूमत से वह काम भी लेता है। जो आदमियों को परख सकता है, हर शख्स की खूबियाँ और खासियतें भाँप लेता है और उन्हें उनके मुआफिक काम में लगा सकता है, वह अच्छा नेता माना जाता है। समाज के हर व्यक्ति में कुछ-न-कुछ खाम गुण होता है। अलग-अलग वे व्यक्ति और गुण बिलकुल बे-तामीर होते हैं। समाज की कोई मलाई करने की ताकत उनमें नहीं होती। उनको एक सूत्र में पिरोने की सिफत नेता में होती है। वह योजना चलाती है। जिसमें ऐसी योजना हो, उसकी रहनुमाई में चलना सब बचल करते हैं, उनका निक्का समाज में चलता है। इसमें कसमात उन व्यक्तियों की नहीं होती वरन् उनसे उनकी लियाकत के मुताबिक काम लेनेवाले 'जोब' की, नियन्ता की होती है।

जड़ उपकरण

उस तरह चादमी औजार बन जाता है और 'नेता या नियन्ता' उस औजार में काम लेनेवाला कर्मयोगी बनता है। अच्छा इंजिनियर वह है, जो हर एक पंच-पुर्जा ठीक जगह बैठता है। अच्छा कारीगर वह है, जो अपने औजारों में काम सेना जानता है और प्रायः उपकरणों से कलाकृति का निर्माण करता है। बेथिन प्रायः औजार औजार है और कारीगर कारीगर है। औजार में न तो

शासन की बात जत्र कही जाती है, तो अक्सर उसकी यह टीका होती है कि यह तो 'मधुयामिनी स्वप्नदर्शन' है, इसमें कोई ठोस व्यवहार की बात नहीं है। इस आक्षेप का कारण यह है कि हम मनुष्य को आनन्द का विधाता नहीं बनाना चाहते, वरन् उसे हम उपकरणों का दास तथा विषयलपट बनाना चाहते हैं। असल में यह सबसे अधिक अव्यवहार्य और अनर्थकारक प्रवृत्ति है। मनुष्य की आत्मतत्रता को यह समाप्त कर देगी और जत्र मानव आत्मतत्र या स्वतत्र नहीं रहेगा, तो उसमें सामाजिक-विशेषताओं का विकास भी हरगिज नहीं हो सकेगा। यथार्थ में यह कोई समाज-विमुख अध्यात्मवाद नहीं है। सच तो यह है कि इसके बिना समाज में लोकसत्ता ही चरितार्थ नहीं हो सकती। यत्रवाद और तत्रवाद के पुरोहितों और उपायियों के रूप में यत्रविशारद विशेषज्ञों और इंजीनियरों का तथा तत्र-विशारद सयोजकों और मैनेजरों का अधिराज्य काम होता है। फलतः लोक-सत्ता का लोप हो जाता है।

आर्थिक जीवन में जिस मात्रा में यत्रीकरण होगा, उसी मात्रा में राजनीतिक जीवन में तत्रीकरण होगा। इंजीनियरशाही, मैनेजरशाही और नेताशाही के त्रिविध तारों से लोकजीवन सतत हो जायगा, इसमें तनिक भी सदेह नहीं। लोकशाही का सूत्र है, 'मैं किसीकी हुकूमत ज़रूरदस्ती नहीं मानूँगा।' परन्तु यह उस सूत्र का पूर्वार्ध है। अधूरा सूत्र नीमहकीम से भी खतरनाक होता है। इस सूत्र का उत्तरार्ध है, 'मैं किसी पर हुकूमत नहीं करूँगा।' यही वास्तविक लोकसत्ता है। इसीमें मानव का गौरव है, नागरिक जीवन की सफलता है और इन्सान की शान है।

नागपुर

५-२-५६

परिष्कृत लोकशाही और शुद्ध वैज्ञानिक साम्यवाद

(दादा धर्माधिकारी)

पिछले दिनों पालघाट में कम्युनिस्ट पार्टी की जो प्रदीर्घ परिषद् हुई, उसके बारे में तरह-तरह की बातें कही गयीं और तरह-तरह के कयास किये गये। किसी-किसीने तो यह भी कह डाला कि अब कम्युनिस्ट पार्टी का तख्ता उलट गया। हर एक आलोचना में आलोचकों के विशिष्ट मतवाद या पक्षवाद का रंग था।

राजनीति में गैरों की छावनी में फूट पैदा हो जाय, तो अपनी छावनी में मुशियाँ मनायी जाती है। लेकिन सर्वोदय में गैर किसीको नहीं माना जाता, सभी अपने हैं। जिनकी राय और काम करने के तरीके हमारे साथ मेल नहीं आने, वे भी गैर नहीं हैं, हमारे ही हैं। इसलिए किसी खास पार्टी की ताकत घटने से हमें किसी तरह की खुशी नहीं हो सकती। हाँ, अगर लोकशाही में से पार्टीबन्दी ही खतम हो जाय, तो अलबत्ता हमें खुशी होगी। पालघाट की परिषद् के नतीजे की तरफ हम इसी दृष्टि से देखते हैं।

मतवादा का जमाना बीत चुका

आज जिन तरह के पक्षभेद मौजूद हैं, उनके लिए अब अवसर नहीं रह गया है, यह बात दिन-ब-दिन साफ होती जा रही है। सांप्रदायिक कम्युनिज्म और माप्रदायिक समाजवाद के दिन अब बीत गये। एशिया में उपनिवेशवाद के अन्त होने के लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं। वहाँ कम्युनिज्म और समाजवाद, दोनों एक नया रूप ले रहे हैं। पेकिंग का कम्युनिज्म मास्को के कम्युनिज्म का गंगा भाई भले हो, लेकिन दोनों की शकल-रंगत में बहुत बड़ा फर्क है। कॉमिन्तर्नम खारिज कर दी गयी और मास्को के कम्युनिस्ट प्रवक्ताओं ने 'व्यक्ति-पूजा' को घोर निन्दा करते हुए स्टालिन की उपासना पर चोट की। ये सब आसार

इस बात के हैं कि मतवादों का जमाना लद चुका। इंग्लैंड की लोकशाही में राजा की सरकार चलानेवाला एक पक्ष होता था और दूसरा राजा का ही पक्ष सरकार-विरोधी होता था। दोनों पक्ष राजा के ही होते थे। इनमें से एक 'प्रगतिवादी' और दूसरा 'स्थितिवादी' होता था। अमेरिका और फ्रांस की लोकशाही में भी पक्षभेदों का नक्शा इसी नमूने पर बना था। विरोधी पक्ष या लोकपक्ष अक्सर दलित और पिछड़ी हुई मानवता का हिमायती होता था। दोनों के उसूलों और कार्यक्रम में फर्क होता था। लेकिन आज तो सभी पक्ष प्रगतिवादी होने का दावा करते हैं। कोई स्थितिवादी या पुराणमतवादी पक्ष अब नहीं रह गया है।

मौजूदा पार्टियों और जनता

पहले कुछ विधानवादी थे और कुछ क्रातिवादी। क्रातिवादियों का वैधानिक आंदोलन में विश्वास नहीं होता था। वे सशस्त्र विद्रोह का प्रतिपादन करते थे। आज सशस्त्र विद्रोह अव्यवहार्य ही नहीं, बल्कि अवाञ्छनीय माना जाने लगा है। कम्युनिस्ट पार्टी भी उसे जहाँ तक हो सके, टालना चाहती है। इसलिए इन पक्षों में पहले जो फासला था, वह अब कम हो गया है। डा० लोहिया जैसे विचक्षण विचारक ने यह प्रतिपादन करना शुरू किया है कि सशस्त्र या हिंसक आंदोलन लोकशाही में हो ही नहीं सकता। मतलब यह कि सिद्धान्त, साधन और मूलभूत नीति में वर्तमान राजनीतिक दलों में कोई स्पष्ट दिखाई देनेवाला अन्तर नहीं रह गया है। आज इस देश में कांग्रेस का प्रशासक कगिब-करीब कोई नहीं है, फिर भी चुनावों में वोट कांग्रेस को मिलते हैं। इसकी वजह यह है कि मौजूदा पार्टियों में जनता कोई तमीज नहीं कर पाती।

उधर इंग्लैंड में मास्को-मुद्रांकित कम्युनिज्म के प्रमुख प्रवक्ता क्रुशेव ने कहा कि "हम जानते हैं कि आप कम्युनिज्म नहीं चाहते, आप जानते हैं कि हमें पूँजीवाद पसन्द नहीं है। फिर भी हम आपके साथ रहना चाहते हैं और आप हमारे साथ रहना चाहते हैं। यह सिर्फ आपकी और हमारी मनोकामना ही नहीं है। यह वस्तुस्थिति की पुकार है।"

मतलब यह कि पूँजीवाद का 'सपत्तिशास्त्र' और कम्युनिज्म का 'अधिनायक-

वाद' इन दोनों को दूर कर साम्ययोगी लोकसत्ता की तरफ सभी को कदम बढ़ाना होगा। आज के राजनीतिक पक्षभेदों की बुनियादें ही बदलनी होंगी। निष्पक्ष लोकसत्ता की दिशा में वह पहला कदम होगा। लोकसत्ता को संपत्ति की सुनहरी चेंड़ियों से मुक्त होना पड़ेगा और शस्त्रवाद तथा सत्तावाद की लोहमय चोखट में से सांप्रदायिक साम्यवाद को मुक्त होना पड़ेगा, तब परिष्कृत लोकशाही और परिशुद्ध वैज्ञानिक साम्यवाद का गठबंधन होगा और उन दोनों का संयुक्त सत्त्व साम्ययोगी समाज के रूप में परिणत होगा।

काशी

१४-५-'५६

[दूसरा भाग]

(चुनाव-प्रस्ताव और उसका स्पष्टीकरण)

: १५ :

सर्व-सेवा-संघ का चुनाव-प्रस्ताव

“सर्व-सेवा-संघ का लक्ष्य अहिंसक समाज-रचना है। उसका यह विश्वास है कि हुकूमत की मार्फत अहिंसक समाज कायम नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र का आखिरी आधार लोकममति है, यह तो मानी हुई बात है। उसकी सिद्धि के लिए दंड-निरपेक्ष समाज-व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना आवश्यक है। अतएव सर्व-सेवा-संघ सत्ता-प्राप्ति की राजनीति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी प्रकार का हिंसा नहीं ले सकता। जिस पक्ष के हाथ में हुकूमत है या जो पक्ष अपने हाथ में हुकूमत लेना चाहते हैं, उन सबकी तरफ सर्व-सेवा-संघ तटस्थ बुद्धि से देखता है। आज लोकतंत्र ‘पक्षनिष्ठ’ है। उसको ‘लोकनिष्ठ’ बनाने के लिए पक्ष-निरपेक्ष और पक्षातीत भूमिका की वह आवश्यकता मानता है। उसे किसी भी एक पक्ष की हार या जीत में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं हो सकती। कारण, जाहिर है कि मत-परिवर्तन की प्रक्रिया हार और जीत से परे है। हम किसीकी हार या जीत चाहेंगे, तो दोनों में से किसी भी हृदय-परिवर्तन करने की पात्रता खो देंगे। इसलिए सर्व-सेवा-संघ न तो चुनावों में स्वयं किसी तरह का हिंसा ले सकता है और न किसी व्यक्ति को चुनाव के विषय में किसी प्रकार की सलाह देना उपयुक्त ही मानता है।

“लेकिन आज की हालत में सयॉदय-सिद्धान्तों को माननेवाले कुछ व्यक्ति मतदान के अपने अग्रिम का प्रयोग करना चाहेंगे। वे स्वभाविक ही शान्तिमय माधनों में विश्वास न करनेवाले अथवा सम्प्रदायवादी उन्मीदवारों को अपना वोट देना उचित नहीं मानेंगे। जो व्यक्ति भिन्न-भिन्न राजनीतिक पक्षों के सदस्य हैं, वे

यह तो जानते ही हैं कि नागरिक के लिए वोट देने का कर्तव्य जितना पवित्र माना जाता है, उतना ही विशिष्ट परिस्थिति में वोट न देने का कर्तव्य भी पवित्र है। इसलिए उनका पक्ष गलत आदमियों को उम्मीदवारी के लिए खड़ा करे, तो हर एक लोकनिष्ठ नागरिक का यह कर्तव्य हो जाता है कि पक्ष का सदस्य होते हुए भी, वह उस उम्मीदवार को वोट न दे।”

धर्मपुरी (जिला सेलम)

५-२-५६

: १६ :

चुनाव-प्रस्ताव का अर्थ

(दादा धर्माधिकारी)

इस प्रस्ताव में दो चीजें बहुत साफ हैं। एक तो यह कि नागरिकों का रुख बदलने की सख्त जरूरत है और दूसरी यह कि जब तक कोई नागरिक एक पार्टी को टीका लगाकर उसीको देवता समझेगा, तब तक वह आदमी का पुजारी नहीं बन सकता। आज हर एक समझता है कि अगर मैं राजा बन जाऊँ, तो सब कुछ दुग्ध कर दूँगा। आज दुग्ध इसलिए नहीं कर सकता कि हुकूमत मेरे हाथ में नहीं है, हुकूमत गलत आदमियों के हाथ में है! हुकूमत से मतलब है, दूसरों की मर्जी के खिलाफ उनसे कोई काम लेने की ताकत। जिनका हुकूमत में भरोसा है, वे यह मानते हैं कि समझने-बुझने से कोई नहीं मानेगा, इसलिए उसको टगने की ताकत हमारे पास होनी चाहिए। कदना न होगा कि इस तरीके से भाँजना कायम नहीं हो सक्ता। अहिंसक समाज से मतलब है, बराबरी के नाते, एक-दूसरे के साथ हिल मिलकर रहनेवाले तबतत्र व्यक्तियों का समाज। सभी स्वतंत्र होंगे, कोई निर्मोर्षी जिंदगी में दखल नहीं देगा, लेकिन मदद पहुँचाने के लिए सभी हमेशा तैयार रहेंगे। इसलिए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि हुकूमत का रास्ता अहिंसक समाज कायम करने का रास्ता नहीं है। चुनाव लड़े जाते हैं,

हुकूमत अपने हाथ में लेने के लिए। साफ है कि जो लोग अहिंसक समाज कायम करना चाहते हैं, वे चुनावों में हिस्सा नहीं ले सकते। ऐसी हालत में वे दूसरों को सलाह भी भला क्या दें ?

इसी सिलसिले में एक बात और भी कह देना जरूरी है। बहुमत का राज्य एक तरह से एक अधी ताकत की हुकूमत है। उसमें अल्पमतवालों की बात सही हो, तो भी उस पर अमल नहीं होता। अब धीरे-धीरे बहुमत की जगह सार्वमत के आधार पर लोकतंत्र चलना चाहिए। इसलिए जो लोग 'लोक-सम्मति' से 'सर्व-सम्मति' समझते हैं, वे आज के चुनावों में हिस्सा नहीं ले सकते।

प्रस्ताव के दूसरे हिस्से में उन लोगों के लिए कुछ सकेत है, जो सर्वोदय-विचार को तो मानते हैं, लेकिन फिर भी आज की हालत में वोट देना अपना कार्य समझते हैं, क्योंकि सर्वोदय-निष्ठ विचारकों में भी कुछ ऐसे महान् विचारक हैं, जो समझते हैं कि हुकूमत तो किसी-न-किसी शकल में, हर खुरत में रहेगी। ऐसा माननेवाले जो माधारण मतदाता हैं, उनमें यह उम्मीद की गयी है कि वोट देने में वे साधनशुद्धि और व्यापक मानवता का ध्यान रखेंगे। जो लोग सम्प्रदाय, जाति इत्यादि भेदों में विश्वास करते हैं और समाज परिवर्तन के लिए अहिंसक साधनों से काम लेने का आग्रह नहीं रखते, उनके हाथ में हुकूमत जाना तो सभी तरह से खतरनाक है। सर्वोदय को माननेवाले इस तरह की किसी पार्टी के सदस्य तो हरगिज नहीं होंगे, लेकिन कोई व्यक्ति दूसरी तरह से चाहे जितना नेक और पाक क्यों न हो, अगर वह किसी सम्प्रदाय या जाति को ऊँच या नीच मानता हो, तो उसे हुकूमत के लिए नामाविल मानना चाहिए।

एक आन्विकी सचेत यह है कि पार्टी की जीत से या पार्टी की शान से जनता का हित श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि चुनाव में जीतने के लिए पार्टियाँ ऐसे उम्मीदवार रख देती हैं, जिनका इलेक्शन का खर्च करने की हैमियत हो और जो भाषी तादाद में वोट जुटा सकें। उम्मीदवारों के सामाजिक गुण-दोषों का विचार पार्टियाँ नहीं करती। ऐसी हालत में अगर पार्टी का कोई सदस्य अपनी पार्टी में ऊपर उठकर उस उम्मीदवार को वोट देने से इनकार करता है, तो वह 'पन्न-तत्र' की तरह में 'लोकतंत्र' की तरफ मुड़ता है। बात जरा-सी है,

लेकिन वह नागरिक का याने मतदाता का रुख बदल देती है। उसे 'पक्षनिष्ठ' से याने 'पार्टी-परस्त' से 'लोकनिष्ठ' याने 'खल्क-परस्त' बना देती है।

काशी,

१६-८-५६

: १७ :

चुनाव-प्रस्ताव का विश्लेषण

(धीरेन्द्र मजूमदार)

ग्रामिण भारत-सर्व-सेवा-सघ के चुनाव-प्रस्ताव ने देश की हर एक श्रेणी के लोगों की दृष्टि को आकर्षित किया है। यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि वर्तमान सामाजिक जीवन में चुनाव का प्रश्न आज आम जनता को जितना आकर्षित करता है, उतना शायद ही कोई दूसरा प्रश्न करता हो। इसकी चर्चा लोगों ने अखबारों में भी की है। चर्चाओं की दिशा विभिन्न प्रकार की है। कुछ पक्षों के लोग इससे असन्तुष्ट हैं, क्योंकि वे मानते थे कि यद्यपि चुनाव में हम सक्रिय रूप से भाग नहीं लेंगे, फिर भी आज की चुनाव-पद्धति को सर्व-सेवा-सघ का कम-से-कम मूक समर्थन तो अवश्य प्राप्त है। कुछ लोग ऐसा भी समझते थे कि आखिर सघ के लोग सार्वजनिक जीवन में हमारे साथी रहे हैं और रहेंगे भी, अतः कम-से-कम हमारे साथ उनकी सहानुभूति अवश्य रहेगी। कुछ पक्षों के कुछ लोग यह भी समझते थे कि कम-से-कम कुछ क्षेत्रों में तो सघ के कार्यकर्ताओं की सहानुभूति हमारे साथ रहेगी।

लेकिन सर्व-सेवा-सघ के प्रस्ताव ने उनकी इन सारी अपेक्षाओं पर पानी फिर गया, अतः उनका अनन्तोंप स्वाभाविक ही है। कुछ बड़े राजनीतिक विचारकों ने, जो विभिन्न पक्षों में हैं, प्रस्ताव का स्वागत भी किया है। वर्तमान चुनाव-पद्धति और लोकशाही का मौजूदा तरीका भारत की अपनी परिस्थितियों के बीच अच्छी तरह सफल होगा, इनमें उन्हें सन्देह हो रहा है। अतः सर्व-सेवा-सघ का क्रम पूर्ण समाधान की दिशा में भले ही उनमें न लगता हो, लेकिन छोड़कर नये

मार्ग की खोज की चेष्टा इसमें है, ऐसा वे मानते हैं, इसलिए उन्हें इस प्रस्ताव से सन्तोष है। विभिन्न पक्षों के कुछ लोगों को इसलिए भी सन्तोष है कि उनके सामने हमारी स्थिति अनिश्चित थी। वे इस बात से सशक्त थे कि न मालूम वे लोग किस ओर भुक्केंगे। अब इस प्रस्ताव के कारण उनके सामने स्थिति स्पष्ट हो गयी, अतः वे सन्तुष्ट हैं। सर्वोदय के विभिन्न क्षेत्र के कार्यकर्त्ताओं को भी सन्तोष है, क्योंकि उनके सामने यह जटिल सवाल उपस्थित था कि तटस्थ रहने के कारण जनता के सवाल का क्या जवाब दिया जाय। उनके सामने अब इसकी दृष्टि और विचार स्पष्ट हो गये हैं।

सर्व-सेवा-सघ का लक्ष्य

स्पष्ट है कि सर्व-सेवा-सघ शासनमुक्त अहिंसक समाज कायम करना चाहता है। सर्वोदय की दृष्टि साधन के अनुरूप ही साधन इस्तेमाल करने की है। इसलिए सर्व-सेवा-सघ अपने तमाम लक्ष्यों की पूर्ति राज्य की मारफत नहीं, बल्कि स्वतन्त्र जनशक्ति के अधिष्ठान से करना चाहता है। ऐसी हालत में राज्य के निर्माण में सर्व-सेवा-सघ का हिस्सा नहीं हो सकता। जिस सस्था का राज्य विघटन का लक्ष्य है, उसी सस्था का, इस लक्ष्य-पूर्ति के विपरीत राज्य के सघटन का कार्यक्रम नहीं हो सकता। इसलिए चुनाव में सर्व-सेवा-सघ द्वारा हिस्सा न लेना पूर्ण स्वाभाविक है। ऊपर-ऊपर से विचार करनेवाले कुछ मिनत्र यह प्रश्न कर सकते हैं कि हमारे भाग न लेने से क्या चुनाव नहीं होंगे? वे अवश्य होंगे। जनता में हमारे इस विचार को माननेवाले लोग अत्यन्त अल्प संख्या में हैं, यह सही है। फिर भी जिस पद्धति को हम मानव-समाज के लिए अहितकर मानते हैं, उसमें अलग रहना ही हमारा कर्तव्य हो जाता है।

दूसरा सवाल यह किया जाता है कि “आखिर पूर्ण शासन-मुक्ति भी क्या मनुष्य की पकड़ में कभी आ सकेगी? शासन नहीं आ सकेगी। तो फिर शासन मुक्ति का व्यावहारिक रूप शासन-निरपेक्षता ही होगा। वैसी हालत में कुछ-न-कुछ अवशिष्ट शासन रह ही जायगा। फिर चुनाव में हम वच ही कैसे सकते हैं?” वे बातें भी सही हैं। हम चुनाव में भाग्यवान् नहीं सकेंगे, लेकिन सवाल यह है कि उनकी पद्धति क्या होगी?

आज की पंचायत का अर्थ

शासन-मुक्ति के लक्ष्य पर पहुँचने के लिए पहला कदम शासन-विभाजन ही हो सकता है। इसीलिए हम ग्राम-राज्य की बात करते हैं। शासन-विभाजन से मतलब आज की स्थापित पंचायती प्रथा से नहीं है, क्योंकि आज राज्य द्वारा जो पंचायतें कायम की जा रही हैं, वे शासन-विभाजन की प्रक्रियाएँ हरगिज नहीं हैं, बल्कि वे शासन-विकास की ही प्रक्रियाएँ हैं। केन्द्र अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए सीधे दूर-दूर देहातों में पहुँच नहीं सकता। अतः वह स्थानीय पंचायतों द्वारा अपनी अनेक एजेन्सियों की स्थापना कर रहा है। इस तरह वे शासन की एजेन्सियाँ हैं !

जल्दत किस बात की है ?

शासन-विभाजन का मतलब होता है, कर्तृत्व-विभाजन। जाहिर है कि प्रचलित पंचायत-पद्धति से इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती। विभाजित शासन प्रथात् ग्राम-राज का मतलब ही यह है कि समाज की पूर्ण जिम्मेदारी और कर्तृत्व ग्राम-इकाई पर निर्भर है और गाँव के लोग अपनी मर्यादित शक्ति के कारण इनमें से कुछ जिम्मेदारियाँ प्रत्यक्ष रूप से उठाने उठा सकें, तो उस जिम्मेदारी के लिए वे प्रान्तीय तथा वेंद्रीय एजेन्सियाँ स्थापित करें।

अगर आज इन प्रकार का ग्रामराज्य कायम नहीं है, तो कम-से-कम इतना तो हो ही सकता है कि आज के केन्द्रीय टॉचे में प्रत्यक्ष चुनाव के स्थान पर अप्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति ही जारी की जाय !

दूसरी बात यह है कि वर्तमान पञ्चनिष्ठ-राजनीति प्रतिद्वन्द्विता के आधार पर गणतन्त्र में भेद-भोति की उत्पत्ति करती है। अगर निश्चय में शांति स्थापित करनी है, तो प्रतिद्वन्द्वी समाज में निवन्धन-कारी "राजनीति" के स्थान पर सहयोगी समाज की व्यवस्था के लिए "लोकनीति" कायम करने की आवश्यकता है। पञ्चनिष्ठ चुनाव-पद्धति ने बहुतों द्वारा लोकशाही की स्थापना नहीं हो सकती। उसमें अनिर्णय रूप में राजशाही ही बनी रहेगी, क्योंकि वैसी स्थिति में हमेशा बहुमत का गण्य अल्पमत पर कायम रहेगा। लोकनीति का मतलब है, जनसमूह द्वारा प्रति-

पादित नीति । उसको चलानेवाले सर्वसम्मति से ही चुने जा सकते हैं । अन्यथा चुनाव हुआ व्यक्ति जनसमूह का प्रतिनिधि न होकर बहुमत का प्रतिनिधि होगा । फलस्वरूप समाज में राजा और प्रजा के रूप में दो श्रेणियाँ रह ही जायँगी, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में अल्पमतवाला पक्ष प्रजा ही रहेगी ।

यही कारण है कि सर्व-सेवा-सघ पक्षनिष्ठ राजनीति के स्थान पर 'पक्ष-रहित लोकनीति' तथा बहुमत-आधारित चुनाव-पद्धति के स्थान पर सर्व-सम्मत चुनाव-पद्धति कायम करने की बात करता है । यानी सर्व-सेवा-सघ को राय से वर्तमान ममाल-व्यवस्था एवं शासन-प्रणाली में भी अप्रत्यक्ष तथा सर्वसम्मत चुनाव-प्रथा आज की परिस्थिति में भी जारी करनी चाहिए । ऐसा हो जाने से कम-से-कम इस देश में वास्तविक लोकशाही की स्थापना हो सकेगी और शासन विभाजन की प्रगति भी साथ-साथ एवं शीघ्र हो पायेगी ।

भूदान-यज्ञ (साप्ताहिक)

५-१०-५६

: १८ :

पॉवर-पॉलिटिक्स और स्ट्रेंथ पॉलिटिक्स

(विनोबा)

लोगों की ताकत हम बढानी है, एक मनोभावना बनानी है । इसलिए जो लोग हममें काम करेंगे, उनको इलेक्शन में ज्यादा टिलचट्पों नहीं होनी चाहिए । कांग्रेस की पार्टी सत्ताधारी है । दृमरी पार्टियाँ सत्ताधारी नहीं हैं, लेकिन वे सत्ता चाहती हैं, इसलिए वे सत्ता की अभिलाषी हैं । दोनों सत्ता के इर्गदिर नाचती हैं । परन्तु हमारा नृत्य हम तरह चलेगा, तो भूदान नहीं होगा । कुछ लोग हममें मन्ते हैं कि आपके भूदान में उनमें लोग लगे हैं, लेकिन उन सबकी परीक्षा १९५७ के इलेक्शन में होगी । इलेक्शन में जाना पाप नहीं है । यह काम बुग भी नहीं है । परन्तु हमको ब्रॉट गफ नहीं कि जो लोग भूदान में मे उममें जायँगे,

वे जनशक्ति का पहलू खोयेंगे। समझना चाहिए कि 'पॉवर-पॉलिटिक्स' एक बात है और 'स्ट्रेन्थ-पॉलिटिक्स' दूसरी बात है। ये लोग 'पॉवर-पॉलिटिक्स' के पीछे जाते हैं, लेकिन पॉवर (सत्ता) में स्ट्रेन्थ (शक्ति) का जय होता है। स्ट्रेन्थ निष्काम-सेवा से बढ़ती है। उत्तम-से-उत्तम सेवक, जो पॉवर में गये हैं, उनकी शक्ति बढ़ी है या घटी है? शास्त्र में लिखा है, कोई तपस्या करता है और बाद में इन्द्र-पद प्राप्त होता है, तो उसी दिन से जय की शुरुआत होती है। "क्षीणे पुण्ये मृत्युलोके विशन्ति" पुण्य का जय होता है। तो, उसको लात मारकर मृत्यु-लोक में भेजा जाता है। इसलिए जनता की शक्ति निर्माण करेंगे, तो वास्तव में वह स्ट्रेन्थ-पॉलिटिक्स होगा। लोग कहते हैं कि आज पॉलिटिक्स में पड़ता नहीं है और उसने जे० पी० को भी पॉलिटिक्स से भूदान के काम में लगाया है। लेकिन इस तरह बोलनेवाले लोग सोचते नहीं कि जे० पी० कोई लड़का नहीं है। सब प्रकार के शास्त्र का अध्ययन किया हुआ वह क्रान्तिकारी और जानी है। रशिया का इतिहास और चीन का इतिहास उसने देख लिया है और लोगों की ताकत नहीं बनती है, तो काम नहीं बनता है, वह वह पहचानता है। इंग्लैंड, रशिया, अमेरिका आदि सब देश प्रजा का कल्याण कर लेंगे, परन्तु वहाँ जन-शक्ति निर्माण नहीं होगी और भूदान-यज्ञ जनशक्ति बढ़ाने का आन्दोलन है, इसलिए इसमें पॉलिटिक्स का अभाव नहीं है, परन्तु वह आन्दोलन आज के पॉलिटिक्स का खंडन करने-वाला है।

प्रश्न :—लोकनीति स्थापित करने की बात हम करते हैं, परन्तु उसका विरोध बढ़ा करने का वृत्ति भी कहीं-कहीं दिखाई देती है। उस हालत में हम क्या करें ?

उत्तर :—लोकनीति ऐसी व्यापक नीति है कि उसका जो विरोध करेगा, वह गिरेगा, उसकी क्षति होगी। समुद्र का विरोध नहीं करेगी। जो नदी ऐसा करेगी, वह सूख जायगी। इसलिए वह डर गवने की जरूरत नहीं है कि जो काम हम करेंगे, उसके निरुद्ध काम दूसरे लोग बढ़ा करेंगे। लोकनीति की स्थापना करना निगेडिव (नकारात्मक) नहीं। उसका मतलब यह नहीं है कि आज की राजनीति का खंडन करना और उसका दोष दिखाना। यह समझना चाहिए कि आज की राजनीति यद्यपि 'लोकनीति' नहीं है, फिर भी वह 'लोकमान्य' है। इस

वास्ते जब लोग बदलेंगे, तभी वह नीति बदलेगी। इस वास्ते हम राजनीति का केवल दोष ही दिखाते चले जायेंगे, तो हमारी शक्ति हम व्यर्थ खर्च करेंगे।

भूदान-यज्ञ (साप्ताहिक)

२७-७-'५६

: १६ :

चुनाव-प्रस्ताव का दर्शन (विनोबा)

सर्व-सेवा-सत्र का चुनाव-प्रस्ताव यहाँ उपस्थित है। उस पर आप सोचें। उससे विचार-विकास होगा। कोई अगर उसे नहीं पसंद करता है, तो दबाव से उसे वह न माने। हम शासन को नहीं, शिक्षण को मानते हैं। सर्व-सेवा-सत्र और सर्वोदय-समाज आशा करनेवाली सस्था भी नहीं है। जहाँ शासन होता है, वहाँ अनुशासन-भंग की कार्यवाही भी होती है। इस समाज में हम वह नहीं करते हैं। चर्चा करते हैं, विचार-स्वातंत्र्य रखते हैं। जहाँ विचार की आजादी न हो, दूमरे प्रहार की आजादी हो, उसकी बहुत ज्यादा कीमत हम नहीं मानते। इस प्रस्ताव से हम कोई आदेश नहीं दे रहे हैं। हरेक को अपना-अपना दिमाग है और उसमें बर्तने की उसे आजादी है। सर्वोदय विचार में माननेवाला अपने विचारों का प्रकाशन देश के सामने करता है।

उन्नीसवीं सदी में इंग्लैंड में एक तत्त्वज्ञान निर्माण हुआ। वह था—
Greatest good of the greatest number याने सबका भला नहीं,
“अधिक-से-अधिक सख्या का अधिक-से-अधिक भला।” तो अधिक सख्या की भलाई के लिए अगर किसीका खून करना पडा, किसीकी आहुति देनी पड़ी, तो वह दे सकते हैं। सर्वोदय इस तत्त्वज्ञान में विलकुल ही भिन्न विचार रखता है, य ‘सर्व’ शब्द ही प्रकट करेगा। किसी भी मनुष्य का सचा न्ति किसी दूसरे मनुष्य के सच्चे न्ति के विरुद्ध हो नहीं सकता। मेरा आरोग्य, मेरी विद्या, मेरी जमा आपके आरोग्य, आपकी विद्या, आपकी जमा में विरुद्ध हो नहीं सकती।

मेरी हृदयशुद्धि आपकी हृदयशुद्धि के विरुद्ध नहीं हो सकती। लेकिन गलती से मैं चोरी करने में अगर अपना भला मानूँ, तो उससे विरोध पैदा होगा। शेर समझता है कि खरगोश को खाने में उसका भला है और खरगोश समझता है कि शेर के पजे से छूटने में उसका भला है, इसलिए दोनों का विरोध आता है। परन्तु 'मानव-समाज' में कभी भी एक व्यक्ति के हित के विरुद्ध दूसरे का हित नहीं हो सकता। इसलिए हमें सच्चा हित साधना चाहिए। इसमें 'अधिक-से-अधिक सख्या' और 'कम-से-कम संख्या' का खयाल ही नहीं हो सकता।

सत्य-दर्शन बनाम बहुसंख्या

केवल मत्य-दर्शन का ही खयाल हो, तो हम यह नहीं कह सकते कि ज्यादा संख्यावालों को सत्य-दर्शन होता है। सत्य-दर्शन का, अधिक और कम संख्या से कोई संबंध नहीं है। एक मनुष्य भी अपने सत्य-दर्शन के लिए, सारे समाज के विरोध के सामने खड़ा हो सकता है, उसे खड़ा होने का हक है। इसीको सत्याग्रह का हक कहते हैं। सत्याग्रह का न सिर्फ हक होता है, बल्कि सत्याग्रह का कर्तव्य भी होता है। किसीके सत्य-दर्शन को बहुसंख्या से या और किसीसे दबाया नहीं जा सकता। मान लीजिये कि शिक्षक ने गणित का एक सवाल पूछा और पंद्रह विद्यार्थियों ने गलत जवाब दिया, दो ही विद्यार्थियों ने सही दिया, तो क्या उस सवाल का निर्णय बहुसंख्या से होगा? इसलिए सत्य-दर्शन का बहुसंख्या के साथ कोई संबंध नहीं है। उसी तरह, जहाँ सचकी भलाई की बात है, वहाँ किसीके भी हित की हानि नहीं होनी चाहिए, सच्चा हित सधना चाहिए। यही सर्वोदय-विचार है।

“अधिक-से-अधिक लोगों का अधिक-से-अधिक भला” वाला विचार एक असत्य-विचार है। उसके परिणामस्वरूप दुनिया में अनेक प्रकार के राजनैतिक झमेले पैदा होते हैं। आज दुनिया के हर देश में बहुसंख्या विरुद्ध अल्पसंख्या का सवाल खड़ा है। पहले जो भेद थे, वे तो कायम ही हैं। परन्तु उसमें और एक भेद या इजाजत हो गया है। परिणामस्वरूप दुनिया में शांति की स्थापना नहीं हो रही है, शान्तात् बढ़ रहे हैं। इसलिए सर्वोदय-विचार मानना है कि शासन-शक्ति की तरफ ही जाना होगा।

हम जानते हैं कि यह चीज एकदम से होनेवाली नहीं है। अतः उसके लिए पहले शासन-विभाजन करना होगा। गाँव-गाँव के हाथ में सत्ता आनी चाहिए। गाँव की ग्रामसभा 'सबकी राय' से चुनी जायगी, 'बहुसंख्या' से नहीं। ग्राम को अपना कुल कारोबार चलाने का हक होगा। गाँववालों की इच्छा के विरुद्ध उन पर कोई माल लादा नहीं जायेगा। जहाँ पर दस पन्द्रह गाँवों के संयोजन का सवाल आयेगा, वहाँ ऊपरवाली संस्था काम करेगी। ऊपरवाली संस्था का चुनाव ग्रामसभा की तरफ से होगा, हर व्यक्ति की तरफ से नहीं होगा। इस तरह अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे। ऊपर की संस्था के हाथ में फौजी शक्ति नहीं रहेगी, नैतिक शक्ति रहेगी। अगर उनके हाथ में भौतिक शक्ति रही, जैसी कि आज दुनिया के ४५ लोगों के हाथ में दुनिया को आग लगाने की ताकत है, तो खतरा हमेशा के लिए बना रहेगा। इसलिए इसमें से छुटकारा पाने का प्रयत्न करना होगा। कम्युनिस्ट भी राज्य के विलयन की बात करते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि सत्ता अखीर में क्षीण होगी—State will wither away, लेकिन आज तो dictatorship of the Proletariat (सर्वहारा की तानाशाही) होगी और केन्द्र के हाथ में अधिक-से-अधिक सत्ता रहेगी। याने आखिरी उद्देश्य के प्रिल्कुल उल्टा काम आज करना होगा। हम तरह से कभी भी सत्ता क्षीण नहीं हो सकती है। सत्ता क्षीण करनी है, तो उमका आरम्भ आज में ही करना होगा। अतः आज ऐसी जमात निर्माण होनी चाहिए, जो सर्वोदय के खयाल से ही सोचे, अपने विचार जनता के सामने रखे, जनता के साथ अच्छे काम में निरन्तर सहयोग करे और अगर जनता, सरकार या कोई भी गलत काम कर रहा हो, तो उस पर अपना नैतिक असर डालकर उन्हें रुकवाये। साग समाज दूध के जैसा है। उसमें थोड़ा थोड़ा डाला जायगा और फिर कुल दूध का दही बनेगा।

जब हम कहते हैं कि आज जिस दग से शासन आदि चलता है, वह उत्तम दग नहीं है, तो सामनेवाले भी कहते हैं कि 'वह उत्तम दग नहीं है, लेकिन इससे बेहतर दग हमें सूझ नहीं रहा है। अभी हमारी जितनी अक्ल चलती है, उसके मुताबिक यही ठीक है।' प० नेहरू ने भी अभी कहा कि direct election

(प्रत्यक्ष चुनाव) ठीक नहीं है। यह विचार सचमुझे पसन्द आने में आर उस पर अमल करने में कुछ देर होगी, परन्तु केवल चुनाव के 'प्रकार' पर ही हमारा आक्षेप नहीं है, मूलभूत नीति-विचार पर ही है। हम चाहते हैं कि सचका भला हो, न कि अधिक से अधिक लोगों का ही अधिक-से-अधिक भला !

आज के समाज में जिधर देखो, उधर भेद ही दिखाई देते हैं। प्रान्त के मुख्य मन्त्री-पद के लिए तक भगडा चलता है ! इससे कितनी कुभावना फैलती है ? होते हैं वे एक ही पार्टी के व्यक्ति; पर लोकशाही का नियम है न कि स्पर्धा होनी चाहिए और बहुसंख्या में निर्णय होना चाहिए ! एक दफा सोलापुर में एक केम में न्यायाधीशों में से बहुसंख्या ने कहा कि यह खून का केस है, इसलिए गुनहगार को फाँसी देनी चाहिए। और फाँसी दे दी गयी ! उन लोगों को कम-से-कम इतना क्यों नहीं सूझा कि जब कि न्यायाधीशों में से ही कुछ-कुछ लोग उस निर्णय के खिलाफ थे, तो उनका लाभ गुनहगार को मिलना ही चाहिए था ! इसी प्रकार का एक केम अमेरिका में बना, जहाँ बहुसंख्या की राय से फाँसी दी गयी ! इस तरह उन्होंने majority (बहुसंख्या) को देवता माना है ! हिन्दुस्तान में कुछ कम देवता नहीं हैं। फिर उसमें और एक देवता क्यों बढ़ाया जाय ? यह सारा भगडा, एक तत्व का भगडा है। आखिर यह विचार दुनिया को कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि यह एक सत्य-विचार है।

गांधीनगर, तिरुपुर

१८-१०-५६

इलेक्शन : लड़ाई नहीं, खेल !

(विन्नेवा)

इन दिनों बहुत लोगों को हर बात में “फाइट” करने की आदत पड़ गयी है। अगले साल, १९५७ में चुनाव की “फाइट” होगी ! हमने कई बार कहा कि चुनाव लड़ते क्यों हो, वह तो खेलना चाहिए, जैसे कुश्ती खेलते हैं ! पर उसमें दो मनुष्यों के बिना कुश्ती होती नहीं। इसलिए कांग्रेसवालों के लिए मल्ल ही नहीं दीखता है ! “अपोजिट” पार्टी के बिना लोकशाही का कारोबार अच्छा नहीं चलता, ऐसा सिद्धांत हमने बनाया ! अतः अगर अपोजिशन पार्टी हम चाहते हैं, तो चुनाव खेलना चाहिए, वह लड़ना नहीं चाहिए। परिणामतः चुनाव में जो बुराइयाँ होती हैं, वे तो नहीं होंगी ! जिसने चुनाव जीत लिया, उसको राज्य-कारोबार चलाने का इनाम मिल गया और जो चुनाव में हार गया, उसको सार्वजनिक सेवा का नारियल मिल गया, जैसे कुश्ती में हारनेवाले को भी नारियल मिलता है ! दोनों को दोनों वाजू से लाभ है। जो जीतेगा, वह राज्य-कारोबार चलायेगा, जो हारेगा, वह सीधी लोकसेवा करेगा।

जो सच्चा सेवक है, उसकी दोनों वाजू जीत होती है। अतः इलेक्शन में हमको खेल के समान वृत्ति रखनी चाहिए। जैसे, दोनों भाई हैं, एक ही आभ्रम में या एक ही घर में प्रेम से मिल-जुलकर काम करते हैं, एकत्र खाते पीते हैं और अपनी कमाई दोनों बाँट लेते हैं। एक अगर सोशलिस्ट पार्टी का है, तो दूसरा कांग्रेस-पार्टी का, फिर भी एक-दूसरे पर दोनों अत्यन्त प्रेम करते हैं। इलेक्शन में जब दोनों जायेंगे, तो एक कहेगा . “इसको वोट मत दीजिये, क्योंकि वह अच्छा कारोबार नहीं चलायेगा, उसकी कल्पना अच्छी नहीं है” आदि। दूसरा भी इसी तरह लोगों को कहेगा . “वह अच्छी लोकशाही नहीं चलायेगा, क्योंकि उसका विचार ठीक नहीं है” आदि। इस तरह एक-दूसरे के विरुद्ध लोगों

में विरुद्ध विचार-प्रचार करेंगे। कोई भी हारेगा और कोई भी जीतेगा, लेकिन घर पर आकर दोनों एकत्र खायेंगे, पीयेंगे और प्रेम से रहेंगे। इस तरह के आनन्द में और विनोद में इलेक्शन होना चाहिए। प्राचीन काल में हिन्दुस्तान में बाप हिन्दू होता था, तो उसका एक बेटा बौद्ध होता था, एक जैन, पर एक ही परिवार में प्रेम से वे रहते थे और अपने धर्म का विश्वास अलग-अलग रूप से रखते थे। आज भी कहीं-कहीं एक ही घर में कोई कांग्रेसी, तो कोई समाजवादी, तो कोई साम्यवादी होता ही है। तो, जैसे धर्म-विश्वास अलग है, इसलिए प्रेम तोड़ना चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही पोलिटिकल थियेरी अलग हो गयी, तो प्रेम तोड़ने की जरूरत नहीं। इसलिए इलेक्शन में लड़ने की वृत्ति—“टू फाइट इलेक्शन”—यह शब्द बहुत बुरा है। यह शब्द अंग्रेजी भाषा से आया है। अपने देश में तो इलेक्शन खेल ही होना चाहिए।

आपने प्रस्ताव पास किया कि हम इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे। इसलिए आपको यह लागू नहीं होता है, पर चुनाव में जो हिस्सा लेते हैं, उनको यह समझाइये। उतनी ही आपकी जिम्मेवारी रहेगी। दोनों में से किसीकी सूत रोनी या गुस्तेवाली नहीं होनी चाहिए। इतना अगर हमने कर लिया, तो हमने बहुत काम कर लिया। मशीन में ‘फ्रिक्शन’ (घिसावट) होती ही है। अगर त्रिना फ्रिक्शन की मशीन बनायी, तो वह काम ही नहीं देगी, स्पीड नहीं आयेगी। हँसने खेलते इलेक्शन करोगे, तो भी उसमें कुछ-न-कुछ फ्रिक्शन होगी ही। उस समय हम तेल की एक डिब्बी तैयार रखें और जहाँ फ्रिक्शन मालूम हो, वहाँ तेल डालें। यह कला अगर हमको सध गयी, तो ये लोग शिक्षायत नहीं करेंगे कि हम लोग इलेक्शन से अलग हैं। बल्कि वे यही कहेंगे कि ऐसे थोड़े लोग अलग रहते हैं, तो अच्छा ही है ! नहीं तो फ्रिक्शन में तेल कौन डालने बैठा है ? अतः इतना काम आप कर सकते हैं।

तिरुपुर

—ग्रामोदय खादी-सम्मेलन में

विश्व के राजनैतिक सन्दर्भ में प्रस्ताव

(दादा धर्माधिकारी)

लोकसत्ता की स्थापना के लिए हम जिस तरह का संविधान बनाते हैं, उसकी एक रचना करते हैं, उसे हम लोकतन्त्र कहते हैं। आज जिस तरह का लोकतन्त्र है, वह प्रेजिडेंट की स्थापना के साथ पश्चिम में स्थापित हुआ। इंग्लैंड के साथ उसकी परिस्थिति में उसका एक रूप हुआ, अमेरिका की परिस्थिति में उसका कुछ दूसरा रूप हुआ। यूरोप के और देशों की परिस्थिति में उसमें कुछ-न-कुछ परिवर्तन होता गया। क्रान्तिवादी जत्र से आये, तत्र से समाजवादी क्रान्तिवादी भी, अगर हम साम्यवादियों को छोड़ दें, तो यह मानते आये कि आज का लोकतन्त्र प्रत्यक्ष क्रान्ति का साधन नहीं हो सकता। यह विवाद बहुत दिनों तक चलता रहा। आज हम एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गये हैं कि क्रान्ति का प्रत्यक्ष साधन भले ही आज का लोकतन्त्र न हो सकता हो, क्या वह क्रान्ति में सहायक हो सकता है ? क्या हम लोकतन्त्र को इस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं कि क्रान्ति के लिए वह सहायक हो जाय ? इसका विचार काफी दिनों से देश में हो रहा है। गांधीजी जत्र थे, तत्र भी वह इसका विचार करते रहे। १९४८ में उनके जाने के कुछ दिन पहले यह निश्चय हुआ था कि सेवाग्राम में सब लोग एक जगह बैठेंगे और कुछ विचार करेंगे। तो, इसी बीच वह नहीं रहे। उसके कुछ पहले डॉ० कुमारप्पा ने एक लेख लिखा। प्रकाशित बाद में हुआ, लेकिन लिखा पहले था (देखिये पृष्ठ २६)। उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि सत्ता की स्वर्द्धा अहिंसक समाज-रचना के लिए अनुकूल नहीं है। आप सब लोग यह जानते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में से हम स्वर्द्धा का निराकरण करना चाहते हैं। हर दिन लोकतन्त्र की मापत आज हमारा जो कदम बढ़ रहा है, आज जो

आमदनीयों में विपमता है, उसको कम करना चाहते हैं, टैक्सेशन से करना चाहते हैं, लेकिन कम करना चाहते हैं। हमारी कोशिश यह है कि आर्थिक क्षेत्र में स्पर्धा न रहे, होड़ न रहे। किसी तरह की चढा-ऊपरी न रहे। एक तरफ से आर्थिक क्षेत्र में मे स्पर्धा का निराकरण करने की कोशिश हो और दूसरी तरफ राजनैतिक क्षेत्र में जिस लोकतन्त्र का आधार ही सत्ता की स्पर्धा है, उसकी सहायता हम लेते रहे, उसको समाज-परिवर्तन का हम साधन समझे, वह कुछ अस्मगत-सा मालूम होता है।

सम्पर्क का विन्दु सेवा हो

एक बात और। जन-सम्पर्क जन हम करना चाहते हैं और जन शक्ति का विकास करना चाहते हैं, तो जनता के साथ हमारा जो सम्पर्क-विन्दु हो या जिसे "प्वाइंट ऑफ कंटैक्ट" कहते हैं—वह सम्पर्क-विन्दु सत्ता नहीं, सेवा ही होना चाहिए। अगर सत्ता सम्पर्क-विन्दु हुआ, तो जन-शक्ति का जिस प्रकार से हम विकास करना चाहते हैं, उस प्रकार से वह नहीं हो सकता। हम प्रस्ताव में यह दृष्टि नहीं है कि हमको आज की राजनीति का बहिष्कार करना है। वह बहिष्कार का प्रस्ताव नहीं है, वह असहयोग का भी प्रस्ताव नहीं है। १९२१ में गांधीजी ने बहिष्कार का प्रस्ताव किया। उसमें असहयोग था। इसमें असहयोग नहीं है, इसमें बहिष्कार नहीं है, एक तटस्थ वृत्ति है, लेकिन वह बहुत जागरूक, सावधान और सहायक तटस्थ वृत्ति है। आज का जो लोकतन्त्र है, उस लोकतन्त्र की बुनियादी से आज की अपेक्षा अधिक पुराना करने की यह नीति है।

युग नयी करवट ले रहा है

इसके बाद एक और बात। यह मेरा अपना निदान है, रीटिंग है। सर्व-सेवा-सभ के उदत्तों का कुछ हो सकता है और कुछ का नहीं भी हो सकता है। मेरा अपना यह निदान है कि आज लोकतन्त्र दुनिया में एक ऐसी अवस्था पर पहुँच गया है, जहाँ वह आज की पद्धनीति से आगे उठम नहीं बढ़ा सकता। आज जिस तरह के पद्धतने हुए हैं इस पद्धनिष्ठा की मार्कत और इसके चल पर अन्व

जनतंत्र का कदम दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने देखा कि कांग्रेस जैसी एक सस्था है और आज यह कोई लोकप्रिय सस्था नहीं है। यह मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ। चुनाव में यह जीत जाती है, यह उसकी लोकप्रियता का द्योतक नहीं है। एक दिन आ सकता है कि जब कांग्रेस चुनाव में भी जीतेगी, वह ऑफिस में होगी, लेकिन पॉवर में नहीं होगी। सत्ता उसके हाथ में विलकुल नहीं रह जायगी। वह दिन बहुत नजदीक आ रहा है। आज हमारे जैसे अहिंसा में विश्वास करनेवाले और हममें से कुछ ऐसे भी हैं कि वे शान्ति की स्थापना के लिए शायद अपने प्राण भी दे देने में नहीं हिचकेंगे, वे लोग भी कुछ असहायता का अनुभव कर रहे हैं। एक तरफ गुंडे का डडा है, दूसरी ओर सरकार की फौज और सेना की गोली है। दोनों के बीच में नागरिकता पिस रही है। नागरिक जीवन जहाँ फक्शन नहीं करता, साधारण नागरिक जीवन जहाँ फक्शन नहीं करता, क्रियाशील नहीं होता, वहाँ कोई भी जनतंत्र किसी भी प्रकार पनप नहीं सकता। यह तो एक भयानक परिस्थिति है। इसको देखकर मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इस देश में कांग्रेस के मुकाबले दूसरी कोई पार्टी पनप नहीं सकती या बन नहीं सकती। इसका मुख्य कारण यह है कि आज की पद्धति लोकशाही के दिन भी अब बीत रहे हैं। शायद लोकतंत्र अब कुछ नयी दुनियाओं पर रखा जायगा, तभी वह आगे बढ़ सकेगा। चूँकि यह एक आशा की परिस्थिति पैदा हुई है कि तानाशाही दुनिया में से खतम हो रही है। यह जो स्थलिन-प्रकरण रूस में हुआ, इसको मैं इसका द्योतक मानता हूँ। जिस तरह से साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद दुनिया में से समाप्त हो रहा है, उसी तरह से “टिक्टोरशिप ऑफ़ दि प्रोलेटेरियन”—एक वर्ग की तानाशाही का जमाना भी अब बीत रहा है। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जयप्रकाश वाचू ने अपने निवेदन में इसका संकेत अभी हाल में ही किया है। वे यहाँ उभरियत हैं, लेकिन उनके पीछे मैं यह कहा करता हूँ कि उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा बना हुआ है कि जो अन्तर्गामी परिस्थिति है और जमाने में आकांक्षा होती है, वह पहले उनके हृदय में प्रतिबिम्बित होती है, बाद में बुद्धि में उसका प्रकाश पड़ता है। मैं इसको एक नया प्रकाश बिन्दु मानता हूँ कि अब दुनिया में वे तानाशाही भी खतम हो रही है।

नया प्रकाश-विन्दु

तानाशाही खतम हो जाय और लोकशाही में जन-शक्ति के निर्माण का माहा पैदा न हो, तो लोकशाही को कदम रखने के लिए दुनिया में चप्पाभर जमीन रहनेवाली नहीं है। इसलिए सर्व-सेवा-सघ इस नतीजे पर पहुँचा है कि हमको चुनाव के मामले में तटस्थ रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और जन-शक्ति के निर्माण में जो प्रगति हम कर रहे हैं, उसमें से दूसरी तरफ अपना ध्यान नहीं बँटने देना चाहिए। जो लोग आज सत्ता की राजनीति में हैं, उनकी तरफ से इसमें किसी प्रकार का हर्ज नहीं है, कोई पावित्र्यवाद नहीं है। यह नहीं माना गया है कि जो लोग वह काम कर रहे हैं, वे घटिया हैं और हम लोग कुछ उनसे बढ़कर हैं, अधिक पवित्र हैं। इसमें पलायनवाद भी नहीं है। यह नहीं है कि सत्ता की राजनीति में से भागकर कुछ अलग रह जाना चाहते हैं, जिसमें हमारे चरित्र पर, हमारे व्यक्तित्व पर किसी प्रकार के छींटे न लगे। इसमें यह भी कोई वृत्ति नहीं है। एकमात्र विचार इसके पीछे यह है कि अगर विधायक जन-शक्ति का निर्माण हमको करना है और आज का जो लोकतन्त्र है, उस लोकतन्त्र के पीछे लोक-शक्ति के अधिष्ठान को उपस्थित कर देना है, तो इसके सिवा दूसरी कोई नीति सर्व-सेवा-सघ को इस वक्त उचित मालूम नहीं हुई। लेकिन सर्व-सेवा-सघ सर्वोदय का कोई ठेकेदार नहीं है। और वह कोई शकराचार्य का पीठ भी नहीं है कि वहाँ से कोई व्यवस्था सर्वोदय के बारे में दी जायगी और लोग उसको मानेंगे। अगर लोग इसको इस तरह से मानने लगेंगे और ऐसा बन जायगा, तो इस सद्भाव की उपयोगिता भी समाप्त हो जायगी और उसका जीवन भी समाप्त हो जायगा। नम्रतापूर्वक हमको यही मान लेना चाहिए कि सर्व-सेवा-सघ के अलावा और सर्व-सेवा-सघ में भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, जो यह मानते हैं कि सत्ता की राजनीति का उपयोग हम जिन मिडान्तों को दुनिया में चरितार्थ करना चाहते हैं, उनको चरितार्थ कराने के लिए हो सकता है। उदाहरण के लिए दादा कृपालानी हैं। दादा कृपालानी को हमने सर्वोदय विचार की दृष्टि में और गांधी-विचार की दृष्टि से सर्व-सेवा-सघ के किसी भी व्यक्ति में कम नहीं माना है और

विनोबा से किसी प्रकार कम नहीं, बल्कि बराबरी का माना है। देवर भाई हमारे बीच कभी-कभी आकर भूदान का काम करते हैं। वह भी गांधी और सर्वोदय के विचार को माननेवाले हैं। जयप्रकाश बाबू स्वयं हैं। तो आज की परिस्थिति में उसकी (सत्ता की राजनीति की) तरफ से विलकुल उदासीन रहना, तटस्थ रहना हमारे लिए वाञ्छनीय नहीं होगा, ऐसा विचार कुछ लोगों का हो सकता है—जो उतने ही निष्ठावान् सर्वोदय-निष्ठ व्यक्ति हैं, बल्कि हम लोगों से अधिक निष्ठावान् हैं। सर्व सेवा सघ का ध्यान इस तरफ भी है, इसलिए दूसरे हिस्से में यह कहा गया कि ऐसे व्यक्ति वोट देंगे और वोट देना अपना कर्तव्य मानेंगे, फिर भी सर्व-सेवा सघ ने उनकी तरफ से मन्त्रतापूर्वक यह आशा की है कि जिन लोगों का अहिंसक साधनों के लिए आग्रह नहीं है, ऐसे व्यक्तियों का वहाँ जाना वह पसन्द नहीं करेंगे। जनतन्त्र के लिए नागरिक निरुपाधित होना चाहिए। निरुपाधित से मेरा मतलब यह है कि उसके पीछे जाति, धर्म इस प्रकार का कोई एक विशेषण या उपाधि नहीं होनी चाहिए। यह विचार सर्व-सेवा-सघ के दिल में है, इसलिए उसने यह भी जोड़ दिया है कि जो सम्प्रदायवादी होंगे, उनके लिए भी वह अपना वोट खर्च नहीं करेगा। और अन्त में उसने यह भी कह दिया है कि आखिर में हमको पक्षनिष्ठा की तरफ से लोकनिष्ठा की तरफ जाना है, तो हम यह भी आशा करते हैं कि पक्ष अगर किसी गलत आदमी को खड़ा कर दे, तो हम पक्षनिष्ठ हैं, इस वजह से उस आदमी को अपना वोट न दें। यह पक्षनिष्ठा से लोकनिष्ठा की तरफ एक कदम आगे बढ़ने की तरह है, यह विचार सर्व-सेवा-सघ का है।

विश्व का राजनीतिक मानस और प्रस्ताव

अतः मैं एक बात और आप लोगों की सेवा में निवेदन कर दूँ। जिस समय और जिस परिस्थिति में पक्षों का निर्माण हुआ और यह पक्ष बने इंग्लैंड में और अमेरिका में—वह परिस्थिति और जिसे वह सदर्भ या 'कटेक्स्ट' कहते हैं, वह आज तो दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए वहाँ भी अब एक विचार पेश हुआ। और प्रभा कल ही एक अखबार में निकला था कि आखिर अपनी आत्मा, अपनी

कास्टीच्यूएन्सी याने अपना निर्वाचन-क्षेत्र और अपनी पार्टी, इन तीन निष्ठाओं में से कौन-सी निष्ठा का अंत में पार्लियमेंट का सदस्य पालन करे, किसको वह सरल, श्रेष्ठ माने। क्या अपने निर्वाचन क्षेत्र को माने ? तो वह मेबर एक निर्वाचन-क्षेत्र का हो सकता है, लेकिन पार्लियमेंट में जाने के बाद तो वह इंग्लिश पार्लियमेंट का मेबर बन जाता है। फिर वह किसी एक क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं रह जाता। अपनी पार्टी को श्रेष्ठ माने तो पार्टियों के सिद्धांत जितने पहले स्पष्ट थे, उतने स्पष्ट नहीं रह गये हैं। पार्टियों के सिद्धांत और कार्यक्रम अथवा एक-दूसरों से मिलते-जुलते हैं। अगर गुड़वा भाई नहीं, तो सौतेले भाई जरूर मालूम होते हैं। उनमें एक तरह का कौटुम्बिक साधर्म्य-सा आ गया है—इंग्लैंड में, अमेरिका में और भारत-वर्ष में भी। यह परिस्थिति आज के पक्ष-भेदों की है। साधन निष्ठा में भी उतना अंतर अब नहीं रह गया है, जितना पहले था। इन सारी बातों का विचार करते हुए दुनियाभर में जितने लोकसत्तावादी हैं, वे अब इस समस्या का विचार कर रहे हैं कि आगे चलकर लोकसत्ता का और लोकतंत्र का स्वरूप क्या होगा। इस-लिए सर्व-सेवा संघ ने एक बहुत छोटा-सा संकेत इसमें किया है। असल में यह जो संकेत किया गया है, उसका सारा श्रेय एक तरह से जयप्रकाश बाबू को है। उन्होंने अपनी प्रजा-समाजवादी पार्टी से कहा कि मुझसे लोग पूछते हैं कि तुम वोट किसको दोगे, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रजा-समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दूंगा। लेकिन प्रजा-समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अगर ऐसा हो कि जिसे मैं उपयुक्त नहीं समझता, तो मैं उसको वोट नहीं दूंगा, पार्टी का उम्मीदवार भले ही हो। इसको हम पक्ष-निष्ठा से लोकनिष्ठा की तरफ एक अगला कदम मानते हैं। इसलिए इस प्रस्ताव में उल्लेख कर दिया गया है। पहले हिस्से में सिर्फ सर्व-सेवा-संघ ने अपनी नीति स्पष्ट की है कि हमारी नीति बहिष्कार की नहीं है, असहयोग की नहीं है, नाब्रह्मण, जागहट्ट, भावरूप और तटस्थता की है। क्यों है ? आज जिन तरह का लोकतंत्र बना हुआ है, वह स्वर्धा के सिद्धांत पर चलता है, स्वर्धा के तत्त्व पर चलता है। आर्य समाज में तो हम स्वर्धा को हटा देना चाहते हैं। राजनैतिक क्षेत्र में जो लोकतंत्र होगा, उसमें भी अब स्वर्धा नहीं रहनी चाहिए। दूसरे हिस्से में उन लोगों के लिए कहा गया है कि जो अहिंसा को मानने हैं, अहिंसक समाज-रचना

को मानते हैं, सर्वोदय के सिद्धांतों को भी मानते हैं, फिर भी नागरिक के नाते देना अपना कर्तव्य मानते हैं। मैं मानता हूँ कि इतना स्पष्टीकरण पर्याप्त होगा

पत्नी

१६-११-'५६

: २२ :

समझौते की जरूरत

(जयप्रकाश नारायण)

मैं जो कहने जा रहा हूँ, वह मेरे अपने ही बारे में है। अपने व्यक्तिगत विचार और व्यक्तिगत आचार, दोनों के बारे में निवेदन करूँगा। वग साहब ने सुबह जो कहा, उसकी वजह से भी मुझे लगा कि कुछ निवेदन करना चाहिए। रात शकररावजी से झूठ विषय पर काफी चर्चा हुई और मैंने अपनी भूमिका उस सामने रखी। जो सिद्धान्त सर्व-सेवा-सघ के प्रस्ताव में, चुनाव के सम्बन्ध ग्रथित किये गये हैं, उनसे हमारा कोई मतभेद नहीं है और किस प्रकार से सर्व के कार्यकर्ता को 'निरुपाधि' बनना चाहिए—इस सम्बन्ध में जो कहा गया उसके बारे में भी हमें कुछ कहना नहीं है। अहिंसा और सर्वोदय की दृष्टि से के साथ हमारा सम्बन्ध क्या हो, वह सब उस प्रस्ताव में कहा गया है। लोक की निष्ठा के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है, वह सब मुझे सर्वथा मान्य है।

मेरी अपनी कठिनाई

इतना सब एकमत होने के बाद भी विचार की दृष्टि से और व्यक्ति परिस्थिति की दृष्टि से दिक्कत कहाँ आती है, वह आपके सामने रख देता जैसा आप सभी जानते हैं कि मेरा साधारण सम्बन्ध प्रजा-समाजवादी पार्टी आन भी मान्य है—इस माने में कि मैं उसका साधारण सदस्य हूँ। उस वि में मैं आपसे कुछ अधिक नहीं कहूँगा। यह वास्तविकता है कि आज भी सदस्य होने का नाम रखी है। जिन विचारों को मैंने मान्य किया है, उनके अनुसार अमल तो मुझे मदस्यता छोड़ देनी चाहिए, इस बारे में कोई सन्देह मेरे मन में

है। सदस्यता के प्रश्न का भी कुछ विचार हुआ। उसका भी थोड़ा सा इतिहास है। जीवनदान के बाद प्रश्न उठा था, मुजफ्फरपुर में। उस समय न केवल मेरी ही राय थी, बल्कि ब्राजा की भी राय थी कि सदस्यता मुझे कायम रखनी चाहिए। बाद में ब्राजा की राय बदली और मेरी भी राय बदली। धीरे-धीरे भाई की राय, मेरे खयाल में, मुजफ्फरपुर में ही थी कि मुझे सदस्यता त्याग देनी चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं। खैर, आप तो इतना ही समझ लें कि यह मेरी अपनी कमजोरी है, जिसके कारण जो विचार जँचा, उसका आचरण नहीं हुआ। शायद ऐसा समय शीघ्र ही आयेगा, जब कि इस सम्बन्ध में मैं अपने विचार पर अमल कर सकूँगा। जीवन में यह कोई पहला ही मौका नहीं है कि विचार पर पूरा आचरण मुझसे नहीं हुआ है। ऐसा अक्सर होता रहता है और शायद आगे भी हो—यह एक कमजोरी है।

जहाँ तक मैंने जग साहब का भाव समझा, मैं नहीं कह सकता कि शायद उनका ऐसा खयाल रहा हो कि मैंने भूदान का कार्य छोड़कर कोई और कार्य उठा लिया। ऐसा किसीका कहना हो, तो उसकी भूल होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। मैंने कोई दूसरा काम उठाया नहीं है और मेरी एकाग्रता कुछ भंग हुई है, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। आत्म-सयम की मुझमें कमी है। तो जिस तरह मारी शक्ति इस कार्य में किसी समय व्यक्ति को लगानी चाहिए, उस तरह नहीं लगा पाया हूँ, यह दूसरी बात है। लेकिन मेरे सामने यही एक कार्य है, दूसरा कार्य नहीं है। मैं एशियाई समाजवादों सम्मेलन में गया, तो वहाँ भी आपका ही काम किया। मैं यह तो नहीं कह सकता कि उस काम का मुझे बड़ा गर्व है। लेकिन वह सब लेकर अच्छा ही काम हुआ।

दौरा मुल्तानी रखने का कारण

व्यक्तिगत विचार की जहाँ तक बात है, मैं अचर्य कुछ विचार तकसील में आपसे गमने रखना चाहता हूँ। एक बात और कह दूँ। एकाग्रता भंग न रोते हुए भी मेरा जो अंग्ल भारतीय दौरा होनेवाला था, वह कुछ दिनों के लिए मुल्तानी हुआ है। इतनी कुछ मैं निश्चित है। यह करने की आवश्यकता

इसलिए हुई कि वग साहब ने खास इसी चीज का जिक्र किया। काम तो, दौरा न भी करूँ तो भी, भूदान का ही करता हूँ, दूसरा काम न करना है और न कर रहा हूँ। लेकिन कुछ उलभन ऐसी आयी कि इस चुनाव के सन्दर्भ में मैंने ऐसा निश्चय किया। टाटा ने मना भी किया कि इस तरह की प्रतिज्ञाएँ कर लेते हो, यह ठीक नहीं है। फिर भी मुझे लगा कि जो विचार मेने व्यक्त किये है—जिनके सम्बन्ध में अभी निवेदन करने जा रहा हूँ—विचारों को व्यक्त करने के बाद, यह संभव है कि इस प्रकार के विचार में बार-बार व्यक्त करूँ। ऐसी हालत में अगर मैं दौरे पर इलेक्शन के समीप के हफ्तों में या महीनों में घूमता हूँ, तो मेरे बारे में गलतफहमी हो सकती है और काम को नुकसान पहुँच सकता है इसलिए मैंने निश्चय किया कि जब चुनाव खतम हो जायगा, तो अप्रैल के महीने से फिर अखिल भारतीय दौरा करूँगा। वैसे तो अक्तूबर के अन्त तक दौरा मेरा था ही। नवम्बर का कुछ हिस्सा बीता बरई में और अभी इस दिसम्बर के बाद तक मैंने निश्चय किया है कि बिहार में ही रहूँगा। बिहार में मैं अगर दौरा भी करूँ, तो मेरे सम्बन्ध में शायद गलतफहमी न हो, कम-से-कम अपने परिवार में और अपने समुदाय में तो नहीं होगी, ग्राम तौर से भी जनता में शायद न हो। लेकिन और प्रान्ता में गलतफहमी हो सकती है।

हम आगे न बढ़ सके

अपने विचार में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज की परिस्थिति में जो आपने फैसला किया, सिद्धान्त की दृष्टि से ठीक होते हुए भी व्यवहार की दृष्टि से आपको कुछ और आगे जाना चाहिए। कल हमने गौरी बाबू से और शकरगवर्जी देव से कहा था कि 'डेमोक्रेसी' लोकशाही को परिभाषा 'कॉम्प्रोमाइज' याने 'समझौता' की गयी। और अहिंसा की भी परिभाषा, मैं मानता हूँ कि वही है। विचार में तो कोई समझौता हो ही नहीं सकता। लेकिन व्यवहार में करना होता है। आज भी गत-दिन व्यवहार में समझौता हम कर रहे हैं। प्रोमप्रनाशजी जैसे हमारे कुछ मित्र हैं, जो प्रश्न उठाते हैं कि शासनमुक्त समाज का प्रयोग करना है क्या। फिर भी हम

तो शासन से नरम-तरह की मदद लेते हैं और उसके रूपों से कुछ काम करना चाहते हैं। इस पर ये हमारे मित्र उठते हैं आपत्ति, लेकिन हमको लगता है कि यह भी एक प्रकार का समझौता ही है। हम देश को शासन-मुक्त समाज की तरफ ले जाना चाहते हैं। अगर आज 'आकाश-कुटुम्ब' की तरह यह शासन-मुक्त समाज लोगों को असम्भव लगता है। एक दृष्टि से देखने पर बहुत कुछ प्रगति हुई है। मैंने भी कांचीपुरम् में कहा और आज यहाँ विमला बदन ने भी कहा, वह सबको मान्य है। दूसरी दृष्टि से जो हमने अपने लिए उद्देश्य रखा, उसके लिहाज से विचार करे, तो हम कितना कम आगे बढ़े हैं? आज साठे पाँच लाख गाँवों में ने, इतने वर्षों तक राष्ट्र के जमाने में कार्य हुआ और घाट में भी इतना नाग काम हुआ, तो भी एक भी गाँव ऐसा नहीं है, जिसको हम नवने के तौर पर पेश कर सकें। शायद एक गाँव भी ऐसा नहीं है, जहाँ ग्राम-राज काम हुआ हो। गारे देश को लगता है और इस दृष्टि में ठीक लगता है कि आज भी हालत में लोगों के रोटी, रोजी, शिक्षण, स्वास्थ्य का जो कुछ सवाल है, वह सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। राज्य बैसा है, चुनावों का क्या नतीजा निकलता है, क्या नहीं निकलता है, देश की अपार जनता को, सब लोगो को लगता है कि उसीसे हमारा भाग्य बनने बिगड़नेवाला है। दर असल मिम हट तक भाग्य बननेवाला है, मिम हट तक भाग्य बिगड़नेवाला है, यह बात दूसरी है। नन्ध तो यह है कि न बहुत बनेगा, न बहुत बिगड़ेगा। आखिर देश की जनता के जीवन में कितना थोड़ा सम्बन्ध सरकार का कामकाज या पञ्चवर्षीय योजना आदि का है? लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से जो जो कार्य हो रहे हैं, उन सब कार्यों का असर जनता पर होने ही वाला है और हो रहा है।

प्रस्ताव में समझौता

प्रस्ताव में एक समझौता आने में ऐसा दिवा कि स्वतन्त्र-विचार के ऐसे कुछ लोग होंगे, जो अपना मतदान देना चाहेंगे। स्वाभाविक है कि वे सोच-विचार पर मतदान करेंगे। वह प्रारम्भ एक समझौता है। हम यह विचार लोगों के सम्मने रखना चाहते हैं कि यह जो अनेक जनता रखती है कि सरकार के हाथों

से ही हमारे भाग्य का निमण होगा, वास्तविकता ऐसी नहीं है। सत्ता की ओर से जनता का ध्यान हम मोड़ना चाहते हैं। उसके परावलंबन को छुड़ाना चाहते हैं। उसमें शक्ति पैदा करना चाहते हैं और नीचे से स्वराज्य का निर्माण करना चाहते हैं। यह सब करना है तो उस दृष्टि से, हृदय-परिवर्तन की दृष्टि से, पक्ष-निष्ठा मिटाने की दृष्टि से, पक्ष-परपरा को मिटाने की दृष्टि से, यह तय किया कि हम चुनावों से कोई संवध नहीं रखेंगे और मतदान भी नहीं करेंगे, स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा गया। फिर भी प्रस्ताव का जो पहला पैरेग्राफ है, उसका अर्थ यही होता है और जब पूछा गया, प्रवध समिति में, कि यह अर्थ बताया जायगा कि नहीं, तो स्पष्ट कहा इस प्रस्ताव के बनानेवालों ने, कि यही अर्थ उसका है। लेकिन फिर भी कुछ समझौता, 'काम्प्रोमाइज' आपने किया। ऐसे विचार के लोग जो सर्वोदय को मानते हैं और जो निश्चित ही अपना मत भी देना चाहते हैं, उनसे इस प्रकार की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है कि हिसा में विश्वास रखनेवालों को, सम्प्रदाय के माननेवालों को, वे वोट नहीं देंगे।

मेरा खयाल है कि इससे एक कदम और आगे जाने की जरूरत थी। और जनता की अपेक्षा भी आपसे वैसी थी। हम लोग पहले ऐसा कहते भी थे। समाज में ऐसी एक सेवा-शक्ति और नैतिक शक्ति का निर्माण हो, जो सत्ताधारियों के लिए और सत्ता-प्रणाली के लिए, एक शुद्ध करनेवाली, एक करेक्टिव, एक प्रभाव डालनेवाली शक्ति साबित हो। सत्ता हाथ में न लेते हुए भी जब तक सत्ता की सस्थाएँ हैं, तब तक उन सस्थाओं पर हमारा प्रभाव पड़े, नैतिक प्रभाव पड़े, यह हम कहते आये हैं। अब हमारी अपेक्षा यह है कि जो सर्वोदय-विचार अब तक फैला है, जिस दृष्ट तक वह कारगर हुआ है, उससे जो शक्ति पैदा हुई है, उस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रभाव सशोधक के रूप में पड़ना चाहिए, इस चुनाव के ऊपर भी पड़ना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि हमारी तरफ से यह कुछ करने की आवश्यकता है कि हम अमुक पार्टी को वोट दें या ऐसा कुछ हम जनता को मुझसे कि किस व्यक्ति को वोट दें। लेकिन हम जनता को यह चर्चा समझाएँ कि मतदान आप करने जाते हैं, तो इस प्रकार से विचारकर, अमुक पार्टी को सोचकर मतदान करें। कहीं मैंने सुना, शायद ब्रम्हई में एक मार्ट ने कहीं कदा

कि कोई उम्मीदवार बोट मॉगने आयागा, तो उससे पूछना कि तुमने सम्पत्ति-दान और भूदान दिया है या नहीं ? जो बात मैं कह रहा हूँ, उसका यह एक छोटा-सा नमूना है। तो उसके जवाब में कहा गया कि भाई, इस तरह से हर उम्मीदवार, हर पार्टी का उम्मीदवार कहेगा कि हाँ, हमने दिया है। पहले नहीं भी दिया होगा, तो उस वक्त दे देगा, ताकि पूछने पर वह ब्रता सके कि हमने दिया है। लेकिन इस तरह से वह कर दे, तो भी मैं समझता हूँ कि एक तरह से जन-मानस का निर्माण हो रहा है, विचार फैलाया जा रहा है। यह सब लोग कह दें, कम्युनिस्ट भी कह दें, जनसंघी भी कह दें, कांग्रेसी भी कह दें, समाजवादी भी कह दें कि हमने भूदान दिया, सम्पत्ति-दान दिया, तब यह प्रश्न उठता है कि इनमें भेद क्या रहेगा ?

सारा विचार हम जनता को समझायें और कहें कि तौलो और यह तौल करके अपना मतदान करो। तब आज जिस हालत में हम हैं, आज से बीस वर्ष बाद ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है कि हमारा आदर्श केवल एक गूलर का फूल ही नहीं रहेगा। जनता को लगेगा कि ये लोग जो सारी बातें कर रहे हैं कि शासन-मुक्त समाज बनेगा, सब कोई अपना-अपना काम कर लेंगे, शासन की आवश्यकता ही नहीं रहेगी इत्यादि, उसमें से कुछ चीज प्रकट हो रही है। पाँच-दस हजार गाँवों में ग्रामराज्य की स्थापना हुई है, सर्वसम्मति प्रथा का कुछ विकास हुआ है, अल्पमत-बहुमत का भगड़ा कुछ क्षेत्रों में पीछे हटा है इत्यादि जो लोकनीति है, उसका कुछ प्रत्यक्ष दर्शन लोगों को होगा, तो व्यावहारिकता की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि आप कर सकते हैं कि भाई, उधर की कुछ सोचना ही नहीं है, रथ ही चलना है। आज मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम जनता से यह कह सकते हैं। मैं वह भी नहीं कह रहा हूँ कि सर्व-सेवा-सभ इस प्रकार का कोई प्रस्ताव करे। प्रस्ताव में कोई मशौधन करने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अभी सर्व-सेवा-सभ इतनी दूर तक जाय, अपने प्रस्ताव में भी, तो मैं उनसे सही मानूँगा, उचित मानूँगा। उतना समझौता आज उसे करना चाहिए।

दादा ने कहा कि यह कोई पलायनवाद नहीं है। जिस भाव से उन्होंने कहा

कि पलायनवाद नहीं है, उस भाव से नहीं है पलायनवाद। क्योंकि सिर्फ़ अर्ध-वात्मक नहीं, भावात्मक भी हमारा कार्य हो रहा है। कुछ हम निर्माण कर रहे हैं। लेकिन आज की हमारी जो परिस्थिति है, हमारे द्वारा जितना निर्माण-कार्य हुआ है, साथ-साथ जितना प्रसार दूसरे तरह के कार्यों का है, उसको देखते हुए आज हमें अपना कर्तव्य लगता है कि जनता के सामने ऐसे कुछ विधायक विचार रखे कि जनता सही निर्णय कर सके और चुनावों में प्रभावशाली भाग ले सके। इस कर्तव्य से हम हटते हैं, तो उस दृष्टि से यह प्रस्ताव पलायनवाद भी लगता है। वदरहाल, सर्व सेवा-सघ न करे, परन्तु व्यक्तिगत रूप से यह किया जाय, जिनको यह लगता हो कि यह प्रस्ताव ठीक नहीं है, उनका विचार सघ स्वीकार न करे, तो भी उसे सहन करना चाहिए, और केवल सहन ही नहीं करना चाहिए, बल्कि व्यक्ति को यह अधिकार देना चाहिए कि हाँ, ऐसा हो सकता है। सत्या की तरफ से न हो, व्यक्तिगत रूप से हो। समझौते की मर्यादा यहाँ तक जाय। सर्वोदय-विचारवाले ऐसे लोग भी हैं, जो पक्षों के सदस्य हैं। देवर भार्द काग्रेस का भी काम करेंगे। कृपालानीजी पी० एस० पी० का भी काम करेंगे। दोनों सर्वोदय-विचार रखनेवाले व्यक्ति हैं। लेकिन ऐसे लोग भी जो निष्पक्ष भूमिका पर खड़े हैं, इस तरह के विचार रख सकते हैं। मैं अपनी विशेष परिस्थितियों के कारण एक पक्ष में रहा हूँ, लेकिन मेरा यह दावा है कि मेने जो भी निदान देश के सामने इन दिनों रखे हैं, वे निष्पक्ष भाव से ही रखे हैं, चाहे पटना के गोलीकाण्ड पर मैंने कहा हो, चाहे विरोधी पक्षों के मिलकर काम करने के सम्बन्ध में कहा हो, चाहे अभी हगरी के सम्बन्ध में कहा हो। चूँकि मैं 'निष्पाथि' नहीं हूँ, इसलिए लोगों को मुझे पक्षवादी कहने का मौका मिलता है। मेरा 'पक्ष' कमजोर बन जाता है। यहाँ 'पक्ष' से मेरा मतलब 'पार्टी' नहीं है। पक्ष से मेरा मतलब है, मेरी 'आजू'। मैं जो दलील पेश करता हूँ, वहाँ 'पक्ष' उस माने में कि जो बात में कह रहा हूँ, उसका अरथ कम हो जाता है। लोग समझते हैं कि पक्षपात की दृष्टि से यह मनुष्य कह रहा है। लेकिन मैं तो निष्पक्ष दृष्टि में रहता हूँ। उसी दृष्टि से चुनाव के भी सम्बन्ध में मैंने अपनी राय प्रकट की है।

मैंने तो प्रश्न हमारे सामने देश के और विदेश के आते हैं और उनके

विषय में अक्सर हम चुप रहते हैं। हमें बोलना चाहिए। हमें इस बात का कोई बहुत भय नहीं है कि कई आवाजों में हम बोलते होंगे। चूंकि हमारी मूलभूत भूमिका एक है, थोड़ा-बहुत अंतर मतभेद रहता है, तो उसका समन्वय हो जाता है। आज देश की जो राजनैतिक परिस्थिति है, उस सम्बन्ध में मैंने एक विचार रखा। उस पर से सर्वोच्च-परिवार में भी काफी भ्रम हुआ। और मेरे प्रति कुछ शकाएँ भी निर्माण हुईं। व्यक्तिविषयक शंकाओं को छोड़ दिया जाय। कहाँ तक मैंने अपने संकल्प का पालन किया है, कहाँ तक नहीं किया है, वह छोड़ दें। मैं कोई अपनी सफाई नहीं देना चाहता। विचार की दृष्टि से ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आज भिन्न-भिन्न कार्य देश में होते हैं। मान लीजिये कि किसी विधान-सभा में एक विधेयक, एक बिल, आता है, भूमि-व्यवस्था के सुधार के बारे में। तो हम अपना मत उस पर प्रकट करें, प्रकाशित भी करें। कोई व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर उनमें कह सकते हैं, जिस विभाग का वह काम है, उस मन्त्री से कह सकते हैं याने आज जो कुछ हो रहा है, उसके सुधार के लिए हम उपाय बताते हैं। केवल इतना ही नहीं कह देते कि यह तुम्हारा बिल बेकार है, हम तो ग्रामीकरण के पक्ष में हैं। ग्रामीकरण का ही कानून बनाओ और शकी सारा तुम्हारा कानून नहीं है, ऐसा हम नहीं कहते। हम यह कहते जरूर हैं कि भारत, यह अपूर्ण है, अधूरा है, इससे तुम जो समझाएँ करना चाहते हो, वह करना नहीं होती। फिर भी तुम्हारी मर्यादाओं को मानते हुए उसमें कितना सुधार हो सकता है, यह हम बताते हैं। एक मिसाल ले लीजिये। पंचवर्षीय योजना है। बहुत बड़ी चीज देश के लिए है। अब इसमें भी हम अपना दुःस्वप्न देते हैं कि यहाँ अनुकूल दोष है, वहाँ अनुकूल दोष है। यह नहीं कह देते कि सारी हमारी योजना दूसरे ही प्रकार की है। हमसे तुम्हारी योजना से कोई मतलब नहीं है। उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से आज एक राजनैतिक व्यवस्था देश में है। उस व्यवस्था के सुधार के बारे में भी हमारा अंतर कुछ मत है, तो इसलिए कि हम लोकनीति मानते हैं। आज की राजनीति के सुधार के सम्बन्ध में हम चुप न रहें, चुनाव की प्रथा क्या होनी चाहिए, चुनाव क्षेत्र कैसे होने चाहिए, बोट देने की पद्धति क्या हो, प्रत्यक्ष चुनाव हो या अप्रत्यक्ष चुनाव होना

चाहिए, इत्यादि प्रश्नों पर हमें अपना मत व्यक्त करना चाहिए। बाबा ने आज की जो पद्धति है, उसके सुधार की दृष्टि से भी कई सुझाव दिये हैं, जिससे किसी भी पार्टियों के ईमानदार और समझदार प्रमुख व्यक्ति पार्लियामेंट में जा सकें। वहाँ जाने पर सभी देश के प्रतिनिधि हैं। अपने-अपने विचार सब समझायें और साथ-साथ काम करें। वहाँ अगर हर पार्टी का 'विप' चलता हो, तो 'विप' नहीं चले, इत्यादि। और कई बातें बहुत मार्के की बाबा ने सुझायी हैं। हमारा विश्वास लोकनीति में है, इसलिए आज की राजनीति की तरफ हमको देखना ही नहीं है, ऐसा रुख हम अखत्यार न करें। इस पद्धति का किस प्रकार से सुधार होगा, धीरे-धीरे इसका ही विकास किस प्रकार उस तरफ को हो जायगा, आज जो पद्धति प्रत्यक्ष मे है, प्रत्यक्ष ठीक तरह से कैसे चले, इसका ध्यान भी हमें रखना चाहिए।

देश की नाव में सूराख

हमें गंगा पार करनी है, पटना से पहलेजा जाना है और उसके लिए जहाज नहीं है। जहाज हमारा बन रहा है। अब अगर हमको जाना है, तो नाव में ही जाना होगा—'कट्टी बोट' में। अगर उस नाव में छेद है, तो क्या हम कहेंगे कि उस छेद को तरफ हमारा ध्यान नहीं है? मुझे यह ठीक नहीं लगता। उस नाव पर आज देश सवार है—इस लोकसभा की नाव पर या संविधान की नाव पर। हमको मालूम है कि इस नाव में सूराख है। क्या सूराख है? सूराख यह है कि वह जो भिन्न-भिन्न पक्षों की पद्धति है, वह तभी ठीक-ठीक चलेगी जब कि शामन करनेवाली पार्टी के विरोध में एक सबल विरोधी पक्ष होगा। अगर ऐसा नहीं होगा, तो शासन करनेवाले कितने भी अच्छे लोग हों, वे शासन ठीक नहीं चला सकेंगे। उनका पतन होगा, वह पद्धति बिगड़ेगी। अब यह बात मैं कहता हूँ, तो कांग्रेस के मित्रों को लगता है कि यह आदमी कांग्रेस को बुरा समझता है। जवाहरलालजी जैसे नेता, जिनसे बड़ा आज देश में कोई नेता नहीं है, उन पर भी इसकी श्रद्धा नहीं है। ऐसी बात उमम से वे निकालते हैं। मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस में दोष तो अनत हैं। कांग्रेस के लोग भी उन दोषों को जानते हैं। देश भी जानता है। लेकिन जो दूसरे पक्ष हैं, जैसे

प्रजा-समाजवादी पक्ष, ये दूसरे पक्ष निर्दोष हैं, ऐसा कोई नहीं करता। मयमें बहुमत-में दोष है। लेकिन यह जो पक्ष-पद्धति है, उसीको आपने अपनाया है, और उसीके आधार पर संविधान बनाया है। तो, जैसे एक बौद्ध बनाना, लोहे का कारखाना बनाना, 'विकास योजना' चलाना, निर्माण का काम है, वैसे ही आप कहते हैं, हम देश का निर्माण कर रहे हैं, उसी तरह से जो लोग मौजूदा पार्लिमेंटरी पद्धति में विश्वास करते हैं, उनके लिए निर्माण का काम यह भी है कि देश में विरोधी दल को उठाना। मुत्तफा कमालपाशा ने ऐसा ही किया। आपके शायद ध्यान में होगा कि उस वक्त तुर्की में था एक ही पक्ष, उसीका पक्ष। लेकिन उसने अपनी पार्लिमेंट में अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों को निकाल करके विरोधी दल की बेंच पर बैठाया, उनका विरोधी पक्ष बनाया और कहा कि आप लोग निर्भीक होकर विरोध कीजिये। उस पार्टी को उसने कुछ नाम भी दिया। वही पार्टी बढ़ते-बढ़ते आज इतनी दलवान् हुई कि उस वक्त की सरकारी पार्टी की पिछले चुनाव में जबरदस्त हार हुई और इन लोगों की, विरोधी पक्ष की जीत हुई। तो, एक सर्वोदय का विचार रखनेवाला, लोकनीति का विचार रखनेवाला, निष्पक्ष दृष्टि से काम करनेवाला व्यक्ति, ऐसा क्यों न कहे कि अगर यह पद्धति आपको चलानी है, तो उसे ठीक से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि विरोध में एक मजबूत पक्ष होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि परिणतजी कितने भी ऊँचे, अच्छे, बड़े हों, कितनी भी विशाल उनकी पार्टी हो, फिर भी इस चुनाव में, अगले चुनाव में, फिर उम्मीद प्रसार में उनका बहुत बड़ा बहुमत होता है, तो कांग्रेस के लिए, देश के लिए वह बहुत गतगन्तक है। वह मैं इसलिए नहीं करता कि मैं प्रजा-समाजवादी पक्ष का सदस्य हूँ। एक नागरिक की हैसियत में और सर्वोदय-विचार को मानते हुए मैं मानता हूँ कि देश में लिए वह खराब होगा, घातक होगा।

अब उसमें एक सुधार का सलाह बा सुझाते हैं। सुझाते भी वह मान्य है। सुधार कोई एक ही तरह में हो सकता है, ऐसा मैं नहीं मानता। अगर बाधा का सुधार या सलाह वे मान लें, तो फिर दूसरे दल में काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। बाधा का सुझाव है कि पक्ष भिन्न-भिन्न होते हुए भी अच्छे-अच्छे लोग, मजदूरों में जो सज्जन लोग हैं, वे इकट्ठे हो करके, निष्पक्ष भाव से देश की सेवा

में लग सकते हैं। उनके सुभाव का कांग्रेस पक्ष भी विचार कर रहा है। मैं नहीं जानता कि क्या उनका निर्णय होगा। अब तक उनके रुख में वह बात मैं नहीं देखता हूँ। उस तरफ उनका झुकाव नहीं है। बाबा ने सुभाव दिया। जितने पक्ष हैं, उनमें से आप जिन लोगों को समझते हैं कि ये सज्जन लोग हैं, चाहे वे कम्युनिस्ट पार्टी में हों, चाहे जन-सघ में हों, प्रजा-समाजवादी पार्टी में हों या समाजवादी पार्टी में हों। जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उनकी जगहों को 'मुक्त' छोड़ दो, उनके विरोध में अपना आदमी मत खड़ा करो। तो वे पहुँचेंगे वहाँ पार्लमेंट में, तुम्हारे विरोध में ही होंगे। लेकिन कम-से-कम तुम्हारा उनका एक जगह तो समान सत्र है। तुम सत्रमें यह समानता होगी कि वे भी अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग देश को बुरा नहीं कर सकेंगे। विचार भिन्न होंगे। विचारों का आदान-प्रदान हो, लोकहित की कसौटी पर विचारों को कसो।

एक सुन्दर विचार है यह। हमारी दृष्टि में, सर्वाधिकारी की दृष्टि से, उपयुक्त विचार है। लेकिन अगर आपका आग्रह मौजूदा परिपाटी को ही चलाने का है, तो उस पद्धति को चलाने के लिए मैं बराबर कहता हूँ कि हर प्रणाली का अपना नियम होता है। अगर आप टेनिस खेलना चाहते हैं, तो क्रिकेट के नियम से उसे नहीं खेल सकते। अगर पार्लमेंटरी लोकतंत्र का खेल पण्डित नेहरू, कांग्रेस या प्रजा समाजवादी अशोक मेहता या और कोर्ड खेलना चाहते हों, तो उसके जो नियम हैं, उनके मुताबिक ही खेल सकते हैं। उन नियमों को छोड़ करके दूसरे नियमों को आप अपनाओ, तो हमें उसमें कोर्ड एतराज नहीं होगा, हमें तो खुशी ही होगी, हम तो वह चाहेंगे।

बहुत से लोगों ने समझा कि यह आदमी तो नेहरूजी के खिलाफ भी बोल देता है। जरूर इसमें कुछ स्याबा है, कुछ जलन है, यह उनको नीचा दिखाना चाहता है। सत्र कुछ कहते हैं। लेकिन नेहरूजी के लिए मेरे मन में बड़ा प्रेम है, आदर है। जो भाव पहले था, उसमें कुछ घटती नहीं हुई है। मैं समझता हूँ, उनकी तरफ से भी नहीं हुई होगी। अगर तो मैं मिला नहीं बहुत दिनों से। लेकिन हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि हमें बोलना चाहिए। नेहरूजी के हित

के लिए बोलना चाहिए। मैंने तो पटना कावरिंग के वाद पत्र में लिखा था कि ऐसा बक्तव्य देकर मैंने आपकी सेवा की है, ऐसी मेरी मान्यता है। उस पर वे जरूर नाराज हुए। व्यक्तिगत विचार-आचार के बारे में इतना निवेदन आपसे करना चाहता था। इसलिए नहीं कि आपका विचार मैं बदलना चाहता हूँ। वह फैसला हो गया है। उसको फिर से उठाने का प्रश्न नहीं है। कल व्यक्तिगत बातचीत में शंकररावजी ने, जो कुछ मैंने कहा उसके उत्तर में, बहुत ठोस और गम्भीर दलीलें और विचार दिने बहुत ही गम्भीर। आज आप उनके भाषण में उन दलीलों को सुनोगे। लेकिन उनका साग विचार सुनने के बाद भी मेरा विचार अपनी जगह पर रहा। इसलिए नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ, उसका कोई उत्तर ही नहीं है या यहाँ कोई वाद विवाद उसके ऊपर चले। एक अधिकृत रूप से शंकररावजी उस विचार को रखेंगे सर्व-सेवा-सत्र की तरफ से। शंकररावजी, दादा, धीरेन्द्र भाई, नायकम्जी सत्र नड़े लोग इस विचार को मान रहे हैं। वाद्य का आशीर्वाद है। तो अब उसमें कुछ बदल करने की बात नहीं है। लेकिन आप हमें समझ सकें। इस परिवार से तथा दूसरे परिवारों से भी कुछ ऐसा सम्बन्ध गत कि कभी कभी गलतफहमी होने से उसमें तफावत हो जाती है। सारे विरोधी दल और कम्युनिस्ट भी मिल करके, संयुक्त मोर्चा करके नहीं, बल्कि आपस में मीठों का ब्रैटवाग करके चुनाव लड़ें, ऐसा एक विचार मैंने रख दिया, तो कांग्रेस के लोगों ने मेरा बहिष्कार कर दिया। मैं गढ़वाल भूदान-यात्रा के लिए गया, तो वहाँ सुना कि कांग्रेस के लोगों को ऊपर से ही कुछ हिदायतें आ गयीं कि इस यात्रा की यात्रा में कांग्रेस को कोई भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी बर्बाद गया, तो वहाँ भी यही सुना। मैंने तो स्वेच्छा ने यह तय किया कि इसके लिए जीवनदान दूंगा। किसीने मुझसे कहा तो नहीं था कि कर दो। किसीने यह भी नहीं कहा था कि राजनीति में सक्रिय भाग मत लो, अगर अपने पक्ष के सदस्य गये, तो भी उसकी राजनीति में मत पडो। मैंने अपनी बुद्धि ने ये मर्मा-वाएँ अपने लिए बना लीं। मान लीजिये कि मैंने ऐसा नहीं किया होता और जैसे देवर भाई कांग्रेस का काम कर रहे हैं, वैसे मैं करता रहता, पी० एस० पी० का काम। तो फिर आप कहते कि यह आदमी पी० एस० पी० का काम करता

है, इसलिए भूदान के काम में आता है, तो कांग्रेसजनों को इसका बहिष्कार करना चाहिए ? यह तो नहीं होना चाहिए । भिन्न-भिन्न लोग, भिन्न-भिन्न दलों के लोग, आकर इस मञ्च पर और इस क्षेत्र में काम करें, यह नीति बराबर हमारी रही है । आपने इस पर बहुत जोर नहीं दिया कि पक्ष छोड़कर ही काम करना चाहिए । हालाँकि सर्व-सेवा-संघ के अन्दर पक्ष के सदस्य हों या न हों, यह जब प्रश्न आया था, तो हमने और श्रीमन्जी ने दोनों ने, हालाँकि हम दोनों अपने-अपने पक्ष के सदस्य हैं, यह राय दी कि इस सस्था में 'पक्ष के सदस्य' नहीं होने चाहिए । एक स्थान तो ऐसा होना ही चाहिए, जहाँ इन गुणों का परिपूर्ण विकास हो । तो वह ठीक है । लेकिन इस आन्दोलन में भिन्न-भिन्न पक्षों के लोग आ जायँ और मिल करके इकट्ठा काम करें, तो आज जो पक्षों में कटुता और लड़ाई होती है, पक्षों की जो दीवार बनी रहती है, चहारदीवारी रहती है, वह टूटेगी । यह भी हमारा एक उद्देश्य था कि भिन्न-भिन्न पक्षों के लोग आकर के यहाँ मिलेंगे, तो पक्षों के विघटन में इससे मदद मिल सकती है ।

हमने जो कुछ वक्तव्य दिया, उसके सम्बन्ध में बहुत सारी बातें अप्रामाणिक, अनैतिक कही गयीं, आदि तरह-तरह की टीकाएँ हम पर हुई । एक बात जो टीका में कही गयी, उसका उत्तर मैं दे देना चाहता हूँ । यह कहा गया कि साधन-शुद्धि में विश्वास रखनेवाला जयप्रकाश ऐसे पक्षों के साथ मिल करके और कुछ न हो, तो मीठों का बँटवारा ही सही, जो साधन-शुद्धि में विश्वास नहीं रखते हैं, काम कैसे करता है ? इसका उत्तर दादा ने दिया था । इस प्रश्न का उत्तर नहीं, इस विचार का । आज जितने पक्ष हैं, उनके साधनों में कोई बहुत बड़ा अन्तर है, ऐसा हम नहीं मानते । कांग्रेस पक्ष का भी यदि यह आग्रह हो कि हम साधन शुद्धि का ही व्यवहार करते हैं, तो वह अहंकार है । पी० एम० पी० का अगर यह कहना हो कि हम इस तरह चलते हैं, तो वह उनका भी अहंकार ही है । काफी इममें हम नीचे गिरे हैं । साधन-शुद्धि का किसीको दावा करने या आज मौन व्यक्तिगत रूप से हो, लेकिन पक्षगत रूप से किसीको नहीं है । कांग्रेस में भी साधन-शुद्धिवाले लोग हैं । दूसरे पक्षों में भी होंगे । मैं समझता हूँ कि कम्युनिस्ट पक्ष में भी कुछ लोग होंगे । इसी साधन

के विवरण में हिंसा-अहिंसा की बात आ जाती है। उस दिन तो राजाजी जैसे व्यक्ति ने हमसे कहा कि यह जो कम्युनिस्टों का हिंसा का मामला था, यह खतम हो गया। हिंसा में जो श्रद्धा उनकी थी कि हिंसा के द्वारा हम समाज में एक क्रान्ति करेंगे, वह चीज अच गयी भारतवर्ष से। राजाजी की बात से हमें आश्चर्य हुआ और कुछ हमारे पक्ष का समर्थन भी हुआ। सब पक्ष मिलकर कोशिश करें साधन-शुद्धि की। जो सबसे बड़ा पक्ष है, उसकी तरफ से कम-से-कम एक कदम आगे रखा जाय कि भाई, हम अच्छाई को पसन्द करते हैं, चलो आओ। अच्छे, अच्छे जो लोग हैं, जिनको हम समझते हैं कि अच्छे हैं, उनका हम विरोध नहीं करेंगे। तुम्हारे साथ कोर्ट समझौता करने की बात नहीं है। लेकिन हम एक गुण को हम बढ़ाना चाहते हैं। अब तक ऐसा नहीं हुआ। हृदयनाथ कुजूर जैसे व्यक्ति, जो किसी पक्ष के सदस्य नहीं हैं, उनका भी विरोध कांग्रेस पक्ष की तरफ से हुआ। तो यह सोचने की बात है, आप सब लोगों के लिए।

पलनी (मदुराई)

२१-११-५६

: २३ :

प्रस्ताव का आधारभूत सिद्धान्त

(शंकरराव देव)

प्रस्ताव का ज आधारभूत सिद्धान्त है, उसके बारे में मैं चर्चा शब्द करूँगा। सर्व-समान्य जनता में सामाजिक और आर्थिक तन्त्रीलियाँ लाने के लिए और एक नये सर्वोच्च समाज की स्थापना करने के लिए सत्ता को साधन नहीं मानता। केवल रचनात्मक कार्य में पैदा की हुई जन-शक्ति के द्वारा ही हम व्यक्ति और समाज के मानस में परिवर्तन करेंगे, तो ही हम सर्वोच्च या शासन-मुक्त समाज की स्थापना करने में सफल होंगे, ऐसी सब की श्रद्धा है। शुद्ध लोकशाही स्थापित करने का यही एक माथा और नराल (टारगेट) मार्ग है, ऐसी उद ही मान्यता है। आज पश्चिम में जिस लोकशाही को हमने स्वीकार किया

है, उसका जो आधार सिद्धान्त है, वही सदोप है। इसलिए पक्ष, चुनाव आदि जो उसका व्यावहारिक रूप है, वह भी अनिवार्य रूप से सदोप ही है। पश्चिम की आज की लोकशाही जो है, वह सत्ता के जरिये ही लोककल्याण सिद्ध करना अपना शाश्वत सिद्धान्त मानती है। 'जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए चलाया हुआ राज्य', लोकशाही की यह व्याख्या मशहूर है। इस व्याख्या में राज्य याने सत्ता गृहीत वस्तु है, तो भी पक्ष या पक्ष-पद्धति का जिक्र शुरु में नहीं है। यह ध्यान में लेने जैसी चीज है। प्राचीन लोकशाही में पक्ष का अस्तित्व नहीं था। यूरोप में, अर्वाचीन युग में, जब लोकशाही का "पूँजीवादी लोकशाही" के रूप में नया अवतार हुआ, तब उसके साथ-साथ ही पक्ष-पद्धति का जन्म हुआ है और पूँजीवाद के दोष से जब लोकशाही मुक्त हो जायगी, तभी पक्ष-पद्धति भी नष्ट हो जायगी और लोकशाही अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होगी। लेकिन आज तो पक्ष-पद्धति लोकशाही का अविभाज्य अंग मानी जाती है और लोकशाही शुद्ध स्वरूप में चलाने के लिए कम-से-कम दो पक्ष की जरूरत समझी जाती है। एक पक्ष सत्ताधारी और दूसरा पक्ष सत्ताविरोधी, क्योंकि शील-भ्रष्ट करना सत्ता का स्वाभाविक धर्म है। इसलिए सत्ताविरोधी पक्ष होगा, तो सत्ताधारी पक्ष सम्मार्ग पर रहेगा, ऐसा सर्वसाधारण तौर पर माना जाता है। इसी कारण इंग्लैंड में जो विरोधी पक्ष होता है, वह भी "हिज मेजेस्टीज अपोजिशन"—नादशाह का फटलाता है, और विरोधी पक्ष का जो नेता होता है, उसको सरकारी खजाने में वेतन मिलता है। अर्थात् जो सत्ताधारी पक्ष होता है, वही पैसे देकर अपने विरोध में एक पक्ष रखता है। क्योंकि दोनों ही "हिज मेजेस्टी" में याने "सत्ता" में मानते हैं। इसी कारण विरोधी पक्ष मत्तान्द होता है, तो भी "हिज मेजेस्टी" को कोई बका नहीं लगता। यूरोपीय लोकशाही में जो विरोधी पक्ष है, वे सही माने में सत्ताविरोधी या सत्ता का विसर्जन करने के लिए नहीं हैं। वे केवल सत्ताधारी पक्ष का विरोध करने के लिए हैं, लेकिन खुद सत्तावादी हैं। सत्ता हासिल होने तक सत्ताधारी पक्ष पर अकुण्ठ रखकर उसको सम्मार्ग पर रखना, यही उनका एकेन्द्र काम है। इसी तरह दोनों पक्षों के लिए "हिज मेजेस्टी" याने सत्ता (पावर) देवता है और दोनों ही उसको उपासना करते हैं।

लेकिन सर्व मेवा-सत्र शासन-मुक्ति को मानता है और शासन-मुक्त समाज ही मन्त्रे माने में लोकशाही समाज हो सक्ता है, ऐसी उसकी धारणा है। जन-शक्ति के जरिये वह आज सच्ची लोकशाही निर्माण करना चाहता है। इस बात में हम गांधीजी से क्रांति-मार्ग पर एक कदम आगे बढ़े हैं। व्यक्ति कितना ही बढ़ा हो, विभूति हो, तो भी उसके विचार और आचार पर उसके समय का कुछ न कुछ असर जन्म रहता है। कालनिरपेक्ष विचार और आचार केवल एक कल्पना है। आज की जो लोकशाही है, उसमें सत्ताधारियों पर काबू रखने की आवश्यकता गांधीजी भी मानते थे। लेकिन जिन बल से वे सत्ताधारियों को अकुश में रखना चाहते थे, वह राजनैतिक बल नहीं था, वह नैतिक बल था। केवल एक सत्ताविरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्ष को सही गस्ते पर रखने में पर्याप्त होगा, ऐसा वे नहीं मानते थे। विधायक काम के जरिये जो नैतिक बल पैदा होगा, वही सत्ताधारी पक्ष को काबू में रखने में सफल होगा, ऐसा वे मानते थे। दिसम्बर, १९४७ में देहली में विधायक कार्यकर्ताओं के साथ उनकी जो चर्चा हुई, उसका निष्चोड़ यही था। उनकी लोक-सेवक-समूह की जो कल्पना थी, उसमें सत्ता या राज्य (गवर्नमेंट) को पूर्णतः समझकर ही उसको रचनात्मक कार्य के द्वारा बढ़ावा देने की योजना थी। लोक-सेवक-समूह का जो विधान उन्होंने बनाया था, उसमें ग्राम-सेवकों के भिन्न-भिन्न कामों को जो फेरिस्त दी थी, उसमें मतदाताओं के रजिस्टर में हर एक गाँव के प्रौढ त्वा-पुरुष का नाम दर्ज हुआ है कि नहीं, यह देखना भी एक महत्त्व का काम था। लोक-सेवक-समूह के विधान के अनुसार ग्राम-सेवक मतदाता का पथ-प्रदर्शक, मित्र और गुरु था।

भ्रान्त-जन में जनशक्ति के सृजन या निर्माण का हम लोगों को ऐसा दर्शन हुआ है कि हम केवल नियन्त्रक "क्रेडिटिव" अर्थात् में सृजनत्मक याने "क्रिये-टिव" अर्थवा को पहुँच गये हैं। आज की मिलावटी लोकशाही को नियन्त्रण में रखने के लिये हम जनशक्ति के जरिये शुद्ध लोकशाही का निर्माण करेंगे, जिसमें गांधीजी अहिंसामय लोकशाही (Non-Violent-democracy) कहते थे। जनशक्ति किन तम पैदा की जाय, यह बात सबसे पहले गांधीजी ने ही हमें बतलाई। विधायक कार्यक्रम को उन्होंने ही पहले हमारे

सामने रखा और आजादी हासिल करने में हमने उसका काफी उपयोग किया। आजादी की लड़ाई हमने अहिंसा से ही जीती। लेकिन आज भूदान-यज्ञ ने जनशक्ति का जो नया दर्शन हमको करवाया है, वह उस समय नहीं हो सकता था, इसलिए आजादी की लड़ाई के बाद हम सत्ता हाथ में लेंगे, लेकिन उसको विरोधी पक्ष अर्थात् राजनैतिक पक्ष की जगह हम जनशक्ति से याने नैतिक बल से काबू में रखने की कोशिश करेंगे, ऐसा खयाल करने तक ही हमारी प्रगति गा गीजी के जमाने में हुई थी। लेकिन सत्ता को काबू में रखकर उसको नैतिक बल से शुद्ध करने को हम कितनी ही कोशिश करें, तो भी आखिर सत्ता तो शेष रहती ही है। और हमारा ध्येय है, शासन-मुक्ति तथा सच्ची समता। भूदान यज्ञ में जनशक्ति का जो दर्शन हुआ है, उससे हममें यह श्रद्धा पैदा हुई है कि हम उसके शुद्ध स्वरूप में भी सत्ता का उपयोग करना छोड़ देंगे और जनशक्ति के द्वारा याने अहिंसात्मक बल से सीधे शुद्ध लोकशाही का ही निर्माण करेंगे। शासनमुक्ति का और सच्ची समता का यही एक मार्ग दीखता है। लेकिन आज-कल “अहिंसात्मक मार्ग से” या “सत्याग्रह से” इन शब्दों के उपयोग से भी गलतफहमी फैलने का भय रहता है, क्योंकि इन शब्दों का भी कुछ अपना पूर्व इतिहास है। अहिंसात्मक प्रतिकार, असहयोग, सविनय कानून भंग, जेल में जाना, यही इन शब्दों का हम खाम अर्थ समझते हैं। इसी कारण बहुत-से लोग १९५७ के बाद के समय का इन्तजार कर रहे हैं। वे समझते हैं कि १९५७ में भू क्रान्ति न होगी, तो विनोबाजी सत्याग्रह शुरू करेंगे अर्थात् हम लोगों को अहिंसात्मक प्रतिकार करके जेल में जाने के लिए आवाहन करेंगे। जब १९५७ के बाद, जैसा वे समझते हैं जेल जाने की पुकार होगी, तब जेल में जाने के लिए वे तैयार हों पर तब तक वे अपना काम करते रहेंगे। जब जेल जाना शुरू होगा, तभी भू क्रान्ति का आरम्भ होगा, ऐसा वे मानते हैं। विनोबाजी आज भी सत्याग्रह ही कर रहे हैं, यह चीज उनके ध्यान में नहीं आती। क्योंकि जिसे विनोबाजी सौम्य, सौम्यतर और सौम्यतम मत्याग्रह कहते हैं, उसे कार्यकर्ता और जनता अच्छी तरह से समझती नहीं है। इसलिए इन विषयों पर काफी प्रकाश डालने की और कार्यकर्ताओं में और जनता को शिक्षित करने की बहुत आव-

शुद्ध है। १९५७ के सन्दर्भ में यह सवाल अभी केवल "अकेडेमिकल" या तात्त्विक नहीं रहा है।

"करेंगे या मरेंगे" जो हमारा नारा है, उसको भी जरा दुरुस्त करने की जरूरत है। करना या मरना, इन्हे दो चीजें नहीं समझना चाहिए। एक अभी करेगा और दूसरा समय आयेगा, तब मरेगा, यह इसका अर्थ नहीं है। एक ही आदमी करते-करते मरेगा, यह इसके माने हैं। सौम्य, सौम्यतर और सौम्यतम सत्याग्रह के माने यही हैं। जब हमने यह खबर सुनी कि एक दिन प्रातःकाल विनोबाजी पटयात्रा को चले, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद वे रास्ते में ही बैठ गये, तो हमसे आश्चर्य नहीं हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि वे चाहते थे कि आगे चलें, लेकिन शरीर ने इनकार किया। संभव है, वहाँ उनकी मृत्यु भी हो जाती। यह सौम्यतम सत्याग्रह का एक आदर्श नमूना हमारे सामने आ जाता। "करते-करते ही मर जाना" 'While doing die'—एक दिन विनोबाजी के बारे में ऐसा ही हुआ, यह हम सुनेंगे, तो हमको ताज्जुब नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं सुनेंगे, तो ही आश्चर्य होगा।

माराश, इस प्रस्ताव के बारे में हमको जो कहना था, वह यही था कि भूदान के गत पाँच साल के आन्दोलन में हमको जनशक्ति का जो दर्शन हुआ है, उसके आधार पर सत्ता को नियन्त्रित करना छोड़कर हम शुद्ध लोकशाही का निर्माण करने का ही प्रयास करेंगे। हमारे कोश में से अब "करेक्टिव" अर्थात् "नियन्त्रक" शब्द हट गया है और "क्रियेटिव" याने "निर्माता" यही शब्द रहा है। हमारे प्रस्ताव में अनुकूल परिस्थिति को स्वीकार करके मतदान के बारे में मतदानार्थी जो कुछ विचारों से दी गयी है और उनसे कुछ अपेक्षा भी रखी है, वह बात सही है। यह कुछ एक समझौता है, ऐसा हम मानते हैं। आज की लोकशाही का सफलता तानाशाही में न हो और वह शुद्ध लोकशाही बने, इसलिए आज की लोकशाही का जो शास्त्र प्रारंभ है, उनमें विरोधी पक्ष को जल्द माननीय। उसे ज्ञान में रखते हुए एक कदम प्रारंभ आगे बढ़कर हम आनेवाले चुनावों के बारे में तैयारी से कुछ दृष्टि करें, ऐसी कुछ मित्रों की राय है। सर्व-सेवा-सच की चुनाव के बारे में जो संवैधानिक भूमिका है, वह इन मित्रों को पसन्द है।

लेकिन उस पर अमल करने का काल अभी दूर है, ऐसी उनकी राय है। सर्व-सेवा-सभ के चुनाव-प्रस्ताव के बारे में अभी जो कुछ सूचना दी गयी है, वह उसके सिद्धान्त की दृष्टि से समझौता है, यह बात सही है। क्योंकि हिंसावादी और साम्प्रदायिक उम्मीदवारों के बारे में चुनाव के समय मतदाता को बौन-सी भूमिका लेनी चाहिए, इस बारे में सभ के प्रस्ताव में जो सुझाव है, वह विचार-परिवर्तन की शक्ति पर एक प्रकार की मर्यादा डालने जैसा ही है और उम हट तक वह सटोप है। लेकिन हमने एक समझौता किया है, इसलिए और आगे बढ़कर दूसरा समझौता भी करें और लोगों को एक मजबूत विरोधी पक्ष की आवश्यकता समझायें, यह हानिकारक साबित हो सकता है। चुनाव एक ऐसा मौका है, जिसका लाभ उठाकर सर्व-सेवा-सभ को अपने सिद्धान्त पर मजबूत रहकर जनता में उसका प्रचार करना ज्यादा लाभदायक होगा, ऐसी हमारी राय है। जिस शुद्ध लोकशाही के स्वरूप में और उमको प्राप्त करने के लिए जिम केवल, शुद्ध वैचारिक क्रान्ति के मार्ग में सर्व-सेवा-सभ की श्रद्धा है, उन तत्त्वों को ही सभ को जनता के सामने रखना चाहिए और उन पर ही जनता का शिक्षण करने का काम उसको करना चाहिए।

यह केवल चुनाव का ही सवाल नहीं है। भूदान-यज्ञ ने सारी जीवन-दृष्टि में ही बुनियादी परिवर्तन किया है। उमके मदर्भ में ही चुनाव के बारे में हमारी नीति निर्धारित करना एक महत्त्व की चीज है। उस बारे में हम समझौता करेंगे, तो उसका असर हमारी सारी जीवन-दृष्टि पर और भूदान के काम पर होगा। हम समझते हैं कि इस प्रस्ताव में शुद्ध लोकशाही को प्राप्त करने का जो शुद्ध वैचारिक क्रान्ति का रास्ता बतलाया गया है, उमी पर हम अटल रहेंगे, तो आखिर सभका ही हित होगा। क्योंकि यह केवल सर्व-सेवा-सभ या सर्वोद्यम समाज का ही सवाल नहीं है। देश के भिन्न-भिन्न राजनैतिक पक्ष और जनता जो स्वातंत्र्य और समता चाहते हैं, उमका यही एक रास्ता है। इस मार्ग पर चलते हुए सभके साथ ले जाने की जितनी कोशिश हम कर सकें, उतनी करना हमारा धर्म है।

पत्तनों (मद्रुगई)

: २४ :

उत्साहप्रद प्रस्ताव

(चिनोवा)

सर्व-सेवा-सघ ने चुनावसम्बन्धी जो प्रस्ताव किया है, वह बहुत ही सुन्दर प्रस्ताव है। ऐसा प्रस्ताव कभी होता है, तो मुझ जैसे को बड़ा उत्साह आता है कि समझाने के लिए कोई चीज मिल जाती है। और यह प्रस्ताव ऐसा है कि उसमें बहुत बहस हो सकती है। याने चर्चा को उत्तेजन देनेवाला प्रस्ताव है। हम अगर वोट नहीं देते, तो क्या नागरिक के कर्तव्य की हानि नहीं होती ? अगर बहुत लोग हमारी बात मानेंगे, तो क्या गलत आदमियों के हाथ में कारोबार नहीं जायगा ? आदि-आदि कई प्रश्न आते हैं। उन सब प्रश्नों के बावजूद भी वह प्रस्ताव हमारे लिए बड़ा कल्याणकारी है। क्योंकि जितना मैं लोकनीति के विषय में सोच रहा हूँ, उसमें भी (चुनाव-प्रस्ताव से भी) इतना निश्चय हो जाता है कि आज की राजनीति को मान्य करके उसको तोड़ने के लिए जो जायेंगे, वह उसको तोड़ेंगे नहीं। क्योंकि तोड़ने के लिए भी उसके बाहर नहीं रहेगे, उसके अन्दर ही जायेंगे। वृक्ष को तोड़ने के लिए वृक्ष के बाहर रहकर आप काटते हैं, तो बनता है। पर उस पर चढ़कर ही उसको तोड़ना चाहते हैं, तो तोड़ नहीं सकते। इसलिए तोड़ने के खयाल से भी उसके साथ जो सम्बन्ध जोड़ने की इच्छा होती है, वह अत्यन्त सूक्ष्मतम मोह है। मैं उसको निर्दोष मानने के लिए भी तैयार हो जाऊँगा।

बाहर से अधिक अंकुश

आज जिस हालत में दुनिया है, उसको देखते हुए कल एक आस्ट्रिया के भाई को कुछ हमने समझाया, परन्तु उनको यह समझने में मुश्किल हुई

कि चाकी का तो आपका यह सारा विचार ठीक है, परन्तु सारे समाज के परिवर्तन के लिए कहीं-न-कहीं सत्ता के केन्द्र में हमारा अकुश अगर नहीं रहता, तो कैसे चलेगा ? इस अकुश की बात को तो हम बराबर मानते हैं, परन्तु हमारे मन की यह सफाई होनी चाहिए कि उस पर अकुश हम कुछ ज्यादा रख सकेंगे, अगर हम उससे अलग होंगे। एक भाई ने हमसे कहा कि पक्षीय राजनीति (पावर-पॉलिटिक्स) में आपकी न पडने की नीति के कारण यह हुआ है कि गलत काम जो दुनिया में हो रहे हैं, उन पर टीका भी नहीं हो रही है। मैंने कहा कि विल्कुल उल्टी बात है। उन पर टीका इसलिए नहीं हो रही है कि लोग पक्षों के अन्दर फँसे हुए हैं। क्योंकि जो बड़ा पक्ष है, वह तो अपने पक्ष की निष्ठा के वास्ते टीका नहीं करता। जो उसका विरोधी पक्ष है, उसकी टीका की कोई कीमत नहीं होती। जिसकी कीमत हो सकती है, वह टीका नहीं कर सकता, क्योंकि पक्ष के अन्दर पड़ा है और वही पक्ष काम कर रहा है। दूसरा पक्ष कभी टीका करता है, तो उसकी कीमत नहीं है। इसलिए टीका तो तभी उज्ज्वल होगी और तभी कारगर होगी, जब वह पक्षातीत होगी और लोकनीति की निष्ठा रखकर की जायगी। कारगर इस अर्थ में कि उसका नैतिक परिणाम होगा, चाहे व्यावहारिक परिणाम तात्कालिक न भी हो। मुझे अभी 'अप्पासाहव' का उदाहरण यहाँ याद आया। उनको जो कुछ लगा, उन्होंने इस एस० आर० सी० के मामले में साफ तौर से कह दिया। उसकी बहुत विरोधी प्रतिक्रिया महागष्ट में हुई। उनके लिए महागष्ट में काफी आदर है। जिन दस पाँच व्यक्तियों के लिए आदर है, उनमें उनकी गिनती है। आदर के बावजूद भी बहुत विपरीत प्रतिक्रिया उनके उस कथन के प्रति हुई। फिर भी किसीकी हिम्मत नहीं पड़ी कि उसकी टीका 'असद्वेतु मूलक' है, ऐसा कहे। 'इनका अभिप्राय गलत है, वह महागष्ट के लिए हानिकारक है, महागष्ट-द्रोही है', यहाँ तक भी पटा है। परन्तु यह टीका कि उसके मूल में 'असद्वेतु' है, किसीने नहीं कहा। इमका बहुत बड़ा नतिक असर होता है, चाहे तात्कालिक असर न भी दीप्त पड़े। कुछ बातवगण जग शान होने के बाद उसका असर जरूर होता है। तो, इस बान्ते इस विषय में एक चिन्तन हम आपके सामने रख रहे हैं कि इलेक्शन के बाद हम अपने कार्यकर्ताओं की ऐसी रचना करें कि

हमारी तरफ से जो भूदान-समितियाँ बनानी हैं, हमारी तरफ से अगर बनानी हो, तो सर्व-सेवा-सभ के लिए हमने जो आदर्श रखा है, उसी नीति को, उसी आदर्श को और उसी लोकनीति को कबूल करनेवाले लोग ही उनमें रहें। बाकी के सब लोगों का सहयोग हम लेते रहे, वही मैंने यहाँ लिख रखा है।

लोकनीति के साथ सर्व-सम्मेलन

लोकनीति के साथ सर्व-सम्मेलन भी होना चाहिए। यह उसीका एक अंग है। आजकल ऐसा होता है कि बाबा पर भी कभी-कभी कोई आक्षेप होता है। ज्यादा नहीं लेते, लेकिन कोई-कोई लेता है। कहता है कि बाबा का तो मेला है, गुजराती शब्द है, 'समूल मेला'। याने 'समूल' की बारात में जैसे सब प्रकार के लोग थे भूत, पिशाच, प्रेत आदि, वैसे ही सब प्रकार के लोग इत जमात में हैं। कोई पी० एस० पी० वाला होता है। यहाँ तक कि कम्युनिस्ट भी होता है। जनसघी भी एकत्राघ होता है।

अब कुछ लोगों को लगता है कि ऐसे गलत लोगों का सहयोग लेने ने अपने कार्य की अशुद्धि होती है। तो, हम दो तरह से अभी सोच रहे हैं। एक तो हम जिसको अपनी तरफ से नियुक्त कार्यकर्ता समझेंगे या इस आन्दोलन के जो मूलाधार होंगे, उनकी लोकनीति में निश्चित निष्ठा होनी चाहिए। वह हम अपेक्षा करते हैं। इसके साथ-साथ हम यह भी करेंगे कि सब लोगों को हृदय-परिवर्तन का मौका मिले, सब पक्षों के लोगों को इसमें दाखिल होना है और दाखिल होने के लिए हम त्रिकुल अवकाश दें। हिंसा में अहिंसक मनुष्य को सहन करने की शक्ति नहीं है। वह अहिंसक मनुष्य को सहन नहीं करेगी। पर अहिंसा में हिंसक मनुष्य को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। स्टेट अगर हिंसक होगी, तो सम्भव है कि अहिंसक लोगों पर ही पावन्दी रखे और उनको खुले-आम बोलने के लिए मुक्ति देना, अवकाश देना, मौके पर खतरनाक भी मानेगी और बोलने से रोकेगी भी। लेकिन अगर अहिंसक स्टेट है, तो हिंसा का प्रचार जो भी करना चाहता है, उनको प्रचार करने की पूरी आजादी मिलेगी। जितने व्याख्यान करने हैं, जितने लेख लिखने हैं, जितने ग्रन्थ लिखने हैं, सब लिखें,

किसी ग्रन्थ को हमारी स्टेट की तरफ से ग्रन्थन नहीं होगा। जिसमें हिंसा का मण्डन किया हो, तभी अहिंसा खुलेगी। इसलिए ऐसे हिंसक लोग अगर हैं, जिनको हम हिंसक अपने अहकार से ही मानते हैं। हम हिंसा का विचार मान्य न करें, यह अलग बात है। लेकिन उनको हिंसक मान करके उनसे सम्बन्ध ही टालना, जैसे पुराने ब्राह्मणों का एक खास छूत-अछूत का भेद चलता है, वह वृत्ति हमारी नहीं होनी चाहिए। इसमें मैं बिल्कुल निःशक हूँ और बहुतों को इसमें भ्रम है और लोग बोलनेवाले थोड़े हैं, बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन भ्रम बहुतों का है। वे कहते हैं कि इसमें हम भूदान-आन्दोलन को क्षति पहुँचा रहे हैं। हम भी मानते हैं कि इस आन्दोलन का मुख्य संचालन ऐसे लोगों के हाथ में, जो कि भिन्न-भिन्न पक्षों में हैं और भिन्न-भिन्न तरीकों को मानते हैं। कुछ हिंसा में भी मानते होंगे इत्यादि होगा, तो हमारे आन्दोलन को खतरा है, ऐसा हम मान सकते हैं। अभी तो कुछ हमने इसका भी सहन कर लिया था—भूदान-समितियों के बनाने में। एक-डेढ़ साल पहले मैंने कह दिया था कि इसको तोड़ो और नये सिरे से होने दो। फिर हम बना लेंगे, स्वच्छ कोरा कागज हो जायगा, तो फिर लिखना शुरू करेंगे, ऐसा सुझाया भी था। तो वह सबको मान्य नहीं हुआ था। लेकिन आगे के लिए हमारा मन साफ होना चाहिए। हम अपने काम में सबका सहयोग लेने के लिए राजी हैं। समुद्र किसी भी नाले को स्वीकार करने से इनकार नहीं करता। वह यह नहीं कहता कि शुद्ध नदी ही इसमें आये और गन्दा पानी-वाला नाला इसमें न आये, यह समुद्र नहीं कहता। तो, हमारा अगर जन-आन्दोलन है, अहिंसा का आन्दोलन है, तो अहिंसा में सबको पचा लेने की शक्ति होनी चाहिए। उनको ग्रहण करना है, उनको मौका देना है। समुद्र मौका देता है नाले को, तो अपना सारा रूप उसको देता है। जाने अपना रूप देने के लिए उसको स्वीकार करता है। उसमें हिम्मत है। वह कहता है कि अगर तू आयेगा, तो मेरे रूप में क्या फर्क पड़ेगा? अपना ही रूप मैं तुम्हें दूँगा, इसलिए अहिंसा में यह हिम्मत होनी चाहिए कि वे लोग आयें, तो भी जोड़ हर्ज नहीं। इसलिए मैंने एक मिनाल दी थी कि अगर हमारी पटंगी सतोगुण—अहिंसा की है, तो उस बात खतम हो गयी। फिर बीच में टिच्ये, उज्जैन वगैरह चाहे जो हों, उनमें सतोगुण आये,

तमोगुण आये, हमको चिन्ता नहीं, लेकिन उस पट्टी में कहीं दोष नहीं होना चाहिए। वह ठीक दिशा में जानी चाहिए। पर ऐसे सब लोगो का सहयोग हमको लेना है। उनको मौका देना है। मान लीजिये कि मैं अगर हिन्दुस्तान की बड़ी पार्टी का मुख्य होता, ऐसी पार्टी, जिसके लोग कुश्ती करना चाहते हैं, परतु कुश्ती के लिए सामने मल्ल ही नहीं मिल रहा है, मुख्य फिफ़ यह नहीं है कि सामने कोई ऐसा मल्ल है, जो कि हमको उखाड़ देगा। बल्कि यह फिफ़ है कि कुश्ती का खेल ही शायद न हो याने कुछ लड़ने को मिलता ही नहीं है। ऐसी पार्टी का अगर मैं मुखिया होता, तो मैं जाहिर कर देता कि मैं सब पक्षों के अच्छे लोगो का सहयोग चाहता हूँ। अच्छे लोग याने जिनमें इन्टीग्रिटी है। क्या कहेंगे, इसको सच्चाई। सच्चाई याने हिंसावाले हैं, तो भी वह सच्चाई की हिंसा में मानते हैं। यह भी एक सच्चाई है। याने कम्युनलिस्ट हैं, तो भी सच्चे दिल से उसमें मानते हैं। वह भी सच्चाई है। इस तरह एक-एक गुण नहीं कहूँगा और ऐसे जितने लोग हैं, उनमें से मैं चुनूँगा। फलाने-फलाने मनुष्य के खिलाफ किसी मनुष्य को कांग्रेस-कमेटी से खड़ा नहीं करूँगा। जो उनमें से ऐसे लोग होंगे, जो कुछ विचार पेश कर सकते हैं, चाहे वह कितना ही गलत विचार हो, तो भी उनके पीछे कुछ तो है ही। रिप्रेजेन्टेटिव तो हैं ही वे किसी-न-किसी विचार के। ऐसे लोगों को उनकी पार्टी-चालों से पूछ करके नहीं कि आपका कौन मनुष्य होगा, जिसके खिलाफ हम मनुष्य न खड़ा करें, ऐसा आप चाहते हैं क्या? ऐसा पूछ करके नहीं। पर मैं ही नाम ले लूँगा और उसमें जनसंघवाले का भी नाम लूँगा, जो कि त्रिकुल बदनाम माना जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लूँगा और भी कोई होंगे, जो मुख्य होंगे, अपने दिल के माने हुए मुख्य नहीं, बल्कि लोगों में ही जिनके लिए विश्वास है। जैसे जिन्ना के बारे में महात्मा गांधीजी हमेशा कहते थे कि उस शरत्स में जो भी दोष हों, जो भी गुण हो, चर्चा करें करनेवाले, लेकिन वह मनुष्य खरीदा नहीं जायगा, ऐसा कहते थे। तो इस तरह से जो खरीदे न जानेवाले लोग होंगे, चाहे किसी पार्टी के हों, ऐसे कुछ लोगों को मैं आने दूँगा पार्लियामेंट में और कहूँगा कि उनके खिलाफ मुझे किसीको नहीं खड़ा करना है। तो कुश्ती के लिए मल्ल की जो न्यूनता दीख रही है, उसकी पूर्ति भी होगी। आयेगे, दस-पाँच लोग।

यह कोई मैं उन लोगों (बड़ी पार्टीवालों) को सुभाव देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उनके लिए मेरे पास कोई सुभाव नहीं, क्योंकि सुभाव करने का अधिकार मुझे नहीं है, अधिकार उसीको होता है, जो उस काम में पड़कर उसकी जिम्मेवारी को उठाता है। मेरा तो यह सारा गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है, तो इसलिए इस वक्तव्य में उनको सुभाव देने की कोई गुजाइश नहीं। पर मैं तो केवल एक प्रकट चिन्तन अपने लिए कर रहा हूँ कि अपनी तो कोई मिनिस्ट्री है ही नहीं। परतु यह अपना एक कार्य है, उस कार्य में भिन्न-भिन्न पक्षों के लोग, जो इस कार्य को सच्चाई से मानते होंगे, आना चाहते हो, चाहे उनके माने हुए विश्वास हिंसा के हों, अहिंसा के हों, ईश्वर-निष्ठा के हों, नास्तिकता के हों, जैसे भी हों, उन सबको हम मजूर करेंगे। यह हमारी वृत्ति होनी चाहिए एक बाजू से और दूसरी बाजू से हमारे आन्दोलन के मूल सेवक जो हम मानेंगे और ऐसे मूल सेवक कोई दस-तीस नहीं होने चाहिए, बल्कि लाख-लाख की तायदाद में होने चाहिए, वे लोकनीति में पूर्णतया माननेवाले होने चाहिए।

पलनी

२२-११-५६

[तीसरा भाग]

(प्रश्नोत्तर)

: २५ :

अप्रत्यक्ष चुनाव और प्रचार

(विनोवा)

प्रश्न .—“आपने Indirect elections (अप्रत्यक्ष चुनाव) की बात कही है। आगामी चुनाव में हम उस विचार को किस प्रकार लोकप्रिय बना सकते हैं ?

विनोवा :—आगामी चुनाव में वह नहीं होगा, उसके बाद भी होगा या नहीं, हम नहीं कह सकते। हमारा भी एक Politics (राजनीति) है, याने हम Innocent (भोले) नहीं हैं। हमारी राजनीति आज तक की राजनीति को तोड़नेवाली है। इसलिए हमारा एक समाज बनाना पड़ेगा और हमारे विचारों को दृढ़ता अपने समाज में बनानी पड़ेगी। हमें यह दिखाना होगा कि दुनिया का कोई भी मसला हम अहिंसा से हल कर सकते हैं। उसके बाद ही हमारा यह राज-नैतिक विचार सुनने के लिए लोग तैयार होंगे। तब तक हमारी गिनती मूर्खों में होगी, आज भी है। यह समझ लेना चाहिए और उस पदवी को हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। भूदान, अन्न चरखा, नयी तालीम जैसी कोई चीज देश में करके दिखानी चाहिए और तब तक आज के Politics की तरफ देखना ही नहीं चाहिए। अगर हम इन ४-५ सालों में वैसी कोई चीज करके दिखायेंगे, तो फिर हमारा असर राजनीति पर होगा। आज जो थोड़ा-सा असर दीख रहा है, उसका कारण यह है कि हमारा काम थोड़ा-सा चल रहा है। याने परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई है। आप देख रहे हैं कि दिन-ब-दिन खादी-बोर्ड के लिए अनुकूलता निर्माण हो रही

है, जमीन के बटवारे के बारे में कुछ-न-कुछ सोचा जा रहा है, राजनीतिज्ञ भी अप्रत्याक्ष चुनाव के बारे में धोल रहे हैं। अगर हमारा काम वेग से चला, तो वह परिवर्तन की प्रक्रिया भी वेग से चलोगी। लेकिन आज हम अपनी शक्ति दूसरे-तीसरे कामों में खोते हैं, एकाग्र नहीं होते हैं। हमारा विश्वास है कि भूदान आदि कामों के जरिये हम जो क्रान्ति लाना चाहते हैं, उसका थोड़ा भी जोर चलेगा, तो हिंदुस्तान की राजनीति पर हम असर डाल सकते हैं।

गाधीनगर, तिरुपुर

१८-१०-'५६

: २६ :

चुनाव-प्रस्ताव से उठनेवाले प्रश्न

(धीरेन्द्र मजूमदार)

प्रश्न —राज्य-विघटन का जो मक़्ते आपने अपने चुनाव-प्रस्ताव-सबधी लेख में किया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य-विघटक लोग राज्य-संघटन के काम में सहयोग नहीं दे सकते। परन्तु जब तक राज्य-शासन है, जनता जब तक शासनाधीन है, तब तक उसका सम्बन्ध राज्य के साथ कैसा रहेगा ? क्या शासन के नियंत्रण और उसके विघटन के लिए भी उसके निर्माण में कुछ हिस्सा नहीं लिया जा सकता ? निर्माण में मतलब सत्ता लेने से नहीं, चुनाव या अन्य किसी पद्धति में है।

राज्य-विघटन बनाम संघटन

उत्तर —यह तो स्पष्ट है कि जो लोग राज्य का विघटन करना चाहते हैं, वे राज्य के संघटन में दिलचस्पी नहीं लेंगे। और यह भी स्पष्ट है कि जब तक कि विघटन की चेष्टा मक़ूल नहीं होती है, तब तक राज्य द्वारा ही समाज का संचालन होता रहेगा और विघटन की चेष्टा करनेवाले भी अनिवार्यतः उस शासन के नीचे रहेंगे। हम जब विदेशी राज्य को विघटित करने की चेष्टा करते थे, उस समय भी जब तक विदेशी राज्य का विघटन नहीं हुआ था, तब तक हम उन्हींके शासनाधीन

रहे थे। फर्क इतना ही होगा कि उस समय हमारा सम्बन्ध उसके साथ असहयोग तथा सघर्ष का था, अब हम उसके प्रति उदासीन रहेंगे।

शासन के नियन्त्रण में हिस्सा लेने का मतलब शासन में भाग लेना ही है। चतुतः मनुष्य उसी चीज को नियन्त्रण में रखने की कोशिश करता है, जिसे वह रखना चाहता है, जैसे कि पार्लियामेंट के विरोधी दल, जो शासन-व्यवस्था पर अपना नियन्त्रण रखना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि वे शासन-व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं। वस्तुतः शासन का नियन्त्रण करने-वाला विरोधी दल, शासन का अग्र हो जाता है। यही कारण है कि इंग्लैंड के विरोधी दल के नेता को राज्य-कोष से वेतन मिलता है।

तो विघटन के लिए ही निर्माण-कार्य में कुछ हिस्सा लेना सम्भव नहीं है। हाँ, विघटन के लिए राजकीय कार्यक्रम में कहीं-कहीं सहयोग किया जा सकता है। शर्त यह है कि वह कार्यक्रम विघटन के उद्देश्य की सिद्धि में हो। मिसाल के तौर पर देश की बेकारी की समस्या हल करने के लिए राज्य की ओर से खादी-ग्रामोद्योग का कार्यक्रम चालू किया गया है। यह काम जहाँ बेकारी की समस्या को हल करता है, वहाँ ग्राम के स्वावलम्बन-सकल्प में भी मदद करता है। देहाती जनता जिस हद तक अपनी शक्ति से स्वावलम्बी हो सकेगी, उस हद तक राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी। अतएव ग्राम-राज्य के विचार-प्रचार के साथ अगर सरकार द्वारा प्रसारित खादी तथा ग्रामोद्योग का काम चलाया जाय, तो राज्य-विघटन के काम में मदद मिल सकती है। उस हद तक सरकारी कार्यक्रम से सहयोग भी किया जा सकता है।

प्रश्न :—“हमारा सम्बन्ध विदेशी राज्य से असहयोग का था और राज की राज्य-पद्धति में उदासीनता का”, यह फर्क समझ में नहीं आया। क्या इस राज्य-पद्धति से असहयोग की आवश्यकता नहीं होगी ?

उदासीनता और असहयोग

उत्तर .—उदासीनता असहयोग का ही सौम्यतर स्वरूप है। आपको मालूम होगा कि हिंसक शक्ति जितनी विराट् होगी, उतनी ही वह अधिक शक्तिशाली भी

होगी। उसी तरह अहिंसक सत्याग्रह जितना सौम्य होगा, उतना ही वह अधिक शक्तिशाली भी होगा। अंग्रेजी राज्य विघटन की चेष्टा से हम राज्य-पद्धति या सस्था का विघटन करने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि राज्य-सस्था का संचालन विदेशियों के हाथ से अपने देशवालों के हाथ में लाना चाहते थे। वह काफी छोटा काम था। तब स्थूल असहयोग से काम चल गया था, लेकिन आज हम राज्य-सस्था को ही विघटित करना चाहते हैं। इसके लिए सामान्य असहयोग काफी नहीं होगा। इसलिए हम सूक्ष्मतर यानी सौम्यतर असहयोग अर्थात् सचेतन-उदासीनता की बात करते हैं।

प्रश्न :—अप्रत्यक्ष चुनाव-पद्धति के सुभाव के द्वारा आपने मौजूदा परिस्थितियों के साथ कुछ समझौता किया है, ऐसा प्रतीत होता है। यह समझ में नहीं आया। फिर अप्रत्यक्ष चुनाव में से हम शासनमुक्ति की ओर किस प्रकार बढ़ सकेंगे, यह प्रश्न भी शेष रह जाता है।

अप्रत्यक्ष चुनाव से शासन-मुक्ति

उत्तर :—अप्रत्यक्ष चुनाव-पद्धति के सुभाव के माने यह नहीं है कि अगर ऐसा हो जाय, तो हम उसमें शामिल होंगे। यह सिर्फ आज के चुनाव के विनाशकारी नतीजे को कुछ अंश तक शान्त कर सकता है। यह सुभाव उनके लिए है, जो शासन-पद्धति को मानते हैं, जिस तरह कि सर्व सेवा-संघ के मूल प्रस्ताव में भी जो लोग चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए कुछ सुभाव पेश किये गये हैं।

अप्रत्यक्ष चुनाव से शासन-मुक्ति के काम कुछ हल हो सकते हैं, क्योंकि उससे नीचे की इकाई की जनता में कर्तृत्व भावना का बोध जाग्रत हो सकता है, जिससे शासन-मुक्ति के विचार समझाना आसान हो जायगा, क्योंकि शासन-मुक्ति का मूल आधार जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कर्तृत्व का बोध ही है।

प्रश्न :—आपने उदासीनता को असहयोग का “सौम्यतर तथा शक्तिशाली रूप” बताया है। असहयोग की बात तो समझ में आती है, उसमें एक सक्रिय कार्यक्रम रहता है, पुरुषार्थ की गुंजाइश रहती है। उदासीनता तो निष्क्रिय भावना

है, उसमें मनुष्य का पुरुषार्थ निखरता नहीं। इससे वह तो फलवती ही नहीं होगी, शक्तिशाली तो होना दूर रहा। क्या इस प्रकार से देश के लोग पुरुषत्वहीन नहीं हो जायेंगे ?

उत्तर :—अगर आप मेरी प्रश्नोत्तरी को ध्यान से पढ़ेंगे, तो मालूम होगा कि मैंने समझ-बूझकर उदासीनता के साथ “सचेतन” शब्द जोड़ा है। उदासीनता ठीक उसी तरह से जड़ और चेतन, दोनों हो सकती है, जिस तरह असहयोग भी जड़ और चेतन, दोनों हो सकता है। चूंकि गांधीजी ने चेतन असहयोग का सगठन किया और हमने उसको देख लिया, इसलिए उसकी सक्रियता समझ में आती है। लेकिन शुरू में बड़े-बड़े विचारकों ने भी गांधीजी के असहयोग को ठीक उसी तरह निष्क्रिय तथा नकारात्मक समझा था, जैसे आप उदासीनता को समझते हैं।

इतना तो आप समझते ही हैं कि अहिंसक क्रांति, निर्विरोध भावना के विकास से ही हो सकती है। आप जब असहयोग की बात सोचते हैं, तो उसमें परोक्ष रूप में विरोध की भावना आ जाती है। लेकिन उदासीनता में उतना भी विरोध नहीं आ पाता। इसलिए मैंने कहा कि आजादी जैसी छोटी चीज के लिए असहयोग से काम चल सकता था, लेकिन अब अधिक शक्तिशाली असहयोग के लिए अधिक निर्विरोध रूप चाहिए। फिर हम जिससे असहयोग करते हैं, उसकी महत्ता को तसलीम करते हैं, लेकिन जिस चीज से हम उदासीन रहते हैं, उसकी महत्ता को ही हम इनकार कर देते हैं। अगर शासन के अस्तित्व को हम महत्त्व की वस्तु मान लेते हैं, तो हमारी निष्ठा उसके विघटन में कम पड़ जाती है। अगर मान लेते हैं कि स्वतंत्र लोकशक्ति ही सब कुछ है, तो हमें अपनी सर्वांगीण दृष्टि तथा शक्ति उसीके सगठन तथा समाज-व्यवस्था में उसका उपयोग करने में लगाने की आवश्यकता है। फिर मौजूदा राज्यशक्ति के प्रति उदासीनता सहज ही आ जाती है।

उदासीनता से यह मतलब नहीं है कि चुपचाप घर बैठे रहे। हमें सक्रिय उदासीन बनना है। अर्थात् हमें जनता में उदासीनता को भावना का प्रचार तथा सगठन करना है, ताकि स्वतंत्र लोकशक्ति, राज्यशक्ति के प्रति उदासीन रहते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा व्यवस्था करके नित्य जीवन में राज्य के

अस्तित्व को ही भूल सके। यह एक विचार है, जिसके सक्रिय कार्यक्रम से शोध करने की आवश्यकता है। वस्तुतः आज के बहुसंख्यक विचारक शासनहीन राज्यमुक्त समाज का विचार रखते हैं। वे इस विचार को मानते हैं कि राज्य-संस्था अत में सूख (withen away) जायगी, लेकिन प्रश्न यह है कि वह हो कैसे ?

जब तक मनुष्य के मानस में कोई वस्तु भरपूर रहती है, तब तक वह चीज लोक-समाज में सूख नहीं सकती। मनुष्य का मन तथा दिमाग ही मुख्य वस्तु होता है। जिसके दिमाग में पीपल के पेड़ पर भूत रहता है, उसके लिए उस पेड़ पर वास्तविक भूत भी रहता है, और वह उसे प्रत्यक्ष भी करता है। जो चीज नहीं है, वह दिमाग में आते ही प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाती है, तब जो चीज है, उसे सुखाने के लिए क्या यह आवश्यक नहीं है कि हम पहले उसे दिमाग से ही सुखा डालें और समाज का काम उसमें उदासीन रहकर ही चले, ऐसा प्रयास करें ?

केवल असहयोग से अन्याय का प्रतिकार तो होता है, लेकिन समाज की पुगनी शक्ति के स्थान पर नवशक्ति का निर्माण मुश्किल है, क्योंकि असहयोग करनेवाली जनता की सारी शक्ति उसी कार्यक्रम में लग जाती है और उसमें रचनात्मक प्रवृत्ति की गुंजाइश कम रहती है। जहाँ असहयोग का कार्य खुद ही एक कार्यक्रम है, वहाँ उदासीनता अपने-आप कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है, जिसमें जनता की शक्ति उसीमें खर्च हो, बल्कि उससे जनता का मारा ध्यान दृमरी और में खिंचकर विशिष्ट शक्ति के निर्माण में लग जाता है। इस तरह सक्रिय उदासीनता सृजनात्मक कार्यक्रम होती है, क्योंकि वह राज्य-शक्ति की तरफ उदासीन रहकर पृथक् ताकत प्रत्यक्ष जनशक्ति के निर्माण तथा उसके व्यवस्थित उपयोग में लगा देती है। अतएव आपकी जो शका है कि उदासीनता के कार्यक्रम से देश के लोग पुरुषत्वहीन हो जायेंगे, वह निर्मूल है।

नाटोप्रास

=-११-१०६

‘बहुमत’ बनाम ‘सहमति’

(धीरेन्द्र मजूमदार)

प्रश्न :—सर्व-सेवा-संघ के चुनाव-प्रस्ताव पर आपकी टिप्पणी देखी । आपने प्रस्ताव का स्पष्टीकरण करके बहुत-सी शंकाओं का निवारण किया है । लेकिन आपने जो यह कहा है कि राजनीति के स्थान पर लोकनीति होनी चाहिए और लोकनीति में बहुमत के स्थान पर सर्वसम्मति से निर्णय-पद्धति ही होनी चाहिए, यह बात समझ में नहीं आती । आखिर यह कैसे सम्भव होगा कि सबकी एक ही राय हो ! यह तो एक स्वप्न-राज्य में विचरण करना हुआ । चूंकि सब लोग एक राय के नहीं हो सकते, इसलिए व्यावहारिक राजनैतिक व्यक्तियों ने बहुमत का आविष्कार किया । मुझे सर्व-सम्मति की बात अव्यावहारिक मालूम होती है ।

उत्तर :—हां, अधिकांश लोगों को यह बात अव्यावहारिक मालूम होगी, क्योंकि अब तक लोग बहुमत के सिद्धांत के अनुसार ही काम करते रहे हैं । जब “राजतन्त्र” के स्थान पर “घोटतन्त्र” की बात चली थी, तब भी आम लोगों ने उसे अव्यावहारिक ही समझा था । पार्लियामेंट-प्रथा के जन्मदाता मुल्क, इंग्लैंड ने भी अभी तक राजा को कायम ही रखा है । वस्तुतः जिस दलील के कारण सर्वसम्मति सम्भव नहीं है, उसी दलील के कारण बहुसंख्यक लोगों का भी एकमत होना सम्भव नहीं है । चूंकि प्रकृति में कोई दो वस्तुएँ हूबहू एक-सी नहीं होती हैं और चूंकि मनुष्य भी प्रकृति का ही अंग है, इसलिए किन्हीं दो व्यक्तियों का मत हूबहू एक नहीं हो सकता । सृष्टि के शुरू से आज तक जितने मनुष्यों का जन्म हुआ है, उनमें से किन्हीं दो मनुष्यों के अंगूठों के निशान तक एक-से नहीं हुए हैं । इसलिए आधे से अधिक व्यक्ति एकमत के होंगे, यह सोचना भी गलत है । वस्तुतः जब एक पार्टी बहुमत की होती है, तो विभिन्न कारणों से उसके सदस्य

एक साथ हो जाते हैं। इस “एकमत” का नियामक पद-प्रतोद (“Party whip”) होता है। इस तरह आप जिसे बहुमत का राज्य कहते हैं, वह अन्त-जोगत्वा दलपति के एकतन्त्रवाद में परिणत होता है। अतः आप यह न समझें कि हम इस बात को नहीं जानते हैं कि सब लोग एक राय के नहीं होते हैं, बल्कि हम उससे कुछ अधिक यह जानते हैं कि बहुसंख्यक भी एक राय के नहीं होते हैं। इसलिए हम “सर्वसम्मति” के स्थान पर ‘सर्वसहमति’ कहते हैं। दो व्यक्तियों में आपस में सम्मति है, ऐसा तब कहा जायगा, जब दोनों की राय एक हो। पर समाज में ऐसी स्थिति का निर्माण किया जा सकता है, जब एक-मत न होने पर भी एक-दूसरे के साथ चलने की वृत्ति हो सकती हो। उस समय एक व्यक्ति दूसरे की राय का साथ देता है। इसे “सहमति” कहते हैं। जैसे-जैसे समाज का सांस्कृतिक स्तर ऊँचा होता जायगा, वैसे-वैसे “सर्व-सहमति” की परिस्थिति बढ़ती जायगी। आज भी हमारा पारिवारिक और सामाजिक जीवन सरकार के कानून की तुलना में अधिक परस्पर-सहमति के ही आधार पर चल रहा है। समाज में सर्वसहमति का विचार जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे साम्प्रतिक स्तर भी ऊँचा उठेगा। इस तरह दोनों ही चीजें एक-दूसरे के विकास का कारण होती हैं। यही कारण है कि विनोबाजी एक ओर से जन्म से मृत्यु तक मनुष्य की प्रत्येक हरकतों को शिक्षा का माध्यम बनाकर सामूहिक रूप से समाज के सांस्कृतिक विकास का कार्यक्रम बताते हैं और दूसरी ओर से प्रतिद्वन्द्विता-मूलक बहुमत के स्थान पर सर्व-सहमतियुक्त निर्णय पर जोर देकर लोकमानस में सांस्कृतिक विकास की भूमिका तैयार कर रहे हैं।

एक जमाना था, जब मनुष्य इस बात को सोच ही नहीं सकता था कि जनता आपस में मिलकर राज्य चलानेवाले को चुन सकती है। वह स्वप्न में भी यह नहीं सोच सकता था कि आम जनता में भी ऐसी शक्ति आ सकती है। उस समय गजब चलता था। विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार से लोग यह मानते थे कि मानव की मूर्ख खलता कायम रखने के लिए राजा के रूप में किसीको स्वर्गलोक में भेजा गया है। “महती देवता राजा नररूपेण तिष्ठति”, यह समाज की वारणा थी। जैसे-जैसे मनुष्य का बौद्धिक तथा सांस्कृतिक स्तर ऊँचा होता गया, वैसे-वैसे

राजा के स्थान पर चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा राज्य चलाया जाय, ऐसी मान्यता बनी और आज, जब कि मानव का अधिक ही विकास हो रहा है, वह यह भी सोचने लगा है कि राज्य के बिना ही सुव्यवस्थित समाज चल सकता है और बहु-सख्यक विचारक राज्यहीन समाज की कल्पना भी करने लगे हैं। अतएव गांधी या विनोबा जो कुछ कहते हैं, वह उनके व्यक्तिगत खयाली विचार नहीं हैं, बल्कि वे युग-परिस्थिति के उद्गार हैं।

जिस तरह ज्ञान, विज्ञान तथा संस्कृति के विकास के स्तर के आगे बढ़ने के साथ-साथ मनुष्य की राजनैतिक मान्यता आगे बढ़ती गयी, उसी तरह मनुष्य की सामाजिक मान्यता में भी परिवर्तन होता गया। पुराने जमाने में मनुष्य यह मानता था कि लोग आत्मरक्षा के लिए निरन्तर ही एक-दूसरे के साथ संघर्ष में लगे रहते हैं और उसमें से जो सबसे अधिक क्षमता रखते हैं, वे ही जिन्दा रहते हैं। यह विचार अंग्रेजी में “Struggle for existence & survival of the fittest” के नाम से मशहूर है। अर्थात् समाज में “जिसकी लाठी उसकी भैंस” वाली मान्यता चालू थी। उस समय मानव का स्तर इतना नीचा था कि वह वैयक्तिक दायरे के बाहर सोच ही नहीं सकता था। और चूंकि व्यक्तिवादी विचार सर्वव्यापी था, इसलिए एक ही व्यक्ति सब पर राज्य करता था। कोई सर्वाधिक क्षमतावान् व्यक्ति किसी इलाके में जाकी सबको दबाकर, राजा बनकर वंश-परम्परा से राज्य चलाता था। बाद को जब मनुष्यों का सांस्कृतिक तथा नैतिक स्तर ऊँचा उठा, तो उनमें “बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय” का विचार प्रसिद्ध हुआ और तदनुसार बहुमत के राज्य में बहुमत से निर्णय आदि का विचार चला। धीरे-धीरे मानव का ज्ञान-विज्ञान आदि का स्तर और ऊँचा उठता गया और आज मानव इस स्थिति पर पहुँच रहा है कि आज के विचारक “सर्वजनहिताय, सर्वजनसुखाय” की बात सोचने में सफल हो रहे हैं और उसके अनुसार ही सर्वसम्मति के विचार सामने आ रहे हैं।

यह युगवाणी ही है

अर्थात्, “व्यक्तिगत सामर्थ्यवादी” युग में व्यक्तिगत व्यवस्था तथा निर्णय का विचार चलता था, फिर “बहुजनहितायवादी” युग में बहुमत के निर्णय की

पद्धति चलने लगी और आज “सर्वजनहितायवादी” युग में, सर्वसम्मति की व्यवस्था चलने की आवश्यकता हो गयी है। दूसरी व्यवस्था इस “सर्वजनवादी” युग में सम्भव नहीं है।

व्यक्तिवादी युग से प्रगति कर समाजवादी युग में पहुँचने के कारण मनुष्य का मानसिक परिवर्तन भी हो रहा है। व्यक्तिवादी युग की सग्रह-वृत्ति के कारण व्यापक क्षेत्र में मनुष्य के हितों में परस्पर-विरोध स्वाभाविक था और हितभेद के कारण मतभेद भी अनिवार्य ही था। आज हम जब समाजवाद का विचार करते हैं, और सपत्ति के समाजीकरण की बुनियाद डालने की बात करते हैं, तो स्वतः ही हित-सर्घर्ष या हित-भेद के निराकरण की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हित-भेद का निराकरण होता जायगा, वैसे-वैसे मतभेद का दायरा भी घटता जायगा। फिर सामूहिक हित के चिन्तन करने के सिलसिले में मनुष्य को “सहमति” के सिद्धान्त का अमल सृज रूप से ही करना होगा।

अतएव सर्वसम्मति का विचार इस युग की ऐतिहासिक आवश्यकता है। यह कुछ विनोदा के स्वप्न की कल्पना नहीं है। व्यावहारिक वह चीज होती है, जो जमाने की परिस्थिति तथा विचार के साथ चलती है। उसके आगेवाली चीज जिस तरह से अव्यावहारिक है, उसी तरह गुजरे हुए जमाने की चीज भी अव्यावहारिक होती है। साधारण मनुष्य इसे समझ नहीं पाते, इसलिए वे सकट में पड़ जाते हैं। फलस्वरूप मनुष्य को वस्तुस्थिति से परिचित कगने के लिए युगपुरुष की आवश्यकता हो जाती है।

भूदान-यज्ञ (सामाहिक) से

१४-१२-५६

चुनाव-प्रस्ताव-संबंधी प्रश्नोत्तर

प्रश्न :—जो प्रचलित लोकशाही का रूप है और चुनाव का जो मौजूदा तरीका है उसीमें खराबी है, इसलिए आपने यह प्रस्ताव किया है ? सिर्फ कांग्रेस या किसी खास पक्ष अथवा व्यक्ति पर तो कोई आक्षेप करने का इरादा इसमें नहीं है ?

दादा :—जी नहीं। यह तो आज के लोकतंत्र और चुनाव-पद्धति को लेकर निश्चय हुआ है।

प्रश्न :—चुनाव के बाद कोई भी पार्टी सत्तारूढ़ हो, तो उसको इस नीति से फायदा कैसे मिलेगा ?

दादा :—मौजूदा लोकतंत्र की पद्धति में ?

प्रश्न :—मौजूदा लोकतंत्र की पद्धति में ही चुनाव होंगे। यह तो वस्तुस्थिति है। ऐसी हालत में जो पक्ष सत्ताधारी होगा, उसे सत्ता का सदुपयोग करने में सर्व-सेवा-सम्र के इस प्रस्ताव से कैसे सहायता मिलेगी ?

दादा :—सवाल यह पूछा गया है कि इस प्रस्ताव की जो नीति है, उस नीति से जो आज सत्ताधारी पक्ष है या आगे जो सत्ताधारी पक्ष बनेगा, उस पक्ष को कैसे सहायता मिलेगी, कैसे लाभ मिलेगा। सहायता और लाभ से यह मतलब नहीं कि अपनी सत्ता रखने में कैसे सहायता मिलेगी, यह वे नहीं पूछ रहे हैं। प्रश्न यह रहे हैं कि जन-कल्याण करने के लिए, लोक-कल्याण करने के लिए या लोकतंत्र को आज से अधिक कार्य-क्षम बनाने के लिए किस तरह इससे मदद मिलेगी। दुनिया की राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करने पर स्पष्ट लगता है कि अब लोकतंत्र में दो पक्षों की सत्ता की स्पर्धा नहीं रहनी चाहिए। आज तो केवल पक्ष-निष्ठ लोकतंत्र हो गया है। आज के लोकतंत्र में हमारे देश में यह स्थिति पैदा हो गयी है कि केवल एक सत्ताधारी पक्ष का ही अस्तित्व है।

दूसरे पक्षों की सत्ता नाममात्र की है। और हम यह भी देखते हैं कि उस पक्ष के और दूसरे पक्षों के कार्यक्रमों में और साधनों में कोई खास अंतर नहीं रह गया है। तब आज हम लोकनीति की दिशा में कैसे बढ़ें, इस सबंध में कई सुझाव हो सकते हैं। मामूली चर्चा में कई सुझाव दिये गये हैं। विनोबाजी ने एक सुझाव दिया था कि अगर एक ही पक्ष प्रभावशाली है और उसकी इतनी बड़ी सत्ता है, इतनी बड़ी सख्या है, इतना बहुमत है कि दूसरे पक्षों से उसका कोई मुकाबला नहीं है, तो पहला कदम वह यह रखे कि पार्टी में से 'विप' को उड़ा दे। क्योंकि साधारण रूप से तो पक्ष के सदस्यों की राय एक है ही। ऐसे बहुत कम मौके हो सकते हैं कि जिन मौकों पर आपस में मतभेद हो। पक्ष-निष्ठा से लोक-निष्ठा की तरफ जाने के लिए दूसरा कदम यह हो सकता है कि एक करेक्टिव एलिमेंट (सत्ता की संशोधक शक्ति) होनी चाहिए। पार्लमेंट में ऐसा पक्ष न हो, जो आज के सत्ताधारी पक्ष की जगह लेने की चाह रखे। लेकिन ऐसे कुछ व्यक्ति हों, जो किसी भी पक्ष के नहीं होंगे, जितने पक्ष पार्लमेंट में है, उन पक्षों में से किसी पक्ष का बचन उन व्यक्तियों पर नहीं होगा। वे व्यक्ति ऐसे होंगे, जिनका चुनाव किसी पक्ष ने विरोध नहीं किया है। सब पक्षों के अविरोध से वहाँ पहुँच गये हैं। लोकहित की जो बात होती है, उमें वे पक्ष के बचन का विचार न करते हुए स्पष्ट रूप से खुलकर कह देते हैं। इस तरह के कई कदम सुझाये जा सकते हैं।

यह जो तटस्थता की नीति है, यह तटस्थता की नीति केवल अभावात्मक, जिसे निपेधात्मक कहते हैं, वैसी नहीं है। जो आज सत्ताधारी है या आगे होगा, उस पक्ष के लोग इससे लाभ उठा सकते हैं। इस सत्ता से अलित जो रचनात्मक कार्यकर्ता रह जाते हैं याने आज की चुनाव की राजनीति से अलित सभी पक्ष अगर चाहें तो उनकी सलाह से फायदा उठा सकते हैं। अपनी चुनाव की नीति में सभी पक्षों को परिवर्तन करना चाहिए। जहाँ दूसरे पक्षों के ऐसे उम्मीदवार पड़े हैं कि जो उम्मीदवार लोक-कल्याण बहुत अधिक कर सकते हैं, तो केवल पक्ष-भेद की बुनियाद पर उनका विरोध करने के बदले, हर एक पक्ष ऐसी जगह दूसरे पक्ष के लिए ग्याली छोड़ दे। वहाँ अपना उम्मीदवार गड़ा न करें।

इस तरह जो उम्मीदवार चुने जायेंगे, वे किसीकी मेहरबानी से नहीं, उनकी उदारता से नहीं, बल्कि इसलिए कि सारे पक्ष यह समझते हैं कि इस तरह के कुछ लोगों का असद में या विधान-सभा में रहना जरूरी है। इस तरह कई कदम एक के बाद एक हो सकते हैं।

लेकिन इसके लिए हमने इस बात की जरूरत समझी कि सत्ता की स्पर्धा से जो अलित सत्ताकांक्षी नहीं हैं, जो जागरूक हैं, सावधान हैं और लोक-वल्याण को समझते हैं, ऐसे कुछ कार्यकर्ता देश में रहे। वे लोक-शक्ति के विकास में ही निरन्तर लगे रहें। तो केवल सत्ताधारी पक्ष को ही नहीं, सत्ताकांक्षी पक्ष को भी और जो-जो पक्ष जिस-जिस समय पर सत्ताधारी बनता जायगा, उन सब पक्षों को उनसे बल मिलेगा। चापू की जो लोक-सेवक-संघ की कल्पना थी, वह कुछ इसी आधार पर थी। चापू की लोक-सेवक-संघ की कल्पना का कुछ-कुछ आभास इस प्रस्ताव में है।

प्रश्न—पहले इस सम्बन्ध में जो चर्चाएँ हुईं, उनमें यह कल्पना दी थी कि रचनात्मक कार्यकर्ताओं का, जो पक्षातीत है, उनका एक नैतिक असर चुनाव में पड़ेगा और नैतिक असर इस तरह से पड़ेगा कि जिस उम्मीदवार को वे ठीक समझते हों कि यह अहिंसा में विश्वास रखता है, उसका वे समर्थन करेंगे। इस तरह लोक-नीति की दृष्टि से एक नैतिक असर उनका पड़ेगा। अगर सिर्फ तटस्थ रहें, तो वह असर नहीं पड़ेगा। इस प्रस्ताव में आपने दो बातें कहीं हैं कि वे उन्हें वोट न दें, जो हिंसा में विश्वास रखते हैं या जो साम्प्रदायिक हैं। दो बातें तो साफ कही हैं। तो इसके बाद आप यह समझते हैं कि इससे लोगों को मार्गदर्शन मिल जायगा ? ठीक-ठीक असर पड़ेगा ? कोई प्रत्यक्ष (पॉजिटिव) असर पड़ेगा ? ठीक लोग चुने जायेंगे, चाहे किसी पक्ष के हों ? जो हिंसा को मानते हैं या जो साम्प्रदायिक हैं, उनके अलावा भी दूसरे उम्मीदवारों के चुनाव में सर्व-सेवा-संघ का या रचनात्मक कार्यकर्ताओं का प्रत्यक्ष नैतिक असर पड़े, ऐसी कोई योजना आपकी है या नहीं ?

दादा :—जी नहीं। इसमें सर्व-सेवा-संघ की जो आज मर्यादा है, वह मर्यादा भंग होती है। वह निष्पक्ष रूप से ही क्यों न हो, एक तरह से चुनाव

मे प्रत्यक्ष भाग लेना ही होगा। फिर तो जहाँ जहाँ पर जो उम्मीदवार खड़े होंगे, उनमें से हर एक के बारे में वहाँ के रचनात्मक कार्यकर्ताओं को अपनी राय देनी होगी। वे उम्मीदवार कभी इस पार्टी के होंगे, कभी उस पार्टी के होंगे, कभी किसी पार्टी के नहीं होंगे। इस तरह से चुनावों में एक तीसरी शक्ति दाखिल हो जाती है, जो ग्राह्य अप्रत्यक्ष रूप से ही क्यों न हो, सत्ता की स्पर्धा में शामिल हो जाती है। यह चीज आज सर्व सेवा-मध की मर्यादा में नहीं आती।

प्रश्न — पिछले चुनाव के वक्त आपका प्रस्ताव था कि अच्छे आदमियों को वोट दो। यही था न ? तो उसमें अब फर्क हो गया न ?

दादा — जी हाँ, पिछला जो प्रस्ताव था, वह तो उस वक्त के लिए था। गयी बात जाने दीजिये। अच्छे आदमियों को वोट देने का मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता है। मैं आपको एक उदाहरण दूँ। मेरी माँ है। मैं उसको हर तरह से पूज्य मानता हूँ। चरण छूता हूँ। लेकिन कल वह उम्मीदवार हो जाय, और कहे कि मैं किसी हरिजन को मन्दिर में नहीं जाने दूँगी, तो क्या अच्छा 'आदमी' हुई वह। अच्छे और बुरे की कोई इस तरह की पहचान नहीं हो सकती। इसीलिए तो लोगों ने पार्टियाँ कायम कीं। तब आकर इन लोगों ने एक मोटी सी मर्यादा बना ली और पार्टियाँ बन गयीं। अमुक कार्यक्रम में जो विश्वास करता हो, वह अच्छा है, जो नहीं करता, वह बुरा है। इस तरह पार्टियों में उम्मीदवार बँट गये और लोगों को भी बँटने लगे। लेकिन अब हम ऐसे मुकाम पर पहुँचे हैं कि पार्टियाँ लोक हित और लोक-सत्ता की तरक्की में रुकावट करती हैं। इसलिए अब अनुभव के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को सत्ता की स्पर्धा से ही बचना चाहिए।

प्रश्न — मेरा एक सुझाव है। सर्वोपय-योजना की चर्चा जब आप करेंगे, उस वक्त इस प्रश्न का भी विचार अवश्य करें। आज जो पार्लमेटरी डेमोक्रेसी (संसदीय लोकतंत्र) है, वह हिंदुस्तान के लिए कोई बहुत उपयोगी नहीं है। पार्टी सिस्टम (पक्ष पद्धति) हो, तो और भी गलत है। चुनाव की जो पद्धति है, वह भी हम गलत मानते हैं। लेकिन ठीक दिशा की तरफ देश को कैसे जाना चाहिए ? हम लोग हैं और पक्षों में जो लोग हैं, उनमें से कौन लोग समझना चाहते हैं कि

किस तरह से चुनाव करें ? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एलेक्शन (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव) का भी सवाल आता है। तो इस बारे में स्पष्ट कल्पना सर्व-सेवा-सव की क्या है, उसका स्पष्ट चित्र सामने आना चाहिए। जवाहरलालजी भी यह समझते हैं कि आज की चुनाव की पद्धति बिलकुल गलत है। वे कहते हैं कि इस वक्त तो बदलना बड़ा मुश्किल है, चुनाव के बाद बदलेंगे। लेकिन वह किस तरह बदलेगी, वह न हमारे सामने है, न आपके सामने है और न देश के सामने है। सर्व-सेवा-सव के सामने क्या है, यह स्पष्ट होना चाहिए। तब लोगों में हम कट सकेंगे। पार्टियाँ भी अपने में फर्क कर सकेंगी और दुनिया को भी हम एक नया गस्ता बता सकेंगे।

धीरेन्द्र भाई :—सर्वोदय-योजना जो बनेगी, उसमें लोकतंत्र का रूप क्या होगा, यह प्रश्न पूछा गया है। उसमें चुनाव होना चाहिए क्या ? आज के लोकतंत्र की भूमिका यह है कि जन-कल्याण या समाज-हित के काम राज्य द्वारा ही हों। इससे एक राज्यनिष्ठ वृत्ति पैदा होती है। अतएव हमें आज की जो चुनाव-पद्धति है और लोकतंत्र का जो रवैया है, वह ठीक नहीं लगता। उसमें आमूल सुधार होना चाहिए। क्या सुधार होना चाहिए, इसका विचार और चर्चा एक जरूरी चीज है। लेकिन हमारी नीति यही होगी कि जब तक यह दूषित तरीका है और हमको अगर उसकी जगह दूसरा बेहतर तरीका आज ठीक-ठीक मालूम नहीं है, तो उसकी खोज के लिए हमें इसमें से निकलना है। तब तक के लिए भी हम इस दूषित तरीके में भाग नहीं लेते हैं। यह एक विचार है। दूसरा विचार यह है कि हमारा लक्ष्य क्या है ? यहाँ सान्ध और साधन की बात है। सर्व-सेवा-सव ने अपना स्पष्ट लक्ष्य यह बताया है, दो-तीन साल से, कि हमें शासन-मुक्त और शोषण-मुक्त समाज कायम करना है। अर्थात् अहिंसक समाज की रचना के लिए राज्य-सत्ता का विघटन होना चाहिए। अब योजना-पूर्वक, संयोजित तरीके से हमें विघटन करने की प्रक्रिया भी उपस्थित करनी है। तो, जो लोग इस विचार के हैं और राज्य-सत्ता के विघटन के काम में लगे हैं, वे ही विचारक और वे ही सत्ताएँ राज्य-निर्माण के काम में भाग लेंगे, यह असंगत है। यह एक वैचारिक भूमिका है। एक चीज यह है कि हम राज्य-सत्ता द्वारा जन कल्याण

करने का जो एक विचार है, वेलफेयर स्टेट का जो विचार है, दुनिया में उसको मान्य रखते हुए भी चुनाव में भाग नहीं लेंगे। चुनाव की आज बे पद्धति है, उस पद्धति के कारण दूसरा विचार यह है कि हमें स्वतंत्र जनशक्ति द्वारा समाज की व्यवस्था और उन्नति करनी है और अततोगत्वा हमें योजना पूर्वक राज्य का विघटन करना है, यह हमारा कार्यक्रम है। तो ऐसी विघटनकार जो जमात होगी, वह राज्य-निर्माण किस तरह से हो, कौन जाय राज्य-निर्माण काम में, इस प्रयत्न में भाग ले, यह असगत लगता है। सर्व-सेवा-सघ की राज्य बारे में जो मान्यता है, शासन के बारे में जो मान्यता है, उसको और उसके लक्ष्य को सामने रखते हुए उसका साधन क्या होगा, उस स्थिति तक पहुँचने के लिए हम कौन-सी शक्ति की मार्फत काम करेंगे? इस दृष्टि से यह आवश्यक गया है कि हम राज्य-निर्माण के काम में दिलचस्पी न लेकर स्वतंत्र जनशक्ति के निर्माण में ही अपनी सारी शक्ति लगायें। यह जनशक्ति ही तो आगे चलकर राजशक्ति की जगह लेगी। तो, यह एक भूमिका भी उस प्रस्ताव के पीछे है।

दादा :—धीरेनदा ने जो बातें कही हैं, वे विलकुल बुनियादी और मौलिक हैं। लेकिन मैंने तो जिस मर्यादा में प्रश्न पूछे गये हैं, उसी मर्यादा में अपनी बात रखी है। हमारी चर्चा का दायरा, 'यूनिवर्स ऑव डिस्कॉर्स' जितना था, उसमें मर्यादा में मैंने अपनी बात रखी थी। पार्लियामेंट में दो पक्ष होते हैं—एक हुक्मत में होता है और दूसरा हुक्मत की ताक में होता है। याने वह उसके लिए हमेशा तैयार रहता है और सिर्फ तैयार ही नहीं, इसके लिए उत्सुक भी रहता है कि आगामी जिम पक्ष के हाथ में हुक्मत है, उस पक्ष की कब हार हो, कब हमारी जीत हो और उस पक्ष के हाथ में जो हुक्मत है, वह हमारे हाथ में आ जाय। तो, यह जो हुक्मत का उम्मीदवार पक्ष होता है, वह पक्ष, आज हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जिस तरह की समाज-रचना का और जिस तरह के लोकतंत्र का हम विचार करते हैं, उसमें नहीं हो सकता और न होना ही चाहिए। इसलिए मैंने वीच की बात आपसे कही कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो सशोधन कार्य का काम करें। याने गलती और दोष बतलानेवाले ही नहीं, उपाय भी बतलानेवाले हैं। सहयोग करनेवाले और वक्त पर गलतियाँ बतलानेवाले ऐसे

कुछ नैतिक प्रभाववान् लोग हो सकते हैं। लेकिन किसी एक पक्ष का यही काम हो कि वह गलतियाँ देखता रहे और इसलिए हमेशा उत्सुक रहे कि हमारे हाथ में सत्ता कब आती है, अहिंसक लोकनीति में यह बात आ नहीं सकती। इसलिए मैंने कुमारप्पाजी के लेख का उल्लेख किया, जिनमें उन्होंने यह कहा है कि वे जो रचनात्मक कार्यकर्ता बाहर काम करते हैं; वे अपने काम से कुछ ऐसे नमूने पेश करें कि जिनके आधार पर उस वक्त की सरकार अपना सयोजन कर सके और काम कर सके। ये नमूने इनको पेश करने चाहिए। यह विरोधीपार्टी पार्टी नहीं होगी। यह एक ऐसी जमात होगी कार्य-कर्ताओं की, जो समाज का कदम किस दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए, इसका कुछ चित्र समाज के सामने प्रत्यक्ष रूप से पेश करती रहेगी। कोई नमूना पेश करने की जो माँग है, उसको मैं बहुत जायज और वाजिब समझता हूँ। लेकिन आज वह माँग अच्छी तरह से पूरी इसलिए नहीं हो सकती कि जितने प्रयोग और जितने नमूने पेश करने होंगे, वे आज के संदर्भ में पेश करने होंगे। आज के संदर्भ में उन नमूनों को नापने के लिए आप पैमाना आज का ही लगावेंगे। आपके जो नाप होंगे, चढखरे होंगे, वे आज के समाज के मूल्यों के अनुरूप होंगे। इन नये प्रयोगों की सफलता और असफलता को नापने का आपके पास जो पैमाना होगा, वह आज के समाज के मूल्यों का दिया हुआ पैमाना होगा। नया पैमाना, नये मूल्यों का पैमाना, आप उसके लिए लागू नहीं करेंगे। इसलिए आज के समाज की दृष्टि से तो जितने ही प्रयोग होंगे, वे या तो असफल प्रयोग माने जायेंगे या अल्प सफल प्रयोग माने जायेंगे। हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ऐसी परिस्थिति में समाज-रचना का आमूलाग्र परिवर्तन ही एकमात्र उपाय है। सिवा क्रांति के आज दूसरा कोई चारा नहीं है। संदर्भ बदलने के लिए क्रांति की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से जो लोग क्रान्ति के कार्य में लगे हुए हैं, उनकी यह भूमिका होनी चाहिए कि वे किसी पक्ष का विरोध न करें, किसी पक्ष से असहयोग न करें, किसीका तिरस्कार भी न करें, अपने कार्य में लगे रहे, नमूने जितने पेश कर सकते हैं अण्णासाह्य कोरापुट में करें, अण्णासाह्य दूसरी जगह करें, गांधीग्रामवाले तीसरी जगह करें। लेकिन आसपास की जनता और हम स्वयं भी यही कहनेवाले

हैं कि हमने जो प्रयोग किये, वे पूरी तरह से सफल नहीं हो सकते। पूरी तरह से प्रयोग उसी अवस्था में सफल होंगे, जिस अवस्था में सामाजिक सर्द्धर्भ बदला हुआ होगा। उसको बदलने की तरफ मुख्य ध्यान हमारा होना चाहिए। इस दृष्टि से यह नीति अख्तियार की है।



खतरा बुरे राज्य से नहीं, अच्छे राज्य से !

दुर्जन राज्यकर्ताओं के खराब राज्य के कारण हमें उतना दुःख नहीं होता है, जितना सज्जन राज्यकर्ता के अच्छे राज्य से होता है ! औरंगजेब जैसों की सत्ता से हमें उतनी चिन्ता नहीं है, न उसमें डरने की उतनी बात है। लेकिन अकबर जैसों के राज्य से डरने की बात जरूरी है, क्योंकि वह अच्छा राजा था और इसलिए राज्य-सत्ता को ही स्टेटस (प्रतिष्ठा) मिलती थी ! हम अच्छे राज्यकर्ताओं से इसलिए ज्यादा डरते हैं कि जहाँ अच्छे राज्य चलते हैं, वहाँ लोगों को शासन में से मुक्त होने की बात ही सूझती नहीं। लेकिन आज अगर अच्छा राज्य है, तो कल खराब राज्य भी तो आ सकता है। इसलिए जब तक सब लोग अपनी ताकत से, स्वावलम्बन से इनसे मुक्ति नहीं पाते हैं, तब तक खतरा टलेगा नहीं।

(पेरय्युर, मदुरा, २४-१२)

—चिनोवा

सन् १९५७ के लिए सर्वोदय-स्वाध्याय-योजना

सन् '५७ के लिए सर्वोदय-स्वाध्याय-योजना नये रूप में शुरू की जा रही है।

सन् '५५ और '५६ की सर्वोदय-स्वाध्याय-योजनाओं में रही हुई कमियों से बचने के लिए यह योजना बनायी जा रही है, जिसकी रूपरेखा इस प्रकार है :

१. यह योजना १ जनवरी '५७ से आरम्भ हो रही है। योजना-सदस्यता-शुल्क (१०) है। एक संस्था एक से अधिक संख्या में सदस्यता-शुल्क जमा करा सकती है। सदस्यता-शुल्क का रुपया स्थानीय प्रमाणित खादी और साहित्य-भण्डारों में ही जमा करना चाहिए। वहीं से साहित्य भी लेना होगा। राजघाट, काशी को शुल्क न भेजा जाय।

२. सदस्यों को तीन-चौथाई मूल्य में साहित्य मिलेगा। (१०) में कुल मिलाकर (१३-१) का साहित्य प्राप्त होगा, जो लगभग तीन हजार पृष्ठों का होगा। सदस्यों को किताब देने पर भण्डार अपने पासवाली रसीद पर सदस्यों के हस्ताक्षर लेता रहेगा, ताकि सदस्यों को पुस्तकें ठीक से मिलती रहें।

३. इस योजना में सेट नं० १ और नं० २ से भिन्न, सर्व-सेवा-संघ से प्रकाशित नयी पुस्तकें रहेंगी। पुस्तकें जैसे-जैसे प्रकाशित होती रहेंगी, सम्बन्धित भण्डारों से उपलब्ध हो सकेंगी। (१॥) मूल्य तक की हर पुस्तक योजना में दी जायगी। (१॥) से ऊपर के मूल्य की पुस्तक योजना के अन्तर्गत नहीं रहेगी। टेक्निकल, शास्त्रीय तथा हिन्दी के अलावा अन्य भाषाओं की पुस्तकें भी शामिल नहीं रहेंगी।

४. प्रमाणित साहित्य-भण्डारों के पास सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन की ओर से एक तिपानी रसीद-बुक रहेगी और उनके पास सदस्य बनाने का अधिकृत प्रमाण-पत्र रहेगा। शुल्क जमा करने पर रसीद की एक प्रति सदस्य को दी जायगी और एक प्रति प्रकाशन दफ्तर, काशी में पहुँचती रहेगी। वह रसीद ही सदस्यता-फार्म समझा जायगा। अलग से कोई फार्म नहीं रहेगा।

५. २० या अधिक सदस्य एक साथ बनना चाहेंगे, तो उन्हें काशी से सदस्य बनाया जा सकेगा। उनका शुल्क एक साथ काशी आना चाहिए। उन्हें एक साथ ही साहित्य किसी भी रेलवे-स्टेशन पहुँच दिया जा सकेगा। फुटकर सदस्य काशी से नहीं बनाये जायेंगे।

सर्वोदय और भूदान-साहित्य

(विनोबा)

(अन्य लेखक)

गीता प्रवचन	१)	सर्वोदय का इतिहास और शास्त्र	1)
शिक्षण-विचार	१11)	जीवनदान	1)
स्थितप्रज्ञ दर्शन	१)	श्रमदान	1)
ज्ञानदेव-चिन्तनिका	111)	भूदान आरोग्य	11)
कार्यकर्ता-पाथेय	11)	पावन-प्रसंग	11)
त्रिवेणी	11)	सत्संग	11)
साहित्यिकों से	11)	सन्त विनोबा की आनन्द-यात्रा	१11)
विनोबा-प्रवचन	111)	सुन्दरपुर की पाठशाला	111)
सर्वोदय के आधार	1)	विनोबा के माथ	१)
हिंसा का मुकाबला	≡)	क्रांति की राह पर	१)
गाँव-गाँव में स्वराज्य	=)	क्रांति की ओर	१)
गाँव के लिए आरोग्य-योजना	=)	पावन-प्रकाश (नाटक)	1)
एक बनो और नेक बनो	=)	क्रांति की पुकार	≡)
व्यापारियों का आवाहन	=)	पूर्व-बुनियादी	11)
भूदान-गंगा (दो भागों में)	१11) १11)	गौसेवा की विचारधारा	11)
विनोबा के विचार (दो भागों में)	३)	भूमि-क्रांति की महानदी	111)
उपनिषदों का अध्ययन	111)	भूदान टीपिका	=)
ईशावास्य वृत्ति	111)	गाँव का गोकुल	1)
स्वराज्य शास्त्र	11)	सर्वोदय भजनावलि	1)
जन क्रांति की दिशा में	1)	सेवाग्राम-आश्रम [परिचय]	1=)
(धीरेन्द्र मजूमदार)		सर्वोदय पद-यात्रा	१)
शामन-मुक्त समाज की ओर	1=)	गांधी : एक राजनैतिक अध्ययन	11)
नयी तालीम	11)	सामाजिक क्रांति और भूदान	1-)
ग्रामगल	1)	ग्रामशाला • ग्रामज्ञान	१)
(श्रीकृष्णदास जाजू)		आठवाँ सर्वोदय-सम्मेलन	१)
सपत्तिदान-यज्ञ	1)	भूदान यज्ञ . क्या और क्यों ?	१)
व्यवहार शुद्धि	1=)	छात्रों के बीच	1)
(दादा धर्माधिकारी)		धरती के गीत	-)
मानव्ययोग की राह पर	1)	नक्षत्रों की छाया में	१11)
क्रान्ति का अग्रगण्य कदम	1)	भूदान-गंगोत्री	प्रेस में
मानवीय क्रांति	1)	पहली रोटी	1)
		राजनीति से लोकनीति की ओर	11)

